संख्या– 165 /आठ–1–24–655/2023

प्रेषक,

अरूण कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
अयोध्या/वाराणसी/मेरठ/सहारनपुर/गाजियाबाद
विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांक 19 फरवरी, 2024**

विषयः उत्तर प्रदेश विधान सभा की "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों की जॉच सम्बंधी समिति" (2022–2023) के भ्रमण कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पन्न बैठक के साक्ष्य अंशों की पुष्टि के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, समिति (वित्त) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र अर्द्ध0शा0प0सं0–20/वि0सं0/473/(स0वि0–3) 2016 दिनांक 10.02.2024 (छायाप्रति मय संलग्नक) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 समिति के भ्रमण कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पन्न बैठकों की कार्यवाही की एक प्रति उपलब्ध कराते हुए विभागीय अधिकारियों के साक्ष्य अंशो की पुष्टि कराकर एक सप्ताह के अन्दर वापस किए जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के साक्ष्य अंशों की पुष्टि सम्बंधी सूचना शासन को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि मा0 समिति को अवगत कराया जा सके।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

Arunkumar

(अरूण कुमार)
अनु सचिव।

GO-S.G-R

मोहम्मद मुशाहिद
विशेष सचिव ।

165/PS-1-24

अर्द्धशा०प०सं०20 /वि०स०/473/(स०वि०-3) 2016
समिति (वित्त) अनुभाग-3

विधान सभा उत्तर प्रदेश

विधान भवन,
लखनऊ
दिनांक 0/2/.. 2024

प्रिय महोदय,

उत्तर प्रदेश विधान सभा की "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति" (2022-2023) की दिनांक 05 से 07 दिसम्बर, 2023 तक अयोध्या एवं वाराणसी मण्डल के अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम व दिनांक 26 से 30 दिसम्बर, 2023 तक सम्पन्न मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल के अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बैठक की कार्यवाही की एक प्रति आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया आप अपने विभागीय अधिकारियों के साक्ष्य-अंशों की पुष्टि कराकर कार्यवाही को मूल रूप में एक सप्ताह के अन्दर इस सचिवालय को वापस करने का कष्ट करें।

आपसे यह भी अनुरोध है कि कृपया संलग्न कार्यवाही में समिति द्वारा दिये गये निर्देशों पर अपेक्षित आख्या इस सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कार्यवाही के साक्ष्य अंशों की पुष्टि संबंधी सूचना निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने की स्थिति में उसे इस सचिवालय द्वारा पुष्टिकृत मान लिया जाएगा।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मोहम्मद मुशाहिद)

श्री नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ।

89654/ACS H/24
सचिव

(डा० नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ०प्र० शासन।

1027/PS/SH/24
VS (M)

निजी सचिव
सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

48/VSCB/24
USCB JS(M)

21/02/24
(राकेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ०प्र० शासन

US/SO-1
22/2/2024
(गिरीश चन्द्र मिश्र)
संयुक्त सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन ।

श्री अरुण
22-2-2024

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति (2022-23)" की द्वितीय उप समिति के दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 से दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 तक मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल के अध्ययन-भ्रमण कार्यक्रम की कार्यवाही।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2022-23)" की बैठक की कार्यवाही

दिनांक: 26 दिसम्बर, 2023 **स्थान-विधान भवन,**

समय: 09:00 बजे पूर्वाह्न **मा0 सभापति कार्यालय, लखनऊ।**

उपस्थिति

01. श्री सुनील कुमार शर्मा	मा0 सभापति
02. श्री महेश चन्द्र गुप्ता	सदस्य
03. इं0 बृजेश कठेरिया	सदस्य
04. श्री स्वामी ओउमवेश	सदस्य।

विधान सभा सचिवालय के अधिकारी

1. श्री नीरज कुमार सोनकर, समिति अधिकारी।

.....

बैठक की कार्यवाही श्री सुनील कुमार शर्मा, मा0 सभापति के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई।

(परिचयोपरान्त)

समिति अधिकारी- मा0 सभापति महोदय एवं समिति के मा0 सदस्यगण, आप सभी का आज की इस बैठक में स्वागत है। आप सबको विदित है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति वर्ष (2022-23) की द्वितीय उप समिति का अध्ययन-भ्रमण दल प्रदेश के अन्दर दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 से दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 तक मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल के अध्ययन-भ्रमण कार्यक्रम पर जा रहा है।

श्री महेश चन्द्र गुप्ता- इसमें कौन-कौन से जनपद रहेंगे?

समिति अधिकारी- मान्यवर, इस अध्ययन-भ्रमण कार्यक्रम के अन्तर्गत मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल के जनपद कवर होंगे।

श्री महेश चन्द्र गुप्ता- इसमें कौन-कौन से विभाग है?

समिति अधिकारी- मान्यवर, यह अध्ययन-भ्रमण कार्यक्रम नगर विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, आवास विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, पर्यावरण विभाग, आपूर्ति विभाग, यमुना एक्सप्रेस वे, कृषि विदेश व्यापार विभाग एवं कृषि विपणन विभाग से संबंधित है।

श्री सभापति- उप समिति कितने बजे प्रस्थान करेगी?

समिति अधिकारी- मान्यवर, उप समिति आज पूर्वाह्न 10:00 बजे टैक्सी द्वारा जनपद गौतमबुद्ध नगर के इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, गौतमबुद्धनगर (वाया आगरा एक्सप्रेस वे) के लिए प्रस्थान करेगी। जनपद लखनऊ से गौतमबुद्ध नगर की दूरी लगभग 511 किमी0 है।

श्री सभापति- ठीक है, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

(तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही संपन्न हुई।)

"प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति" (2022-23) की बैठक की कार्यवाही।

दिनाँक: 27.12.2023
समय-10.30 बजे पूर्वाह्न

स्थान- यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, गौतमबुद्ध नगर।

उपस्थिति

1. श्री सुनील कुमार शर्मा	मा0 सभापति
2. श्री महेश चन्द्र गुप्ता	सदस्य
3. इं0 बृजेश कठेरिया	सदस्य
4. श्री स्वामी ओउमवेश	सदस्य।

विधान सभा सचिवालय के अधिकारी

1. श्री नीरज कुमार सोनकर, समिति अधिकारी।

लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी

1. श्री नीरज कुमार गुप्ता, उप निदेशक, लखनऊ मण्डल,
2. श्री मीर सिंह हर्षित, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी।

जनपद गौतमबुद्ध नगर में जिला प्रशासन नगर विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, आवास विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, पर्यावरण विभाग, आपूर्ति विभाग एवं यमुना एक्सप्रेस वे विभाग के अधिकारीगण

1. श्री जनार्दन सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर,
2. श्री संजय खत्री, एडिशनल, सी0ई0ओ0,
3. श्री सतीश पाल, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा,
4. श्री स्वतंत्र कुमार, वित्त नियंत्रक, नोएडा,
5. श्री विशम्भर बाबू, जी0एम0, फाइनेंस,
6. श्री अजब सिंह, प्रबंधक सामान्य प्रशासन,
7. श्री आशीष भाटी, सहायक महाप्रबन्धक,
8. श्री प्रेम प्रकाश सिंह, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस वे,
9. श्री कपील सिंह, ए0सी0ई0ओ0, यमुना एक्सप्रेस वे,
10. श्री ए0के0 सिंह, सहायक महाप्रबन्धक,
11. श्री वी0के0 त्यागी, वरिष्ठ प्रबन्धक, नोएडा,
12. श्री विजय रावल, डी0जी0एम0(सी0),
13. श्री प्रवीन सलोनिया, एस0एम0(सी0), नोएडा,
14. श्री अशोक कुमार शर्मा, ओ0एस0डी0(सी0), नोएडा,

15. श्री इश्तियाक अहमद, जी0एम0(पी0),
16. डॉ0 सुनील शर्मा, सी0एम0ओ0,
17. श्री अंगेश कुमार मौर्य, सहायक अभियन्ता,
18. श्री शिव राज, डी0ई0एस0टी0ओ0,
19. श्री राजेश कुमार, उप महाप्रबन्धक, नोएडा,
20. श्री राजकमल सिंह, वरिष्ठ प्रबन्धक(सिविल), नोएडा,
21. श्री करण सिंह त्यागी, मैनेजर, डब्ल्यू0सी0-3, नोएडा,
22. श्री रामकृष्ण, नायब तहसीलदार, जेवर,
23. सुश्री महिमा शुक्ला, डी0एफ0एम0ओ0, गौतमबुद्ध नगर,
24. सुश्री दीपिका शुक्ला, ई0ओ0, नगर पालिका परिषद, दादरी।
25. श्री राजीव मोहन, मुख्य अभियन्ता, विद्युत,
26. सुश्री अनुराधा चौधरी, लेखा अधिकारी,
27. श्री राकेश कुमार, सहायक लेखाधिकारी,
28. श्री संजीव कुमार वैश्य, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत,
29. श्री दीपक कुमार, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत,
30. श्री रचित खन्ना, अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय,
31. श्री शिवम् त्रिपाठी, अधिशासी अभियन्ता, प्रथम,
32. श्री अवनीश सिन्हा, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत,
33. श्री शशांक शेखर ओझा, सहायक अभियन्ता(रा0), विद्युत,
34. श्री मनदीप सिंह, अधिशासी अभियन्ता, तृतीय,
35. श्री डी0के0 गुप्ता, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण विभाग, ग्रे0 नोएडा,
36. श्री राहुल पवार, बी0एस0ए0, गौतमबुद्ध नगर,
37. श्री अभिषेक गुप्ता, लेखाकार, बेसिक शिक्षा विभाग, गौतमबुद्ध नगर,
38. श्री शेर सिंह (प्रतिनिधि), ए0डी0 आफिस,
39. सुश्री प्रज्ञा सिंह, नायब तहसीलदार, राजस्व,
40. श्री विनोद कुमार, जी0एम0, फाइनेंस,
41. श्री राजीव मौर्य, एस0एफ0ए0ओ0,
42. श्री रंजीत निर्मल, डिस्ट्रिक्ट माइन्स ऑफिसर,
43. श्री चमन शर्मा, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर,

बैठक की कार्यवाही श्री सुनील कुमार शर्मा मा0 सभापति के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई।

(परिचयोपरान्त)

जनपद-गौतमबुद्ध नगर

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रतिवेदन वर्ष 2011-12, पृष्ठ संख्या 250, प्रस्तर-6.18, भाग-क, प्रस्तर-1

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, यह लीज डीड ट्रांसफर का मामला है, इसमें यमुना एक्सप्रेस वे द्वारा दो-तीन माह का समय मांगा गया था। आपत्ति नंबर 1 का भाग-क है, इसमें अथॉरिटी ने दो-तीन महीने का समय मांगा था कि दो-तीन महीनों में लीज डीड वसूल कर ली जायेगी।

श्री सभापति- इसमें आपत्ति क्या है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, यह स्टाम्प शुल्क की क्षति का मामला है। इसमें दो-तीन महीने का समय दिया गया था।

श्री सभापति- वर्ष 2021 में बैठक हुई थी और यह पैरा 2009-10 का है। विभाग इससे अवगत कराये।

श्री कपील सिंह- मान्यवर, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से दो प्रतिशत और तीन प्रतिशत स्टाम्प की वसूली होनी थी, लेकिन जो हमारी यमुना डेवलपमेन्ट अथॉरिटी है, वह इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत बनी है। उसमें धारा-7 के अन्तर्गत यह अधिकार अथॉरिटी को है कि वह किस आधार पर बनाती है। हमने जो सूचना भेजी थी, उसमें यह था कि कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश के साथ पत्रों के संबंध में एग्रीमेन्ट टू सेल के अभिलेख का निष्पादन और पंजीकरण अनिवार्य किया जाना, उक्त बिन्दु के संबंध में यह अपेक्षा की गयी थी कि आवंटी के पक्ष में आवंटन के समय आवंटन धनराशि जमा कराने के साथ ही एग्रीमेन्ट टू लीज का अभिलेख निष्पादित कर पंजीकृत कराये जाने का सुझाव दिया गया था। उसके संबंध में हमको यह अवगत कराना है कि प्राधिकरण की आवासीय योजना के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड का कब्जा, भूखण्ड पर कुल प्रीमियम की 75 प्रतिशत धनराशि अथवा आवंटन तिथि से 4 वर्ष के उपरान्त दोनों में से जो भी अवधि बाद में आयेगी, के अनुसार बाद में दिया जायेगा तथा इन परिस्थितियों में जबकि आवंटित भूखण्ड का केवल आवंटन पत्र जारी किया गया है, लेकिन जो भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया थी, वह गतिमान रही। हमारे पास फिजिकली लैड अवलेबल नही थी, इसीलिए 4 वर्ष का समय दिया गया था तो ऐसी परिस्थिति में भूखण्ड के आवंटन की धनराशि जमा कराने के साथ ही इन सम्पत्तियों के

एग्रीमेन्ट टू लीज संबंधी अभिलेख निष्पादित कराया जाना सम्भव नही हो पाया था। यह सूचना हमें भेजी गयी थी, सी.ई.ओ. महोदय ने भी अपना जवाब दिया था। दिनांक 08.07.2022 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा शासन में संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग को एक पत्र भेजा गया, जिसके संबंध में उन्होंने यह लिखा है कि प्राधिकरण की 34वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29 दिसम्बर, 2009 में भूखण्ड के कुल प्रीमियम का 02 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पेपर पर आवंटन अधिकारों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था तदोपरान्त 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क के आधार पर अंतरण की कार्यवाही की गयी थी, जिसे प्राधिकरण की 45वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25.07.2012 में बन्द कर दिया गया था। उक्त अवधि में कुल 5283 प्रकरण संज्ञानित हुए है, जिनमें 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लेकर हस्तांतरण की कार्यवाही की गयी है। जिसका पूर्ण विवरण संलग्न कर शासन को प्रेषित कर दिया गया है। कुल 5283 केसेज थे, जिनमें पूरा एग्रीमेन्ट टू सेल कर दिया गया था। जो 5 प्रतिशत धनराशि थी, वह 422 आवेदकों से लेनी थी और अवशेष केस 4,861 बचे थे, उनमें से जो दो प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी दी गयी थी, वह 19165 करोड़ रु0 हमने वसूल ली थी। 3 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी 29.48 करोड़ की बनती है, जो उस समय प्राधिकरण के द्वारा बोर्ड के निर्णय के अनुसार ली गयी थी। तददनुसार हमने 8 जुलाई, 2022 को हर आवेदन डिटेल में शासन को भेज दिया है। शासन से निर्णय आने के बाद जैसा मा0 समिति निर्देश देगी, उनके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री सभापति- क्या इस पर शासन से कोई निर्णय आया है?

श्री कपील सिंह- मान्यवर, अभी शासन से कोई निर्णय नहीं आया है।

श्री सभापति- ऑडिट विभाग इसमें संक्षिप्त में बताये कि क्या मामला है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, स्टाम्प अधिनियम की किसी भी धारा का उल्लंघन कोई भी कोर्ट अथॉरिटी नही कर सकती है। अगर करना है तो उसके लिए शासन से अनुमति चाहिए। दिनांक 19.12.2009 की बैठक का हवाला दिया गया है कि 34वीं बैठक में यह हुआ था कि 5 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लेनी है। स्टाम्प एक्ट के अनुसार दो दरें लागू थी और जो आपत्ति उठायी गयी है, वह डी0आई0जी0 स्टाम्प और आई0जी0 स्टाम्प के पत्र के आधार पर उठायी गयी है। जब उनके द्वारा यह आपत्ति उठायी गयी कि आपके यहां 5 प्रतिशत के स्थान पर 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लिया जा रहा है, उससे स्टाम्प विभाग को स्टाम्प शुल्क के रूप में क्षति हो रही है। उस बैठक के बाद 34वीं बैठक हुई, उसके बाद 5.03.2010 को बैठक हुई। जिस बैठक का

आपने हवाला दिया है, वह 29 दिसम्बर, 2009 को हुई थी, लेकिन उसके बाद स्टाम्प विभाग के साथ जो बैठक हुई, वह 5.03.2010 को हुई। जो बैठक हुई उसके प्रस्तर-2 में अंकित था कि दो तरह के मामले थे एक एग्रीमेन्ट टू सेल और एग्रीमेन्ट टू लीज। एग्रीमेन्ट टू सेल में 2 प्रतिशत स्टाम्प लगना था और एग्रीमेन्ट टू लीज में 5 परसेन्ट स्टाम्प लगना था। उस बैठक में यह तय हुआ कि शासन को एक प्रस्ताव भेजा जाए अगर शासन बोर्ड की इस बात से सहमत हो जाता है तो 5 परसेन्ट के स्थान पर 2 परसेन्ट स्टाम्प लिया जाएगा, लेकिन इसके बाद इसी बैठक के कार्यवृत्त के प्रस्तर-3 में प्रस्ताव भेजा गया है। इसी पत्रावली के पृष्ठ संख्या-94 पर चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में 15 फरवरी, 2010 को बैठक हुई, जिसमें साफ-साफ लिखा हुआ था कि यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण द्वारा मूल आवंटियों के पक्ष में लीज आवंटित पट्टा अभिलेख पंजीकृत कराये बिना ही भूखण्डों के हस्तांतरण अनुमन्य करने से स्टाम्प शुल्क के रूप में रु0 200 करोड़ की क्षति हुई है। आपत्ति अपनी जगह है, सस्टेंट कर रही है। जिसके लिए 2-3 महीने का समय मांगा गया था, अगर उनको अनुमति मिल गयी है तब तो ठीक है नही तो यह प्रस्तर पेंडिंग ही रहेगा।

<u>श्री कपील सिंह</u>- एक तो 200 करोड़ के विषय में जो आप बता रहे है कि टोटल नम्बर ऑफ केसेज 5283 थे और जो ट्रांसफर आफ्टर एग्रीमेन्ट टू लीज हुआ था, वह 482 करोड़ का था, यानी पूरा का पूरा हमने 5 परसेन्ट प्राप्त किया था। इसमें 2 या 3 परसेन्ट का कोई संदेह ही नहीं है। अवशेष केस 4,861 बच गये है, हमने ऑलरेडी 2 परसेन्ट स्टाम्प ड्यूटी दे ही दी थी उसमें भी अगर 3 परसेन्ट स्टाम्प ड्यूटी देखी जाए तो जितने टोटल केसेज है, उसके हिसाब से 29.48 करोड़ रुपये आ रहे है। 200 करोड़ का आंकड़ा हम लोग नहीं समझ पा रहे है, 29.48 करोड़ हमारे हिसाब से है। यमुना एक्सप्रेसवे के शासन के जो तत्कालीन अध्यक्ष और सी0ई0ओ0 महोदय थे, उन्होंने प्रमुख सचिव संस्थागत वित्त, उ0प्र0 शासन को यह पत्र भी भेजा हुआ है। उसमें यह क्लीयर लिखा हुआ था कि हमारे पास जमीन ही नहीं है। एग्रीमेन्ट टू लीज हम तब करें जब जमीन हमारे पजेशन में रहे। चूंकि उस समय लैड एक्वीजीशन का प्रोसेस चल रहा था। यह तो एक्सपेक्टेड था कि जब लैड मिल जाएगी तभी फाइनल रजिस्ट्री होगी। तत्कालीन अध्यक्ष और सी0ई0ओ0 ने यह लिखकर भेजा था कि भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया गतिहीन है ऐसी स्थिति में आवंटन धनराशि जमा कराने के साथ-साथ इन संपत्तियों में एग्रीमेन्ट टू लीज संबंधी अभिलेख निक्षेपित करना संभव नही हो पा रहा है। साथ में यह भी लिखा है

कि एग्रीमेन्ट टू लीज वर्तमान स्थिति में निष्पादित कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

श्री सभापति- यह प्रकरण 2010 का है और हम 2023 में बैठे हैं। क्या इसकी लीज निष्पादित हुई है?

श्री कपील सिंह- मान्यवर, इसमें एग्रीमेन्ट टू सेल नहीं हुआ था केवल रजिस्ट्रियां ही हुई थीं। इसमें पूरा स्टाम्प लिया गया है। 29.48 वाला अभी ईशू है, लेकिन उसके बाद वाली जो रजिस्ट्रियां हुई हैं, वह एग्रीमेन्ट टू सेल में हुई हैं। इसके बाद में कोई डिफेंस नहीं है। इसका सारा संदर्भ हमने उ0प्र0 शासन को संदर्भित किया हुआ है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- जो पत्र आपने शासन को भेजा है, यह कब का है?

श्री कपील सिंह- यह 8 जुलाई, 2010 का पत्र है। एक-एक प्रकरण की पूरी लिस्ट बनाकर भेजी गयी है।

श्री सभापति- चूंकि इसमें केवल आपके विभाग का ही मामला नहीं है। यह राजस्व विभाग का मामला है, स्टाम्प ड्यूटी का भी मामला है। इस पर आप और स्टाम्प विभाग के लोग बैठकर विचार-विमर्श कर लें।

श्री कपील सिंह- मान्यवर, हमने तो शासन को पत्र भेज दिया है। अगर शासन से हमको निर्देश मिल जायेंगे तो जैसा मा0 समिति कहेगी वैसा करेंगे। हमारे जो 200 करोड़ रुपये दिखाये गये हैं, वह टैक्स के हिसाब से 29.12 करोड़ रुपये ही बनता है।

श्री सभापति- आपत्ति तो तब तक रहेगी जब तक यह समाप्त न हो जाए और यह समाप्त तब होगा जब या तो शासन यह कहे कि हमने माफ कर दिया है। अपने संबंधित मामलों में बोर्ड को अधिकार है कि वह निर्णय लेगी, लेकिन जो स्टाम्प एक्ट का मामला है, उसमें आपके बोर्ड को कोई अधिकार नहीं है कि हम इसमें 2 परसेन्ट स्टाम्प ड्यूटी लेंगे। परिस्थितियों को देखते हुए स्टाम्प ड्यूटी माफ करना, 2 परसेन्ट करना यह सरकार का काम है। सरकार ने ऐसा नहीं किया है। जब सरकार ने नहीं किया तो जो स्टाम्प एक्ट के अनुसार निर्धारित दर है, वही मानी जायेगी। बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित दर नहीं मानी जाएगी। शासन ने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इसमें प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन ने साफ-साफ लिखा है कि यमुना एक्सप्रेस वे द्वारा जो 5 परसेन्ट के स्थान पर 2 परसेन्ट स्टाम्प ड्यूटी ली जा रही है, वह पूरी तरह से गलत है, उसको संवैधानिक और विधिक करार दिया है।

श्री सभापति- जब तक उसको सरकार के द्वारा अप्रूव्ड न कर दिया जाए तब तक तो वह गलत है। जब तक शासन से इसकी परमीशन न ले ली जाए तब तक लेना भी नहीं चाहिए था। हमने बिना शासन की परमीशन के लिया यह तो ठीक नहीं है, लेकिन अब इसको समाप्त करने का एक ही तरीका है कि शासन में आप अप्रोच करिये, उनसे बात करिये और शासनादेश कराकर समाप्त कराइये या फिर यह शुल्क वसूल लिया जाए। जब तक इन दो में से एक काम नहीं होगा तब तक यह पैरा पेंडिंग रहेगा।

श्री कपिल सिंह- मान्यवर, आपकी अनुमति से हम एक बार शासन में न्याय विभाग से अनुमति ले लेते हैं, क्योंकि कोई चीज छिपायी नहीं गयी थी। जो तत्कालीन चेयरमैन और सी0ई0ओ0 थे, उन्होंने संस्थागत के प्रमुख सचिव वित्त को लिखा भी था।

श्री सभापति- इसमें तत्काल आप शासन से दोबारा सम्पर्क करके 15 दिन में एक रिमाइंडर भेजकर व्यक्तिगत रूप से भी मिल लें और वस्तुस्थिति से समिति को भी अवगत करा दें। इस प्रस्तर को अभी लम्बित रखते हैं।

(लम्बित)

नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

क्रम संख्या-1, प्रस्तर संख्या-भाग-(क), प्रस्तर-15, आपत्ति-15 मैसर्स गौरसंस (इण्डिया) लि0 को आवंटित भूखण्ड में क्रय योग्य एफ.ए.आर. की गणना कम भूमि मूल्य एवं आवंटन पर देय एफ.ए.आर. 1.5 के स्थान पर बढ़े हुए एफ.ए. आर. से करने के कारण रु0 5,62,96,656-00 की आर्थिक क्षति।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, यह एफ.ए.आर. की गणना कम करने से 1.5 के स्थान पर बढ़े हुए एफ.ए.आर. से गुणा करने पर रु0 5,62,96,656-00 की आर्थिक क्षति का मामला है। इस पर काफी चर्चा हुई थी उसके बाद जो अनुमन्य एफ.ए.आर. था, वह फर्म से लेना चाहिए था और जो उसके स्थान पर 2.75 से गुणा कर दिया गया था, वह उनको 11 करोड़ रुपये मिलना चाहिए था और इन्होंने 5 करोड़ के आस पास ही लिया है, इसलिए 5 करोड़ 62 लाख का नुकसान हुआ है।

श्री सतीश पाल- मान्यवर, जो गणना ऑडिट विभाग ने की है, वह शहरी एवं नियोजन विभाग में जो बेसिक एफ.ए.आर. से संबंधित फार्मूला है, उससे की है। हमारे यहां जो फार्मूला है, जो नियमावली है, वह विभाग की है। उसके हिसाब से गणना की गयी है, इसलिए यह अन्तर आया है। मा0 समिति यदि अनुमति दे तो हमारे जी0एम0 मा0 समिति को अवगत करा देंगे।

श्री इश्तियाक अहमद- मान्यवर, जो नोएडा अथॉरिटी है, वह इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट 1976 के तहत गठित की गयी है और जो आपत्ति लगायी गयी है, वह यू0पी0 अरबन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट 1973 के तहत विकास प्राधिकरण गठित होने में उनके रिफरेंस पर लगायी है। उनके यहां फार्मूला यह है कि बेसिक एफ.ए.आर. से डिवाइड किया जाता है। जब परचेजबल एफ.ए.आर. की गणना की जाती है तो बेसिक एफ.ए.आर. से डिवाइड किया जाता है और इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेन्ट एक्ट में वर्तमान में जो भवन उपविधि लागू है, उसके अनुसार डिवाइड किया जाता है, इसीलिए यह फर्क आया है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, आपत्ति में दोनों ही बातों को आधार बनाया गया है। जिसके आधार पर आप कह रहे है कि जो हमारी नियमावली है, वह 2006 में भी थी और 2010 में भी थी। नियमावली बोर्ड बनाता है और शासन से अप्रूव कराता है। आपत्ति में दोनों ही आधार लिखे गये हैं। उ0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 16-12-2006 को प्रकाशित भवन नियमावली 2006 के प्रस्तर 1.4 और 2010 इसमें प्रस्तर संख्या-28.4 दोनों की एक ही भाषा है। इस विनियमावली के लागू होने के पूर्व इस विनियमावली में यथासूचित एफ.ए.आर. और भू-आच्छादन ऐसे भूखण्डों जो नीलामी या निविदा के आधार पर आवंटित किये गये थे और सामूहिक आवास के संबंध में लागू नहीं होंगे। आपत्ति का मुख्य आधार यही है। लैंड बैंक एक समय तक बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ता है। यह जो परचेजबल दिया जाता है, वह ठेकेदार या फर्म को इसलिए दिया जाता है कि बढ़ते हुए आवास की समस्या से निपटने के लिए अब वह ज्यादा फ्लोर बना सकता है, ज्यादा फ्लैट बना सकता है, लेकिन इसमें 1.5 एफ.ए.आर. से गुणा करते है, जिस समय एलॉटमेन्ट हुआ था, वह अनुमन्य है, जिसको परमेशबल है। उस समय जो 1.5 से गुणा करते है और उस समय जो सर्किल रेट है, उस हिसाब से गुणा करते है तब एमाउण्ट एक बात है। आपत्ति में लगभग 11 करोड़ से अधिक की धनराशि थी, जो चार्जेबल थी। इन्होंने 1.5 के स्थान पर एफ.ए.आर. से 2.75 से गुणा किया और 22,400 के स्थान पर 20,400 से जब गुणा किया तो उसकी वजह से धनराशि की क्षति हुई है।

श्री सभापति- जब एफ.ए.आर. बढ़ा दिया है और वह अप्रूव्ड होगा तो उसको कैसे नहीं मानेंगे?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, ब्रोशर में जिस समय दिया जाता है, उस समय सारी चीजें नियमावली के आधार पर दी जाती है।

श्री सभापति- आपकी बात ठीक है, जब ब्रोशर दिया गया, आवंटन किया गया तब एफ.ए.आर. 1.5 था, लेकिन बाद में अथॉरिटी ने बोर्ड बैठक करके उसको 2.75 कर दिया और शासन से अप्रुवल ले लिया।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, शासन से अप्रुवल नहीं लिया था।

श्री सतीश पाल- मान्यवर, शासन से अप्रुवल हुआ था।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- शासन से अप्रुवल नहीं लिया है। 2010 की नियमावली में आप बताइये कि कहां पर लिखा हुआ है?

श्री संजय खत्री- मान्यवर, जितनी भी नियमावली है, वह अप्रुवल के बाद ही अप्लीकेबल होती है। 2.75 नियमावली में ही है। हमारे पास जब कोई आवेदन करेगा तो उस समय जो नियम लागू है, उसी के अनुसार हम लोग उनका एफ.ए. आर. करेंगे।

श्री सतीश पाल- मान्यवर, कोई भी नियमावली शासन की अनुमति के उपरान्त ही लागू होती है।

श्री सभापति- जिस समय इन्होंने एफ.ए.आर. को सेल किया तो बेसिक के आधार पर उसकी गणना होगी। मेरे विचार से उस वक्त बेसिक एफ.ए.आर. वह वाला माना जाएगा जो भवन उपविधि में उल्लिखित है। पूर्व में आवंटन के समय क्या रहा, अगर भवन उपविधि में बढ़ गया तो उसका लाभ तो सभी को मिलेगा?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, उस नियमावली में यह लिखा है कि जो इसके पूर्व में एलॉट कर दिये गये हैं, उस पर यह प्राविधान लागू नहीं होंगे। यही आपत्ति का आधार है। यह बता रहे है कि 2.75 नियमावली में किया गया है, लेकिन नियमावली के प्राविधान कब लागू हुए थे? नियमावली में यह भी लिखा है, इसलिए यह आपत्ति उठायी गयी है कि उस समय यह प्राविधान उस पर लागू नहीं हुआ था।

श्री सभापति- अगर यह आपकी नियमावली में है कि यह लागू अब से होंगे पीछे नहीं होंगे फिर यह आपत्ति सही है। क्या इसमें लीगल राय ले ली जाए? आपकी नियमावली कहां है? आप उस वक्त की अपनी नियमावली दीजिए जिस समय आपने एफ.ए.आर. बढ़ाया है। आपने जिस समय एफ.ए.आर. 1.5 से 2.75 किया है, उसकी शर्त क्या है, वह दिखा दीजिए?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, आज के समय लगभग 3.5 एफ.ए.आर. है। जैसे-जैसे लैंड बैंक कम होता गया तब से बिल्डिंग के हेड बढ़ाते गये, नम्बर ऑफ फ्लैट्स बढ़ाते गये, इसमें तो ठेकेदार और फर्म का फायदा है।

श्री सभापति- जब किसी नियम में संशोधन करेंगे तो संशोधन करते समय आप इसमें यह उल्लेख जरूर कर देते कि यह कब से लागू होगा।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, उस समय जो नियमावली लागू थी, उसमें यह साफ-साफ था कि परचेजिंग एफ.ए.आर. के संबंध में इसके जो प्राविधान हैं, वह उससे पहले जो नीलाम हो चुके हैं यह आपत्ति उस पर लागू नहीं होगी।

श्री संजय खत्री- मान्यवर, जब हमने उनको एफ.ए.आर. दिया तो हमारा सिम्पल फार्मूला होता है, उसमें एक फार्मूले में 2.75 लगता है, क्योंकि वह करेंट एफ.ए. आर. है, उससे यह गणना करते तो हमारा यही कैल्कुलेशन आता है। ऑडिट विभाग हमको इतना बता दे कि यह हमारी नियमावली है, हमारे जितने भी पुराने एलॉट हुए थे उन पर यह नियमावली लागू नहीं होती है, अगर वह बतायेंगे तो हम मान लेंगे।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, यह 2004 का एलॉटमेन्ट है, अब 2010 का प्राविधान उसमें कैसे लागू करेंगे। ऐसे तो आज की डेट में 3.5 एफ.ए.आर. कर सकते हैं। 23.11.2004 को आपने एलॉटमेन्ट किया है। उस समय जो एफ.ए.आर. परमेशबल था उसी पर तो आप एलॉट करेंगे और उसी में आपने 33 परसेन्ट परचेजबल के लिए भी बात कही थी।

श्री संजय खत्री- मान्यवर, हमारे पास जब आवेदन आता है। एफ.ए.आर. की गणना चाहे हम हों चाहे जहां पर भी हो वह उसी दिन से होती है। अगर हमने 20 साल पहले एलॉट किया है तो हम एफ.ए.आर. की गणना उस समय से नहीं करते हैं, हमारे पास जिस दिन आवेदन आए थे, हम एफ.ए.आर. की गणना उसी दिन से करेंगे कि उस समय कितना परमेशबल है।

श्री सभापति- आपने बोर्ड बैठक की होगी, उसमें 1.5 से 2.75 किया होगा। उन बोर्ड की बैठक के मिनट्स को आपने शासन भेजा होगा? उसमें आपने क्या उल्लेख किया है?

श्री इश्तियाक अहमद- मान्यवर, जैसे आज हमें कोई प्लॉट ऑक्शन करना हो और मान लीजिए एफ.ए.आर. 1.5 है, 1.5 का पैसा तो आवंटी ने दे दिया। अब 5 साल बाद अगर वह परचेजबल एफ.ए.आर. के लिए अप्लाई करता है। इसका मतलब यह है कि 1.5 तो वह है जो वह ले चुका है। नयी भवन विनियमावली में लागू एफ.ए.आर. मान लीजिए 2 हो जाता है तो 2 और 1.5 का डिफरेंस यानी 0.5 है उसे उतना परचेज करना पड़ेगा, उसे हम फ्री ऑफ कास्ट नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति- आप उसकी गणना का आधार क्या मान रहे है? अगर 2.75 हो चुका है तो उसे परचेज करनी की क्या जरूरत है?

श्री इश्तियाक अहमद- मान्यवर, उसने 5 साल पहले प्लॉट खरीदा था।

श्री सभापति- अगर वह 2.75 से उसका है तो उसे 2.75 तक परचेज करनी की जरूरत ही नहीं है।

श्री इश्तियाक अहमद- मान्यवर, जिस समय प्लॉट ऑक्शन किया था उस समय एफ.ए.आर. कितना था? और आज की डेट में एफ.ए.आर. कितना है?

श्री सभापति- जिस समय प्लॉट परचेज किया, उस समय एफ.ए.आर. 1.5 है। जब वह परचेज कर रहे हैं तब आपका एफ.ए.आर. 2.75 है। वह उससे ऊपर कितना परचेज कर सकता है?

श्री इश्तियाक अहमद- मान्यवर, 2.75 तक ही वह परचेज कर सकता है। 1.5 तो था ही।

श्री सभापति- 1.5 पहले क्या था?

श्री इश्तियाक अहमद- मान्यवर, 1.5 तो अलाउ था, उसी पर उसने प्लॉट खरीदा। 1.5 तो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही गया। प्लॉट का उस समय जो भी रेट होगा, उसके हिसाब से उसने ले लिया। अब आज की डेट में 2.75 हो गया है, अगर आज की डेट में वही होता तब तो उसे 2.75 दर देते, लेकिन यह पुराना प्लॉट है, इसलिए 2.75 और 1.5 का डिफरेंस है। 1.25 उसे परचेज करना पड़ेगा। उसका पैसा जब तक वह नहीं देगा तब तक उसे हम एक्स्ट्रा एफ.ए.आर. का फायदा नही दे सकते हैं।

श्री सभापति- अब वह 1.25 किस दर से खरीदेगा?

श्री इश्तियाक अहमद- मान्यवर, ऑडिट की टीम और अथॉरिटी की टीम में यही फर्क आ रहा है। ऑडिट टीम का यह कहना है कि उसे 1.5 से डिवाइड करेंगे और हमारा यह कहना है कि उसे 2.75 से डिवाइड करेंगे। ऑडिट की टीम ने जो 1.5 से डिवाइड करने का फार्मूला लिया है, वह गाजियाबाद डेवलपमेन्ट अथॉरिटी के शासनादेश से लिया है और हम नोएडा अथॉरिटी के शासनादेश से ले रहे हैं।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, उसके आधार पर गणना नहीं की है। जो गणना का सूत्र इनकी नियमावली में है, उसी के आधार पर गणना की गयी है। गाजियाबाद का उदाहरण तो एक दृष्टान्त के रूप में दिया गया है, गणना इसी के आधार पर की गयी है। आपत्ति के प्रस्तर-2 में साफ-साफ लिखा हुआ है। जो आपका फार्मूला है, उसी के आधार पर एक-एक शब्द को डिफाइन करते हुए किया गया है। 11 करोड़ 16 लाख 70,000 रु0 की आपत्ति है। जब 2004 में इनको एलॉटमेन्ट किया गया है तब उसमें साफ-साफ लिखा था कि इनको 23.11.2004 को जो दिया गया था, वह 56,550 वर्गमी0 था, ग्राउण्ड कवरेज 35

परसेन्ट था। शासनादेश दिनांक 19 फरवरी, 2009 में एफ.ए.आर. का 1.5 का 33 प्रतिशत यानी 18,661 और परचेज किया जा सकता है। यह उसमें पहले से व्यवस्था थी, इसीलिए यह ऑब्जेक्शन उठाया गया है कि नियमावली के प्राविधान इस पर लागू नहीं होंगे। जो पिछली बैठक की कार्यवृत्ति है, उसमें प्रमुख सचिव, श्री अनिल कुमार सागर ने कहा है कि मा0 सदस्य से सिर्फ यह पूछना है कि हमारी जो पुरानी नियमावली थी, जो कि 2010 में चेंज हो गयी थी तो क्या 2010 वाली नियमावली के प्राविधान पुराने प्रकरणों पर भी लागू होंगे? इस पर श्री इश्तियाक अहमद, महाप्रबन्धक ने बताया है कि मान्यवर, इस संबंध में अभी हमारे पास कोई शासनादेश उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम ऐसा कुछ बताने में असमर्थ हैं। इस पर मा0 समिति के श्री सभापति ने कहा था कि ठीक है, हम आपकी बात समझ गये हैं, इसके बाद यह प्रस्तर पेंडिंग हुआ है। हमारा साफ-साफ यह कहना है कि जब उनको नियमावली के हिसाब से 2.75 बढ़ा हुआ एफ.ए.आर. एलाउ किया गया तब भी उस समय जो गणना होनी थी, वह 1.5 से ही होनी थी, क्योंकि इससे ही प्राधिकरणों को पैसा ज्यादा मिल रहा था, 2.75 से ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा था। 2.75 की गणना की वजह से प्राधिकरणों को पैसा कम मिलेगा। 1.5 एफ.ए.आर. मानने से प्राधिकरण को अधिक धनराशि की प्राप्ति हुई है।

श्री स्वतंत्र कुमार- मान्यवर, 2.75 से गणना करने से हमें कम एफ.ए.आर. मिला। जब 2010 में भवन नियमावली का नोटिफिकेशन आया था तो उससे लेकर आज तक सभी की गणना इसी से होती है। 2010 में जो गणना हुई है, वह इसी गणना से हुई है और आज तक इसी से होती रही है। अगर हम 1.5 से गणना करते तो हम उसको आगे दे भी नहीं पाते, लेकिन 1.5 को बाद में जो हमने परमेशबल पर बेचा है तो उससे अथॉरिटी को पैसा मिला है। आपके हिसाब से हो सकता है कि एलॉटी को कम देना पड़ा, लेकिन अथॉरिटी इसी ग्राउण्ड पर बेच पायी है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- यह परमेशबल किसको मानेंगे जिस समय उसको एलॉट किया गया या जब वह परचेज करने आया तब से?

श्री स्वतंत्र कुमार- जब वह परचेज करने आया तब से।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- तब उस समय परचेजबल एफ.ए.आर. की बात करेंगे। एलॉटमेन्ट जिस समय करते है उस समय तो परमेशबल होता है, अनुमन्य एफ.ए. आर. जो आप ब्रोशर में लिखते हैं, वह तो परमेशबल ही होता है। जब वह एक्स्ट्रा परचेज करने के लिए आया तब आपको किस फार्मूले से गणना करनी थी?

श्री इश्तियाक अहमद- वह बेसिक एफ.ए.आर. कहलाता है। परमेशबल एफ.ए. आर. आज की डेट में बिल्डिंग बायलॉज में कितना अनुमन्य है, वह परमेशबल एफ.ए.आर. है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- आपकी नियमावली में बेसिक एफ.ए.आर. शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है।

श्री संजय खत्री- मान्यवर, उसको 33 परसेन्ट एफ.ए.आर. चाहिए था और 33 परसेन्ट एफ.ए.आर. लागू करने का हम लोगों का फार्मूला है। वह फार्मूला हमारी नियमावली में पब्लिकेशन के साथ लागू हुआ। जैसे ही वह फार्मूला हमारे पास आया कि हमें 33 परसेन्ट एफ.ए.आर. चाहिए तो हमने यह फार्मूला उठाया और उस फार्मूले के अनुसार गणना कर दी। गणना के हिसाब से उसका जो मीटर आता है, वह लगभग 6,786 आता है। उससे हमारा जो टोटल पर मीटर का चार्ज है, उससे गुणा कर दिया और लागू तभी से हो गया जब से हमारी यह नियमावली लागू है। हम पुरानी नियमावली में लागू तो नहीं कर सकते है, हम तो उसी को करेंगे जो उस समय लागू है। पैसा उसको इसलिए देना पड़ा, क्योंकि उसको 33 परसेन्ट एडिशनल परचेज करना था।

श्री सतीश पाल- मान्यवर, आपकी अनुमति हो तो मैं अंग्रेजी का कुछ भाग पढ़ना चाहता हूं।

(अंग्रेजी का भाग पढ़ा गया।)

यह वह एरिया होगा जो वह परचेज कर सकता है, उसके अतिरिक्त जो पहले उसको एलॉट था जैसे इसमें 1.5 एलॉट है। अब 2.5 हम इसलिए दे रहे हैं, क्योंकि अब वह इसको एप्लीकेबल हो गया है।

श्री सभापति- उसमें तो आपत्ति की गणना कैल्कुलेशन पर है। अब यह 2.75 पर खरीदा जा रहा है, यह परमेशबल है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इन्होंने एलाउ कर दिया है। एक समय 1.5 एफ.ए.आर. की लिमिट थी फिर सरकार ने जब देखा कि जमीन कम हो गयी है, प्लॉट ज्यादा चाहिए तो उसको 2.75 किया गया फिर उसको 3.5 किया गया, क्योंकि बिल्डर से पैसा लेना है। बिल्डर जब नम्बर ऑफ फ्लैट्स बढ़ायेगा तो उसका फायदा बढ़ेगा। हमारा कहना है कि भले ही आप परचेजबल एफ.ए.आर. 2.75 से बढ़ाकर 3.5 कर दीजिए या 4.5 कर दीजिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि रियायती सुविधा सबको देनी है। जब आप उस शुल्क की गणना करेंगे तो गणना के समय अनुमन्य एफ.ए.आर. वह है, जिसको परमेशबल कहा जा रहा है। अब एलॉटमेन्ट 23.11.2004 में हुआ।

श्री सभापति- हम ऑडिट को भी निराधार नहीं मान सकते है, क्योंकि आपका एलॉटमेन्ट 1.5 था और उस वक्त आप 2.75 बेच रहे है तो वह अतिरिक्त है, उसे बेसिक कैसे मान लें?

श्री संजय खत्री- मान्यवर, हम यहां परचेजबल की गणना कर रहे है, जब परचेजबल की गणना करेंगे तो एफ.ए.आर. का एग्जेस्टिक रेट और फार्मूला के हिसाब से गणना करेंगे, क्योंकि यह नियमावली यही कहती है कि जैसे ही इसका प्रकाशन हुआ वैसे ही यह नियमावली लागू हो गयी थी।

श्री स्वतंत्र कुमार- मान्यवर, आज तक इसी फार्मूले से होता चला आ रहा है।

श्री सभापति- फार्मूले पर ही ऑडिट को आपत्ति है।

श्री सतीश पाल- मान्यवर, जो पहले एलॉटमेन्ट के समय लागू था, उसके एवब में हम एलॉट करेंगे तो वह 2.75 पर करेंगे।

श्री सभापति- दिक्कत 2.75 में नहीं है, दिक्कत तो यह है कि आप उसको डिवाइड 2.75 से करेंगे या 1.5 से करेंगे?

श्री इश्तियाक अहमद- मान्यवर, जब 2.75 लागू है तो उसी परचेजबल से डिवाइड करेंगे। हम जो रेट लेते हैं, वह करेन्ट रेट लेते हैं। आज अगर कोई परचेज करने के लिए आ रहा है तो उस जमीन की वैल्यू आज कितनी है, उसके बेसेज पर कैल्कुलेशन की जाती है, न कि 2004 के बेसेज पर कैल्कुलेशन की जाती है।

श्री सभापति- इसमें विधि विभाग से राय ली जाए कि बेसिक अनुमन्य और आवंटन का जो एफ.ए.आर. है, किसके अनुसार गणना होनी चाहिए? तब तक इस प्रस्तर को लम्बित रखते हैं। इसमें न्याय विभाग से लीगल ओपिनियन ले ली जाए।

(लम्बित)

पर्यावरण विभाग

श्री सभापति- पर्यावरण के विषय में आप समिति को अवगत करा दें।

श्री उत्सव शर्मा- मान्यवर, कमीशन की जो पॉलिसी है, वह लागू है अभी से 400 के नीचे स्टेज-3 एहतियाती तौर पर लगा दिया गया है। उसकी मॉनीटरिंग चल रही है।

श्री सभापति- इसके अतिरिक्त आपके विभाग में क्या चल रहा है?

श्री उत्सव शर्मा- मान्यवर, लांग टर्म में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। गाजियाबाद नगर निगम भी देख रहा है कि स्टेशन्स बनायें और टीम्स में ई-व्हीकल्स को बढ़ाया जाए। हमारे यहां जो भी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, उसमें डीजल को बन्द कर दिया गया है।

श्री सभापति- ठीक है।

चिकित्सा विभाग

श्री सुनील शर्मा- मान्यवर, चिकित्सा विभाग एजेंडे में नहीं है।

श्री सभापति- आपके यहां नए आयुष्मान कार्ड कितने बन गये है?

श्री सुनील शर्मा- मान्यवर, हमारे यहां 1 लाख 48,000 कार्ड बन गये है और अभी अभियान चल रहा है।

श्री सभापति- अभी जो नया वैरिएन्ट आया है, उसकी क्या स्थिति है?

श्री सुनील शर्मा- मान्यवर, हमारे यहां अभी 3 केसेज निकले है, एक्टिव है। हमने जांच के लिए सैम्पल भेजा हुआ है, लेकिन रिपोर्ट नहीं आयी है।

श्री सभापति- क्या जे.एन.-1 वैरिएन्ट खतरनाक है?

श्री सुनील शर्मा- मान्यवर, अभी कुछ कह नही सकते है।

श्री सभापति- क्या आप लोगों को सावधानियों के विषय में जागरूक कर रहे है?

श्री सुनील शर्मा- मान्यवर, सावधानियों के विषय में जागरूक किया जा रहा है।

श्री सभापति- नोएडा को लेकर हम बहुत चिन्तित है। चिन्तित इसलिए है, क्योंकि दूसरे विभागों के जो मामले होते है वह बहुत जल्दी एक-एक दिन में 25-25 पैरा आते है, 15-15, 20-20 पैरा हम ड्रॉप कर देते है। इसमें किसी भी प्रस्तर को ड्रॉप करने में हमें भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि सारे मामले टेक्निकल और हैवी एमाउण्ट्स के है। दो बैठकें हमारी पहले हुई है आज तीसरी बैठक है, हमें नही लगता है कि आज भी कोई प्रस्तर ड्रॉप हो पायेगा। हम यह कहना चाहते है कि आपकी जितनी भी आपत्तियां है, क्या वह आपकी जानकारी में है? हम आपको उपलब्ध करा देंगे उनके पैरा नम्बर आपको दे देंगे बाकी डिटेल आप ले लेना कि आपत्ति क्या है? क्या यह सम्भव है कि आप अधिकारियों को लगाकर रेग्युलर वर्क करायें। हम एक उप समिति इसी के लिए नियुक्त कर देंगे जो आपके साथ लखनऊ में बैठकर इस पर विचार-विमर्श करे और आपके अधिक से अधिक पैरे निस्तारित हो जायें। यदि आप लोग तैयार हों तो हम तीन मा0 सदस्यों की एक उप समिति बना देंगे और आप उनके साथ लखनऊ में बैठ लीजिए। ऑडिट विभाग की भी उसमें भागीदारी चाहिए।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, भागीदारी तो चाहिए, लेकिन मूल पत्रावलियां भी साथ में हों तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री सभापति- आप दोनों लोग एक-दूसरे से क्वार्डिनेट करके उसमें जो आवश्यक साक्ष्य चाहिए, वह साक्ष्य लेकर आप जाइयेगा। 3 बैठकों में अगर हम एक भी प्रस्तर नहीं निपटा पाए तो कैसे इनका निराकरण हो पाएगा। यह चिन्ता का विषय

है। जो आपको लगता है कि यह प्रस्तर ड्रॉप हो सकते है, वह आप बता दीजिए।

श्री संजय खत्री- मान्यवर, इसी में जो सेकेण्ड है, उसमें ऑडिट टीम की आपत्ति है कि हमने 20,400/- रेट लगाया है और आपका कहना है कि रेट 22,440/- होना चाहिए तो जिस समय हमने आर्डर जारी किया है, उस समय 03.05.2010 को हम लोगों का रेट 20,400/- अप्लीकेबल था, वह रेट तो सारा डाक्यूमेन्टेड रहता है, फाइल में रहता है। जब ऑर्डर जारी हुआ है, उसके बाद से जो भी हमारे पास आयेगा हम वही रेट लगायेंगे। यहां तो पूरी गुंजाइश है कि यह प्रस्तर ड्रॉप हो सकता है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, यह जो पूरी आपत्ति है, आपत्ति का क्रमांक-1, 15 नम्बर है। उसी 15 नम्बर में दो प्रस्तर हैं। आपत्ति इनकी वैसे भी नहीं कट पायेगी, क्योंकि पूरा प्रस्तर ही लॉ विभाग को जा रहा है। बढ़ी हुई दरों का पत्र 03 मई, 2010 को जारी हुआ है और इन्होंने 31.03.2010 को फर्म को पत्र जारी कर दिया था, लेकिन यह बात साक्ष्यों के रूप में तो इस समय बहुत सही लग रही है, लेकिन 5 साल इसका ऑडिट चला था। इस बात की पुष्टि उस समय पत्रावली पर नहीं पायी गयी थी। हमारा यह कहना है कि 5 साल ऑडिट चला था, उस समय यह पत्र नहीं आया था।

श्री सभापति- अगर यह मान लिया जाए तो ठीक है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, आपत्ति नहीं कटेगी। आपत्ति का क्रमांक-1 ही है।

श्री संजय खत्री- मान्यवर, इस आपत्ति का एक भाग तो कट जायेगा। हम आपको पत्र दिखा देंगे।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- आप आंशिक रूप से भी कैसे काट सकते हैं। आपत्ति तो मूल रूप में बनी रहेगी।

श्री सभापति- आपत्ति तो अलग-अलग विषय की है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे थे, यह उसी का दूसरा भाग है।

श्री संजय खत्री- मान्यवर, हम एक बार आपको पत्र दिखा देते ताकि इस बिन्दु पर भविष्य में हमको चर्चा न करनी पड़े।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- आपकी बात हम मान रहे है, क्योंकि जब आपने यह कहा कि पत्र है तो उसको नकारने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन हमारा यह कहना है कि जो बैलेंस है, उस आपत्ति से बैलेंस नहीं घटेगा।

श्री स्वतंत्र कुमार- मान्यवर, जैसे आप कह रहे हैं कि हर पत्रावली देखेंगे तो जैसे उप समिति बन रही है तो हम सब प्रकरण दिखाने की हालत में है। आप जब भी अध्ययन-भ्रमण का कार्यक्रम बना लें तो हम आपको दिखा देंगे। क्योंकि बहुत सारी आपत्तियां एक ही प्रकार की हैं।

श्री सभापति- समिति के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद इनको समिति के अतिरिक्त कोई अधिकार नहीं है, उस विषय पर यह देख लें। समिति निर्देशित करेगी, आप दोनों पक्ष आयेंगे। समिति के समक्ष आप रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। निर्णय तो समिति को करना है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, यह आपत्ति 15 नम्बर है, जिस पर अभी हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया है। इसमें कोई दो हिस्से नहीं है। यह आपत्ति में ही बताया गया है कि जो हमारे एमाउण्ट में अन्तर है, उसके दो कारण है। इन दो कारणों में से एक कारण का जवाब इस समय संतोषजनक दे रहे है, जो प्रतीत हो रहा है, लेकिन हमारी आपत्ति तो 15 नम्बर है। यह तो कटी नहीं है। इसमें दो प्रस्तर भी नहीं दिये गये है कि हम आंशिक रूप से काट दें। आपत्ति का नम्बर ही 15 है।

श्री सभापति- यह प्रस्तर अभी लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

क्रम संख्या-2, प्रस्तर संख्या-भाग-(क), प्रस्तर-17, आपत्ति-17- ग्रुप हाउसिंग भू-खण्ड सं0 01/सी सेक्टर 143(बी) में विवादित भूमि होने पर भी अनियमित रूप से आवंटित किया जाना एवं विलम्ब से कब्जा प्राप्त होने के कारण 'जीरो पीरियड' घोषित करने से रु04,40,40,737-00 के ब्याज की एवं स्कीकृत एफ.ए.आर. से अधिक निर्माण करने पर क्रय योग्य एफ.ए.आर. हेतु देय शुल्क एवं शमन शुल्क न लेने से रु0 3,63,24,705-00 सहित कुल रु0 8,03,65,442-00 की आर्थिक क्षति।

श्री संजय खत्री- 'मान्यवर, इसमें कुल 3 क्लॉज थे और जब हम लोगों ने इनको भूमि आवंटित की तब हम इनको पूरी भूमि का कब्जा नहीं दे पाये। तीनों क्लॉजों में माइनस लगा। 3602.41 वर्गमी0 एक था इस तरह से 510.35 वर्गमी0 माइनस में रहा। हम उस समय उनको कब्जा नहीं दे पाये थे। हम लोगों ने इनके साथ फाइनल लीज डीड 19.08.2011 को किया है। जिस दिन लीज डीड किया, उसी के बाद हम लोगों ने इनसे जो भी ब्याज, प्रीमियम लेना था, उसकी गणना की। आपका कहना है कि जब आपने 10 अगस्त, 2010 को मूल आवंटन किया था और जब हमने वास्तव में लीज डीड किया या उसको कब्जा दिया है, उसके पहले के पीरियड को हम लोगों ने शून्य इसलिए घोषित किया, क्योंकि

उनको हम लोगों ने न तो कब्जा दिया था और न लीज डीड दिया था। लीज डीड करने के बाद ही हमारे सारे जितने प्रीमियम या ब्याज है, वह लागू होने है तो हम लोगों ने एक वर्ष का जो शून्य पीरियड दिया, उसके लिए आपका कहना है कि उससे आर्थिक नुकसान हुआ है। हमारा कहना है कि जब हम लीज डीड करेंगे, कब्जा देंगे तभी हमारी बाकी सारी चीजें लागू होती है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, जैसे आर्थिक मन्दी की बात कर रहे है, उस समय भी नोएडा ने 15 लाख वर्गमी0 जमीन बेची थी। वैश्विक मन्दी तो थी, लेकिन भारत में मन्दी नहीं थी। उस समय इनके पास हजारों करोड़ रुपये का बैक बैलेंस था, लैड बैक था और इनके पास जमीन भी थी, लेकिन जहां तक हमारी इस आपत्ति की बात है, उस आपत्ति में दो हिस्से है। मुख्य आपत्ति तो यह है कि जमीन पर कब्जा नहीं लिया और एलॉटमेन्ट कर दिया गया। उसमें भूखण्डों के दो साईज थे, एक 2.1670 हेक्टेयर और एक 4080 वर्गमी0 था। 4080 वर्गमी0 की स्थिति यह है कि आज की डेट में भी यह उसका अर्जन नहीं कर सके है। दूसरा जो 2.1670 हेक्टेयर था, इसमें पहली आपत्ति तो यह है कि आपने बिना उसको अर्जित किये ही एलॉट कर दिया, यह अच्छा निर्णय नहीं था। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने आर्थिक मन्दी का हवाला देते हुए उसको सबडिवीजन किया तो जब इन्होंने उसको सब डिवीजन किया तो हमारी आपत्ति का आधार आर्थिक मन्दी की चुनौतियों से निपटने के लिए इन्हीं के संबंध में आदेश जारी हुआ था। इस आदेश में साफ-साफ लिखा है कि जब किसी भी इस तरह के भूखण्ड को आप टुकड़ों में करेंगे तो किसी का भी एरिया 20,000 वर्गमी0 से कम नहीं होगा, लेकिन आपने बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लाकर उसको अलग-अलग टुकड़ों में बांटा, जिसका साईज 20,000 वर्गमी0 से कम था। हमारे कहने का मतलब यह है कि बोर्ड के प्रस्ताव से उस समय की आर्थिक मन्दी से निपटने के लिए पार्टिकुलर जी0ओ0 का आप वॉयलेशन नहीं कर सकते थे।

श्री सभापति- क्या इसमें कोई वित्तीय हानि हुई है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, जो प्रीमियम नहीं भर पाए, उसकी वजह से इसमें जो धनराशि लिखी गयी है, वह 4 करोड़ 40 लाख 40,000-00 है। इसी आपत्ति का एक हिस्सा और है, जिसमें इन्होंने बिना परमीशन के एफ.ए.आर. से अधिक निर्माण कर लिया था। उस पर परिशमन शुल्क नहीं दिया था, जिससे 3 करोड़, 63 लाख 24,705 हो जाता है। कुल मिलाकर 8 करोड़ 3 लाख 65,442 की आर्थिक क्षति हुई है।

श्री सभापति- आर्थिक क्षति की गणना आपने किस आधार पर की है? जमीन इनके पास में है, कब्जा इनके पास में है। इनके मास्टर प्लान में है, इन्होंने एलॉट कर दिया और आपने उस पर गणना कर दी।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, जो इन्होंने किश्त लीड की है, उस पर गणना की है, जो इन्हीं के यहां 14 परसेन्ट का प्राविधान है, उस पर गणना की है।

श्री सभापति- जब भूमि ही नहीं है तो किश्त क्यों देगा?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, एलॉटमेन्ट क्यों कर दिया।

श्री सभापति- ठीक है, प्रत्याशा में कर दिया, लेकिन भूमि नहीं है, कब्जा नहीं है, लीज नहीं है, ब्याज किस बात का लेंगे?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, नियमावली का प्राविधान तो इन्हीं का है।

श्री सभापति- क्या प्राविधान है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, समय से न जमा होने पर 11 की जगह 14 परसेन्ट ब्याज इन्हीं का प्राविधान है।

श्री सभापति- ठीक है, वह उन पर ही तो लागू होगा, जहां जमीन इनके कब्जे में होगी। जब भूमि इनके कब्जे में नहीं है, लेकिन एक योजना बनायी है कि हां हम ऐसा करेंगे तो इस पर मै समझता हूं कि गणना नहीं होनी चाहिए।

श्री संजय खत्री- मान्यवर, कब्जे से पहले की गणना नहीं कर सकते हैं। जब कब्जा दिया है, उसके बाद की गणना तो हो सकती है।

श्री सभापति- जब भूमि अथॉरिटी के कब्जे में आ जायेगी तब यह ब्याज ले सकते हैं।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इसमें दो बातें और भी हैं, जो फाइल में देखने से पता चलती है।

श्री सभापति- आपने अभी तक दो बातें कही है। एक तो कहा है कि शासनादेश में वॉयलेशन है, उस पर तो शासन को विचार करना चाहिए और भविष्य में ध्यान रखा जाए। दूसरा वित्तीय क्षति है, वित्तीय क्षति इसलिए नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि जब जमीन ही अथॉरिटी के कब्जे में नहीं है तो वित्तीय क्षति कहां से होगी। न तो इन्होंने कुछ लिया है न कुछ दिया है। केवल कागजों में लिखत-पढ़त कर रहे हैं।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इसमें एक 3 करोड़ 63 लाख की आपत्ति है, जिसमें इन्होंने बिना परमीशन के कन्स्ट्रक्शन किया है।

श्री संजय खत्री- मान्यवर, पहले हम लोग इसी पर बात कर लें। जब यह क्लीयर हो तो इसके आगे बाद में चलें।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मा0 सभापति महोदय ने अपना निर्णय दे दिया है कि जब उन्होंने अर्जन ही नहीं किया तो हम उनसे पैनल्टी कैसे ले सकते है। इसी में जो दूसरा हिस्सा है जो उसने बिना परमीशन के बनाया था, उस पर 200 रुपये का अतिरिक्त चार्ज लगना था, वह आपने नहीं लगाया, जिसकी वजह से 3 करोड़ 63 लाख की क्षति हुई है, जिसको इन्होंने माफ कर दिया है।

श्री सभापति- इस पर विभाग का क्या कहना है?

श्री इश्तियाक अहमद- मान्यवर, नोएडा अथॉरिटी ने जब एक बार प्लान जमा करवा दिया तो उसके बाद वह निर्माण प्रारम्भ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जब तक मानचित्र स्वीकृत नहीं हो तब तक वह निर्माण ही प्रारम्भ नहीं कर सकता है।

श्री सभापति- मान लीजिए उसका नक्शा रिजेक्ट हो गया तो वह क्या करेगा?

श्री इश्तियाक अहमद- मान्यवर, यहां रिजेक्शन का क्वेश्चन ही नहीं आता है, क्योंकि सारे प्लॉट अथॉरिटी के द्वारा ही एलॉट किये हुए होते है। हम बाहरी जमीन पर कोई भी नक्शा पास ही नहीं करते है।

श्री सभापति- अथॉरिटी का प्लान है और मानदंड के अनुरूप नक्शा दाखिल नही किया तो क्या आप रिजेक्ट नहीं करेंगे?

श्री इश्तियाक अहमद- मान्यवर, हमारे यहां प्लान का प्रोसेस होता है। मान लीजिए प्रोसेस में कोई देरी हो गयी और अगर उसने निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया तो हमारे यहां यह है कि हम ओ0सी0 जमा करवाते है, कम्प्लीशन सार्टिफिकेट के लिए आयेगा तो हम उसकी कम्पाउंडिंग लगायेंगे।

श्री सभापति- आप जो पैनल्टी की बात कह रहे है कि बिना नक्शा पास कराये उसने निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया तो उसके वितरीत इनको उससे कुछ लेना था, यह किस नियम के अन्तर्गत लेना था।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इनकी नियमावली में यह प्राविधान है।

(अंग्रेजी में नियमावली का भाग पढ़ा गया।)

श्री सभापति- यह तो कम्पाउंडिंग का है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, यह अलग है।

श्री सभापति- अनसेंक्शन जो इन्होंने बना लिया, उस पर यह कम्पाउंडिंग चार्ज ले सकते है। आपने कहा कि नक्शा अप्रूव्ड हुए बगैर उसने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, इसलिए पैनल्टी लगेगी।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- (नियमावली का अंग्रेजी पार्ट पढ़ा गया।) यह तो इनकी नियमावली का प्राविधान था, जो इन्होंने माफ कर दिया।

श्री इश्तियाक अहमद- मान्यवर, माफ नहीं किया है, कम्पाउंडिंग लगाकर भेजा है। उसने पैसा जमा नहीं किया है, इसलिए उसका ओ0सी0 वगैरह कुछ भी जारी नहीं किया है।

श्री संजय खत्री- मान्यवर, इसमें दो पार्ट हैं। एक तो कम्पाउंडेबल का है। आपकी एक आपत्ति यह है कि कम्पाउंडेबल का 5 करोड़ ले गया, बाकी कुल 2891.67 वर्गमी0 उसने जो एडिशनल बना लिया था, कुल 9.5 परसेन्ट होता है, वह उसने एडिशनल बना लिया और उसका कुछ नहीं दिया। उसमें कोर्ट का जो अप्रुवल है, कोर्ट की 145वीं बैठक में ही है कि आवासीय ग्रुप हाउसिंग औद्योगिक वाणिज्य संस्थागत भवन के निर्माण के उपरान्त अतिरिक्त एफ.ए.आर. से 10 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत का निर्माण समायोजन शुल्क के अन्तर्गत नियमित किये जाने का प्राविधान है। हम इसको नियमित कर सकते थे।

श्री इश्तियाक अहमद- मान्यवर, अभी नियमित हुआ नहीं है। अभी उसने पैसा जमा ही नहीं किया है।

श्री सभापति- अगर पैसा जमा नहीं किया है तो फिर आपने क्या किया है?

श्री इश्तियाक अहमद- मान्यवर, आज की डेट में यह मामला एन.सी.एल.टी. में चल रहा है। ओ0सी0 जारी नहीं किया है। हमारे यहां जब तक ओ0सी0 जारी होती है तब तक रजिस्ट्री नहीं होती है। हम आज की डेट में उनसे पैसा वसूल भी नहीं सकते हैं।

श्री संजय खत्री- मान्यवर, वह जितना पैसा 2,891 बनता है, उसके लिए हो सकता है कि दसों लेटर जारी किये हों कि आप अपना-अपना इतना-इतना पैसा जमा कराइये ताकि आपकी ओ0सी0 जारी की जा सके और रजिस्ट्री हो सके। अथॉरिटी ने तो कभी माना ही नहीं है कि वह हमको वसूलना नहीं है, वह तो हमारा ड्यू हो ही रहा है। यह अलग बात है कि यह मामला एन.सी.एल.टी. में चला गया है तो विलम्ब हो रहा है।

श्री सभापति- एल.सी.एल.टी. में आर0पी0 का क्या काम है?

श्री इश्तियाक अहमद- मान्यवर, कोई न कोई प्लान फाइनल होगा कि किस तरीके से अल्टीमेटली एलॉटीज को उनके प्लॉट हैण्डओवर किये जायें।

श्री सभापति- इन्होंने एन.सी.एल.टी. में अपना क्लेम दाखिल कर दिया है, ओ0सी0 नहीं दिया है, डिमाण्ड की है तो फिर ऑडिट का कोई विषय नहीं रहा है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, जैसा मा0 समिति ठीक समझे। जिस मामले में शासन के जी0ओ0 का उल्लंघन हुआ है, उसमें शासन से स्वीकृति भी लेनी चाहिए थी। जी0ओ0 का वॉयलेशन करते हुए बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लाया

गया। हमारे कहने का मतलब यह है कि जब जी0ओ0 का वॉयलेशन हुआ है, जब उत्तरदायित्व निर्धारण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कार्योत्तर का अनुमोदन शासन से लेना चाहिए था।

श्री सभापति- शासन को भी तो देखना चाहिए था कि आदेशों का उल्लंघन हो रहा है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, शासन को तो हम ही लोग बतायेंगे।

श्री सभापति- जब बैठक में समिति के समक्ष यह बात होगी तो शासन रहेगा। भविष्य में शासनादेशों की अवहेलना न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए और संबंधित प्रकरण से शासन को अवगत करा दें। मेरा यह सुझाव है कि आप पूरे पैराज ले लीजियेगा और उस पर जितने प्रस्तर निस्तारित हो सकते है, उनको आप तैयार करियेगा। हम एक उप समिति गठित करके एक विशेष बैठक बुलाकर निस्तारित कर देंगे। इस प्रस्तर को अभी लम्बित रखते हैं।

(लम्बित)

क्रम संख्या-3, प्रस्तर संख्या-भाग-(क), प्रस्तर-18, आपत्ति-18 ग्रुप हाउसिंग भू-खण्ड सं0 01/ए सेक्टर 74 (मै0 सुपरटैक) द्वारा किश्तों तथा भू-भाटक के रूप में बकाया धनराशि रु0 7,65,00,000-00 जमा न किया जाना तथा अन्य अनियमितताओं के कारण प्राधिकरण को आर्थिक क्षति।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इसमें भू-भाटक के रूप में 7,65,00,000-00 रुपये बकाया था। इसमें आपत्ति नम्बर एक यह है कि सी.सी.डी.-1 के साईट प्लान के हिसाब से भूखण्ड का क्षेत्रफल 9271.47 वर्गमी0 अधिक दर्शाया गया था। यह बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कहां से, किस आदेश से आया यह स्पष्ट नहीं था। अब अनुपालन में बताया गया है कि 2,00,000-00 के स्थान पर 2,10,098.49 वर्गमी0 है। प्रोजेक्ट इंजीनियर ने बताया कि 2,09,271.47 वर्गमी0 है, जबकि सहायक महाप्रबंधक ने बताया कि प्रोजेक्ट इंजीनियर की गणना गलत है, लेकिन यह नहीं बताया कि वस्तुस्थिति क्या है?

श्री संजय खत्री- मान्यवर, जितना एडिशनल था, उतना पैसा उनसे जमा करा लिया था, इससे आर्थिक क्षति बिल्कुल भी नहीं हुई है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- अगर बढ़ा हुआ पैसा जमा करा लिया है तो क्या उसका साक्ष्य आपने संलग्न किया है?

श्री संजय खत्री- मान्यवर, इसका साक्ष्य हम आपको अभी उपलब्ध करा देंगे।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इसमें दूसरी आपत्ति यह है कि जो हरित क्षेत्र में परिवर्तन किया गया था, उसके संबंध में यह ले आउट दिखा दें कि उसको कहां ले जायेंगे? इसमें अगर साक्ष्य मिल जायेगा तो यह प्रस्तर निस्तारित हो

जायेगा। जो पत्र और चालान जिसके द्वारा बढ़े हुए 21,88,43,778/- रुपये जमा कराये गये है, उसका साक्ष्य नहीं है बस यह साक्ष्य दे दें।

श्री स्वतंत्र कुमार- हम लोगों ने वित्त से वेरीफाई कराकर दे दिया है कि यह पैसा जमा हो गया है। आपका कहना है कि चालान दिखा दीजिए तो हम चालान भी दिखा सकते है।

श्री सभापति- क्या अभी आप कोई साक्ष्य लेकर आये है?

श्री स्वतंत्र कुमार- मान्यवर, अभी तो हम लोग पत्र लेकर आये है, जिससे हम लोगों ने कन्फर्म किया था। वह पत्र साक्ष्य के रूप में लगाकर आपको दे दिया है।

श्री सभापति- ठीक है, आप चालान दिखा दीजियेगा। इसको भी ड्रॉप करने की रिकमंडेशन की जा सकती है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इसमें दूसरी आपत्ति यह है कि जो हरित क्षेत्र में परिवर्तन किया गया था, उसके संबंध में यह ले आउट दिखा दें कि उसको कहां ले जायेंगे तो इसको भी निस्तारित करने की संस्तुति की जा सकती है।

श्री इश्तियाक अहमद- मान्यवर, सेक्टर-74 में कुछ एरिया रेजीडेंशियल में मार्क था, कुछ एरिया हरित क्षेत्र में मार्क था। हरित क्षेत्र में जो रेजीडेंशियल मार्क था, वह आबादी के नजदीक था तो हमने इंटरचेंज किया है। न तो हरित क्षेत्रफल में चेंज हुआ है और न ही रेजीडेंशियल एरिया में चेंज हुआ है। इंटरचेंज इसलिए किया कि ग्रामीण आबादी है और सेक्टर का जो प्लॉट है, उसके बीच में एक बफर क्रिएट हो जाए और वहां एक अच्छा सा पार्क डेवलप हो सके जो कि प्लॉट होल्डर्स के काम आ सके।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इंटरचेंज किया है, 2 लाख 49,410 वर्गमी0 का एरिया है। इंटरचेंज का कुछ साक्ष्य तो देंगे।

श्री इश्तियाक अहमद- मान्यवर, एक्सचेंज करने का प्रपोजल भी हमने सरकार से अप्रुवल लेकर ही किया है। हम प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में ले गये कि हम इस तरीके से एक्सचेंज करना चाहते है, उसके बाद जनता से आपत्तियां एवं सुझाव एकत्रित करके प्रस्ताव शासन को भेजा और सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया।

श्री सभापति- सरकार द्वारा जो अप्रुवल किया गया है, वह पत्र आप ऑडिट को उपलब्ध करा दीजिए।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इन्होंने जो इंटरचेंज किया है, उसमें कितना एरिया इंटरचेंज किया है, उसका साक्ष्य चाहिए।

श्री इश्तियाक अहमद- मान्यवर, मैं पूरे सेक्टर-74 का सारा प्लान कि कितना एरिया एक्सचेंज किया है, उसके सारे साक्ष्य आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, हरित क्षेत्र में कई बार ऐसे भी परिवर्तन हो जाते है जब शिकायत होती है, जांच होती है तब पता चलता है। जिस दौर में यह सब हुआ है, उस दौर में कुछ भी असंभव नहीं था।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, प्रस्तर-18 में ही बिन्दु संख्या-3 है। जिसमें मोनोटोरियम का लाभ दिया गया था, जिसमें यह था कि उसका लाभ देने के बाद भी 66.19 करोड़ की धनराशि बकाया थी। अनुपालन में बकाये के जमा के संबंध में कुछ नहीं कहा गया था। यह जमा हुआ है या नहीं हुआ है?

श्री संजय खत्री- मान्यवर, शासन का आदेश है, उसी के क्रम में मोनोटोरियम दिया गया था।

श्री सभापति- वह ठीक है। मोनोटोरियम पर इनकी आपत्ति नहीं है। इसके बाद भी 66.19 करोड़ की धनराशि बकाया थी।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, मोनोटोरियम आपने कर दिया वह सही है, लेकिन बकाये की धनराशि जमा हो गयी है या नहीं हुई है?

श्री सभापति- क्या इसमें 66.19 करोड़ रुपये बकाया है?

श्री स्वतंत्र कुमार- मान्यवर, बकाया है। ब्याज वगैरह बढ़कर काफी हो गया है तो केस दाखिल किया है।

श्री सभापति- इसका मतलब है कि आपने डिमाण्ड दाखिल कर दी है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, कितना बकाया है, क्योंकि आपने कहा कि प्राधिकरण के पत्र दिनांक 05.09.2014 के द्वारा बकाया धनराशि रुपये 66.19 करोड़ दिखायी गयी जबकि उसके 10 दिन बाद दिनांक 16.09.2014 को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें बकाया धनराशि मात्र रु0 31.19 करोड़ दर्शायी गयी थी। इनके यहां डिमाण्ड कलेक्शन रजिस्टर नहीं था, इसका क्या कारण है?

श्री स्वतंत्र कुमार- मान्यवर, दिनांक 10.09.2014 तक प्राधिकरण में जमा कराने हेतु आवंटी के अनुरोध पत्र दिनांक 03.09.2014 के क्रम में पत्र निर्गत किया गया था। जारी मांग पत्र में किश्तों की मद में सातवी किश्त देय दिनांक 16.02.2014 त्रुटिवश रु0 47 करोड़ के स्थान पर आवंटन पत्र में उल्लिखित किश्त रु0 58.61 करोड़ को जोड़ते हुए एवं तत्समय आवंटी द्वारा भूखण्ड के विरूद्ध जमा धनराशि बैंक व प्राधिकरण के खाते से मिलान न होने के कारण बिना समायोजन के गणना दिनांक 10.09.2014 तक की गयी थी। उसी के 5 दिन बाद फिर इसको संशोधित करके सही डिमाण्ड जारी कर दी गयी थी।

श्री सभापति- सही डिमाण्ड कितनी है?

श्री स्वतंत्र कुमार- मान्यवर, कुल 31.23 लाख जमा कराने हेतु पत्र जारी हुआ था।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, यह जमा नहीं हुआ? अगला बिन्दु लेबर सैस का है।

श्री इश्तियाक अहमद- मान्यवर, जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है, उसका एक परसेन्ट लेबर सैस लिया जा रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक साथ नहीं होता है। 5 साल का पीरियड होता है तो यह हुआ कि यह जो एमाउण्ट है, वह 5 साल में डिवाइड कर लिया जाए। 20 परसेन्ट नक्शा स्वीकृत करते समय लिया जाए और जब ओ0सी0 जारी हो, उस समय लेबर सैस डिपार्टमेन्ट से एक एन0ओ0सी0 ले ली जाए। 9 लाख 66,480 वर्गमी0 एरिया था, 100 रुपये उस समय दर थी, एक प्रतिशत यानी हजार रुपये प्रति वर्गमी0 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता था। उस हिसाब से 9 करोड़ 66 लाख 48,000 रुपये कुल एमाउण्ट आता था, उसका 20 परसेन्ट 1 करोड़ 93,00000 था। संबंधित पार्टी ने 2,00000 रुपये प्राधिकरण में जमा करवाया, उसके बाद प्राधिकरण ने नक्शा पास किया।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, 14 जुलाई, 2017 को यह ऑडिट समाप्त हुई है। ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इतना पैसा उस समय जमा था। पिछले छः सालों में उसके बाद कुछ भी पैसा जमा नहीं हुआ है। आपने जिन 5 किश्तों का अनुबन्ध किया था, क्या उसके हिसाब से स्थिति में कुछ परिवर्तन आया है?

श्री इश्तियाक अहमद- मान्यवर, यह कोई अनुबन्ध नही किया था। यह प्राधिकरण का एक जनरल आदेश है कि हर एक से नक्शा स्वीकृति से पहले 20 परसेन्ट ले लिया जायेगा।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- हमारा कहना है कि यह आपत्ति वर्ष 2011-12 की है। 2017 में जब इसका ऑडिट समाप्त हुआ तब भी यह पैसा उसने केवल 2 करोड़ 2,00000 ही जमा किया था। उसके बाद से 6 साल हो गये हैं।

श्री इश्तियाक अहमद- मान्यवर, उसे जमा नहीं कराना होता है। उसे लेबर सैस में जमा करवाकर वहां से एन0ओ0सी0 लेनी होती है, क्योंकि वह धनराशि हमारी नहीं है, वह लेबर डिपार्टमेन्ट की है।

श्री सभापति- 20 परसेन्ट यह ले लेते हैं। बाकी जब ओ0सी0 देते हैं तब उनसे एन0ओ0सी0 लेते हैं। क्या इनका पूरा नक्शा कम्प्लीट हो गया है।

श्री इश्तियाक अहमद- मान्यवर, जब ओ0सी0 जारी होगी तब हम इनके सारे एमाउण्ट का वैरीफिकेशन करेंगे।

श्री सभापति- अब तक ओ0सी0 जारी न होने का क्या कारण है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, जो लेबर सैस ऐड है, उसके हिसाब से मानचित्र स्वीकृति के समय ही उनका पैसा देर से जांचा गया था। उसमें प्राधिकरण, नगर पालिका या लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है कि वह पैसा लेकर अपने यहां से चेक या चालान के माध्यम से पैसा जमा करके उनको सूचित करता है।

श्री सभापति- यह बात ठीक है कि छोटे नक्शों पर तो ले लिया, लेकिन अगर हम न्याय की दृष्टि से देखें तो किसी भी चीज पर सैस तब लिया जाएगा जब वह एग्जीक्यूटिव होगा। मान लीजिए मैंने नक्शा पास करा लिया तो लेबर सैस तभी तो पड़ेगा जब मै बिल्डिंग बनाऊंगा और मैंने बिल्डिंग बनायी नहीं है, लेबर सैस मैं जमा कर रहा हूं। औचित्यपूर्ण नहीं है, लेकिन लोग जमा नहीं करते है। जैसे सरकारी विभागों में जीएसटी या इनकम टैक्स 1 परसेन्ट जमा करा लिया जाता है ताकि इनकम टैक्स वालों को पता रहे कि इतना काम किया है। अब यह लेबर सैस विभाग का भी अपना काम है कि वह अपनी वसूली करें।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इसमें जिम्मेदारी डी0डी0ओ0 को दी गयी है जैसे इनकम टैक्स में दी गयी है। जो काम करेगा वह उसकी जिम्मेदारी है कि वह टैक्स काटकर वहां जमा कराये, इनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। इनकी जिम्मेदारी इन्हीं की है कि वह उससे लेकर वहां जमा करायें।

श्री सभापति- जब यह परिपाटी है कि 20 परसेन्ट जमा कराकर उसको कम्प्लीशन देते है तब उसका नो ड्यूज ले लेते है कि वह वहां जमा कर दें। क्या ऐसे कुछ जमा हुए हैं?

श्री इश्तियाक अहमद- मान्यवर, 2 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। एन0सी0एल0टी0 में प्रोजेक्ट चला गया है। इसमें लगभग 765 करोड़ रुपये बकाया है। आज की डेट में इस प्रोजेक्ट का ओ0सी0 जारी नहीं हुआ है। जिस दिन ओ0सी0 जारी हो जाएगा, उस दिन सौ प्रतिशत जमा कराया जाएगा।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- क्या यह बिल्डिंग कम्प्लीट हो गयी है?

श्री सभापति- कम्प्लीट तो तब होगी जब ओ0सी0 जारी करेंगे।

श्री सतीश पाल- मान्यवर, वह ओ0सी0 के लिए हमसे डिमाण्ड करेंगे।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- अगर उन्होंने अपना सब बनाकर बेच दिया तो वह डिमाण्ड क्यों करेंगे? वह न तो इनको भुगतान कर रहा है न लेबर सैस का भुगतान कर रहा है। यह जो 2 करोड़ रुपये बता रहे हैं, वह तो ऑडिट ने भी लिखा हुआ है कि 2 करोड़ रुपये जमा हैं। हम तो यह जानना चाह रहे है कि उसके बाद से उसने कोई किश्त जमा की या नहीं की है?

श्री सभापति- यह तो अंडरस्टुड है कि उसने कोई किश्त जमा नहीं की है। जमा समिति कल्याण बोर्ड में करनी है, समिति कल्याण बोर्ड में वह तब जमा करेगा जब उनसे ओ0सी0 लेना होगा।

श्री संजय खत्री- मान्यवर, जब ओ0सी0 देंगे तब लेबर सैस और सारे डिपार्टमेन्ट का आप एन0ओ0सी0 लेंगे। हमारी जिम्मेदारी तब आयेगी जब हमारे पास ओ0सी0 के लिए आयेगा। उसके पहले हमारी जिम्मेदारी नहीं आती है।

श्री सभापति- इस प्रस्तर की निस्तारित करने की संस्तुति की जा सकती है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, अगर एन0सी0एल0टी0 में प्रकरण विचाराधीन है तो इनके हिसाब से भी उस पर 662 करोड़ 47 लाख रुपये बकाया है, जिसका इन्होंने उसको नोटिस दे रखा है। हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर एन0सी0एल0टी0 में प्रकरण है और उसी के आधार पर इसको निस्तारित करना है तो निस्तारित किया जा सकता है।

श्री सभापति- मामला एन0सी0एल0टी0 में विचाराधीन है। इसमें पैसा कही गुम हो जाएगा, वह स्थिति नहीं है। चूंकि विवाद चल रहा है और सरकारी संस्थाओं का पैसा है, वह बिल्डर से लेना है। उसकी फार्मेलिटी तभी पूरी होगी जब वह पैसा जमा कर देगा। मै समझता हूं कि ऑडिट ऑब्जेक्शन की ओर से उसको समाप्त किया जा सकता है। यह कर सकते है कि जो ऐसे बिल्डर्स हैं, जिनसे आपने 30 परसेन्ट राशि ली है। समिति कल्याण बोर्ड में लेबर विभाग है, उनसे यह कहा जाए कि उन्हें नोटिस देने से किसी ने नहीं रोका है। जब इनलीगल बस्तियां जो बना लेते है, फ्री होल्ड होते है, वहां उनको 10-10, 20-20 हजार के नोटिस देते हैं। मेरे यहां गाजियाबाद में भी है। पुरानी बस्ती है, 20 साल से मकान बने हैं, उसको उन लोगों ने नोटिस दे दिया कि तुम 10 लाख जमा करो। इन्हें नोटिस देने में क्या दिक्कत है। आप न दें, लेकिन समिति कल्याण बोर्ड तो इनको नोटिस दे कि इतना पैसा बकाया है, आप दीजिए और 10-10, 20-20 हजार वालों को सता रहे हैं। समिति कल्याण बोर्ड वालों को निर्देशित किया जाए कि वह अपनी धनराशि की चिन्ता करें और वसूलने का प्रयास करें। ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट्स है, उनकी एक सूची बनाकर आप अपने विभाग की ओर से भी एक पत्र समिति कल्याण बोर्ड को भेजें कि कितना बकाया बनता है, जिनका इतना रुपया जमा है, जो आपको भेज दिया गया है और इतनी शेष धनराशि की वसूली की कार्यवाही करिये। एक विभागीय पत्र भेज दीजिए। अब आगे के प्रस्तरों पर चर्चा बाद में करेंगे।

बेसिक शिक्षा विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या-130, ऑडिट पैरा से संबंधित शीर्षक व प्रस्तर क्रमांक-7.2, कार्यालय/यूनिट का नाम-बेसिक शिक्षा समिति, गौतमबुद्धनगर (वर्ष-2013-14 से 2014-15), सम्प्रेक्षण अवधि/प्रतिवेदन वर्ष-2016-17, भाग/प्रस्तर-भाग-'क', प्रस्तर-1 व 2, सन्निहित धनराशि(रुपये में)-75,62,920/

श्री अभिषेक गुप्ता- मान्यवर, यह प्रस्तर हम लोगों ने पूर्व में मा0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था। यह प्रस्तर एच.आर.ए. से संबंधित है। 2008 में हमने 2012-13 तक के प्रस्तर मा0 समिति की बैठक में ड्रॉप कराये थे। यह उसी का कन्टीन्यूएशन 2013-14 और 2014-15 है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- क्या आप अनुपालन आख्या लाये है?

श्री अभिषेक गुप्ता- मान्यवर, हम अनुपालन लेकर आये हैं। 2008-09 से 2012-13 तक के प्रस्तर हमने मा0 समिति के समक्ष ड्रॉप कराये थे और यह 2013-14 व 2014-15 दो सालों के कन्टीन्यूएशन में उसके आगे की सेम आपत्ति है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- वह किस दिनांक की बैठक में ड्रॉप हुआ था?

श्री अभिषेक गुप्ता- मान्यवर, 22 नवम्बर, 2023 में यह आपत्ति कट चुकी है।

श्री सभापति- यह आपत्ति कटी नही है, यह उसी का क्रम है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, जिस आपत्ति के बारे में यह बता रहे हैं, उसकी कार्यवृत्ति नहीं है।

श्री सभापति- आप यह बताइये कि आपत्ति क्या है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, एच.आर.ए. की आपत्ति है। 8 किमी0 से अधिक का एच.आर.ए. उनको रूरल एरिया का दिया जाना था और उनको नगरीय दरों के हिसाब से एच.आर.ए. दे दिया गया था।

श्री सभापति- इसमें विभाग का क्या कहना है?

श्री अभिषेक गुप्ता- मान्यवर, इसमें हमने जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त दूरी प्रमाण पत्र संलग्न किया है।

श्री सभापति- यह कौन से गांव हैं?

श्री अभिषेक गुप्ता- मान्यवर, यह जनपद-गौतमबुद्धनगर के दादरी और दनकौर क्षेत्र के विद्यालय हैं, क्योंकि हमारे यहां तीनों अथॉरिटीज है और अथॉरिटी की परिसीमा भी है। जो उन्होंने नोटिफाइड कर रखा है, वह नगरीय क्षेत्र है, इसलिए उनको 'बी' श्रेणी का एच.आर.ए. दिया गया है।

श्री सभापति- विद्यालय कौन से थे?

श्री अभिषेक गुप्ता- मान्यवर, ब्लॉक दनकौन और दादरी के विद्यालय थे।

श्री सभापति- आपके जो पर्टिकुलर विद्यालय हैं, वह शहर के 8 किमी0 किसी भी रेंज के अन्तर्गत होने चाहिए। अगर 8 किमी0 की रेंज के बाहर है, दूसरा अथॉरिटी के क्षेत्र में है तो शहर माना जाएगा। ऐसे कौन-कौन से शहर है या सभी इसी श्रेणी में आ रहे है?

श्री अभिषेक गुप्ता- मान्यवर, सभी इसी श्रेणी में आ रहे हैं।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- आप यह बताइये कि वह विद्यालय गौतमबुद्धनगर में आता है, नोएडा में आता है या ग्रेटर नोएडा में आता है।

श्री सभापति- गौतमबुद्ध नगर तो जिला है। गौतमबुद्ध नगर जिले में नोएडा अथॉरिटी है, गौतमबुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा है, गौतमबुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेस वे है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, हमारा कहना यह है कि जिस शासनादेश के आधार पर आपत्ति उठायी गयी है, उसमें नोएडा का उल्लेख है, गौतमबुद्ध नगर का उल्लेख नहीं है, इस कारण से आपत्ति उठायी गयी है। इनका विद्यालय जनपद गौतमबुद्ध नगर की सीमा में है, क्योंकि जिला बेसिक शिक्षा समिति गौतमबुद्ध नगर ऑडिट करने गयी, लेकिन वह नोएडा में नहीं है और शासनादेश में नोएडा का जो अधिकृत क्षेत्र है, उसमें 'ए' क्लास के एच.आर.ए. की दर अनुमन्य है, इसलिए यह आपत्ति उठ रही है।

श्री सभापति- गौतमबुद्ध नगर तो नोएडा के अन्दर भी है, सेक्टर में भी है, उसका जिला गौतमबुद्ध नगर लिया जाएगा, वह गौतमबुद्ध नगर लिखा जाएगा। उसका पता क्या है?

श्री अभिषेक गुप्ता- मान्यवर, आप बिल्कुल सही कह रहे है। उस दिन भी यही प्रश्न उठा था, क्योंकि जो जी0ओ0 आया था, वह नोएडा क्षेत्र गौतमबुद्ध नगर का 2008 में आया था, उसी बेस पर आपत्ति उठायी गयी थी। उसमें नोएडा क्षेत्र ब्रेकेट में गौतमबद्ध नगर लिखा हुआ है, 2008 का जी0ओ0 है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इन्होंने जो साक्ष्य दिखाया था, उसमें गौतमबुद्ध नगर हाथ से लिखा हुआ था।

श्री अभिषेक गुप्ता- मान्यवर, साक्ष्य मेरे पास है, मैं आज भी वही लेकर आया हूं। नोएडा क्षेत्र गौतमबुद्ध नगर इसको मैंने हाथ से बढ़ाया है। नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा नगरीय क्षेत्र है, क्योंकि 21 जुलाई, 2010 को जी0ओ0 आ गया था कि नोएडा क्षेत्र गौतमबुद्ध नगर के स्थान पर नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा नगरीय क्षेत्र रखा जाए।

श्री सभापति- गौतमबुद्ध नगर तो अपने आप में कोई माइलस्टोन है ही नहीं?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, यही तो शासनादेश में लिखा हुआ है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा को नगरीय क्षेत्र के 'ए' क्लास के एच.आर.ए. के लिए शामिल किया गया है। गौतमबुद्ध नगर से अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा को हटा देंगे तो उन पर वह नॉन क्लासीफाइड वाली दरें ही लागू नहीं होती हैं।

श्री सभापति- नोएडा क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालय, ग्रेटर नोएड क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालय इन लोगों को लाभ मिला है। इसके अतिरिक्त जो ऐसे विद्यालय हैं, जो इन दोनों क्षेत्रों में नहीं आते है, लेकिन किसी नगर की 8 किमी0 की सीमा में है। मान लीजिए कि कोई दादरी से 8 किमी0 है, दनकौन से 8 किमी0 है तो उसे तो लाभ मिलेगा ही, वह गौतमबुद्ध नगर हो या कोई भी जिला हो।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, वह नगर पालिका है, नगर निगम नहीं है। 'ए' क्लास की दर अलग है जो उनको दे दी गयी है और जो नगर पालिका 'बी' क्लास और 'सी' क्लास है, उनकी दरें अलग हैं।

श्री सभापति- क्या आपत्ति केवल 'ए' क्लास की है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, 'ए' क्लास वाला दिया गया है, जो गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को एलाउ है बाकी के लिए 'बी' और 'सी' कैटेगरी है। अगर वह दादरी नगर पालिका या किसी और नगर पंचायत से 8 किमी0 के भीतर की सीमा में आ रहा है तो उसको 'बी' क्लास का एच. आर.ए. मिलेगा।

श्री अभिषेक गुप्ता- मान्यवर, दादरी को जी0ओ0 में 'सी' श्रेणी में रखा गया है। सभी विद्यालयों को 'सी' श्रेणी में रखा गया है, लेकिन जैसा अभी आपने बताया है कि अगर जिलाधिकारी महोदय का 8 किमी0 की दूरी का प्रमाण पत्र है तो वह हमारे 'ए' श्रेणी में आ जायेंगे। अगर वह नोएडा या ग्रेटर नोएडा के अधिकृत क्षेत्र हैं तो 'ए' श्रेणी में आ जाएगा।

श्री सभापति- नोएडा और ग्रेटर नोएडा को नगरीय क्षेत्र घोषित किया गया था तो इनके 8 किमी0 की रेंज क्यों नही आयेगी?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, शासनादेश की भाषा में नगर निगम की सीमा से 8 किमी0 की रेंज में विद्यालय होना चाहिए। अब विभाग ने कौन सी श्रेणी का एच.आर.ए. दिया है?

श्री अभिषेक गुप्ता- मान्यवर, हम जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त दूरी प्रमाण पत्र से ले रहे है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, आप शासनादेश से जिलाधिकारी महोदय का आदेश थोड़ी न संशोधित कर देंगे। पहले ग्रेटर नोएडा नहीं था। आप जो

शासनादेश दिखा रहे है, उसमें ग्रेटर नोएडा जोड़ दिया गया है। 2008 के शासनादेश को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा, यह बात सही है, लेकिन सम्पूर्ण गौतमबुद्ध नगर में लागू नहीं किया गया है।

श्री सभापति- सम्पूर्ण गौतमबुद्ध नगर की बात नहीं है। बात यह है कि जो संबंधित प्रश्नगत विद्यालय हैं, इनका कहना है कि वह विद्यालय नोएडा और ग्रेटर नोएडा से 8 किमी0 की रेंज में हैं।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, दनकौर विकास क्षेत्र का मामला है, आप बता दीजिए?

श्री अभिषेक गुप्ता- मान्यवर, दनकौर विकास क्षेत्र के कुछ विद्यालय नोएडा अथॉरिटी के अन्दर भी आते है, जो 'ए' श्रेणी का एच.आर.ए. ले रहे हैं। जबकि जिला मुख्यालय हमारा गौतमबुद्ध नगर 'बी' श्रेणी का एच.आर.ए. ले रहा है।

श्री सभापति- आप यह बताइये जो प्रश्नगत विद्यालय हैं, जिन पर यह आपत्ति है, वह कुल कितने हैं?

श्री अभिषेक गुप्ता- मान्यवर, दनकौर और दादरी ब्लॉक के विद्यालय मिलाकर कुल 250 की आपत्ति थी, लेकिन 20 विद्यालय ऐसे थे, जो 'सी' श्रेणी के हैं जैसे दादरी में चौना स्कूल है, जो बिल्कुल एन0टी0पी0सी0 के लास्ट में है, वह आज भी 'सी' श्रेणी का एच.आर.ए. ले रहे हैं और तब भी 'सी' श्रेणी का एच.आर.ए. ले रहे थे।

श्री सभापति- जिन पर आपत्ति की गयी है, वह कितने विद्यालय हैं?

श्री अभिषेक गुप्ता- मान्यवर, वह सिर्फ 10-20 विद्यालय हैं।

श्री सभापति- जो 10-20 विद्यालय हैं, आप उनकी एक सूची बनाइये कि यह विद्यालय नोएडा से इतनी दूरी पर हैं।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, हमारा कहना यह है कि जो विद्यालय नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हैं, उनको तो 'ए' क्लास का एच.आर.ए. मिलेगा, अन्यथा नगर निगम की सीमा से वह 8 किमी0 के दायरे में कवर होगा।

श्री सभापति- इसे नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, अगर नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया है तो उसका साक्ष्य दे दें। यह जिलाधिकारी का आदेश क्यों दिखा रहे हैं?

श्री सभापति- प्रश्न यह है कि हम नोएडा को नगर मानें या न मानें?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, नोएडा तो अपने आप में पूरा नगर है।

श्री सभापति- अब नोएडा से जो 8 किमी0 की रेंज के विद्यालय है, उनको 'ए' श्रेणी का लाभ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, यदि मा0 समिति कह रही है कि उनको मिलना चाहिए तो ठीक है।

श्री सभापति- नियमानुसार मिलना चाहिए। अब जो विद्यालय है, जिन पर प्रश्न उठता है कि यह विद्यालय है और यह नोएडा से 8 किमी0 की दूरी पर है, इसके लिए जिलाधिकारी महोदय का प्रमाण पत्र चाहिए। क्या आप वह सूची बनाकर लाये है?

श्री अभिषेक गुप्ता- मान्यवर, सूची बनाकर नही लाये है।

श्री सभापति- सूची बनाकर लाइये और सूची में उसी क्रम में वह प्रमाण पत्र लगाइये तब इसका निस्तारण हो पाएगा।

श्री अभिषेक गुप्ता- मान्यवर, इसमें जिलाधिकारी महोदय के यहां से जो दूरी प्रमाण पत्र आया है, वह औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अर्हकारी सीमा से ही आया है।

श्री सभापति- ठीक है, आप यह सूची बनाकर और दूरी प्रमाण पत्र लगाइये तब इसका निस्तारण होगा। अभी यह प्रस्तर लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

वार्षिक प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या-136, ऑडिट पैरा से संबंधित शीर्षक व प्रस्तर क्रमांक-8.2, कार्यालय/यूनिट का नाम-बेसिक शिक्षा समिति, गौतमबुद्धनगर (वर्ष-2008-09 से 2012-13), सम्प्रेक्षण अवधि/प्रतिवेदन वर्ष-2014-15, भाग/प्रस्तर-भाग-'क', प्रस्तर-9 (अ), सन्निहित धनराशि(रुपये में)-6,47,228.00

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इसमें कुछ विद्यालयों का डेटा उपलब्ध नही था। इसमें मा0 समिति का निर्णय था कि जिन विद्यालयों में प्राप्त धनराशि का डेटा उपलब्ध नही हो पा रहा है, उनमें आप ऑडिट टीम से सामंजस्य स्थापित करते हुए डेटा ले लीजिए और उसका उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त कर समिति को उपलब्ध करा दीजिए।

श्री अभिषेक गुप्ता- मान्यवर, हमने इसमें विद्यालय से फोटोग्राफ्स भी ले लिये है। अधिकांश विद्यालयों ने रिकॉर्ड दे दिया है, क्योंकि ज्यादातर विद्यालयों से जो धनराशि उन्हें मिली थी, वह उन्होंने वापस कर दी है, कुछ का उपभोग किया है और कुछ धनराशि वापस कर दी है। वापसी हमारे 'सर्व शिक्षा अभियान' के खाते में 2019-20 में हो गयी है।

श्री सभापति- क्या आपने इसमें सभी विद्यालयों की डिटेल्स दी है?

श्री अभिषेक गुप्ता- मान्यवर, सभी विद्यालयों की डिटेल्स दे दी है।

श्री सभापति- क्या ऑडिट टीम ने इसे देख लिया है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, अभी हमने नहीं देखा है।

श्री सभापति- ठीक है, आप ऑडिट टीम को दिखा दीजिएगा। जब तक यह दोनों प्रस्तरों का विवरण नहीं देंगे तब तक यह प्रस्तर लम्बित रहेगा, लेकिन साक्ष्य उपलब्ध होने पर यह प्रस्तर निस्तारण योग्य है। आप साक्ष्य उपलब्ध करा दीजिए तब इस प्रस्तर को निस्तारित कर देंगें। अभी यह प्रस्तर लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

वृहत्तर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, ग्रेटर नोएडा के प्रस्तरों पर हम आपसे अनुरोध करना चाहते है कि 2021 की बैठक में जांच के आदेश दिये गये थे। हम जांच करने के लिए पहुंचे थे, जो भी आपत्तियां थीं, जो इस बार पेंडिंग प्रस्तर में हैं, उसके संबंध में हमने पत्र जारी करके एक-एक आपत्ति के संबंध में अभिलेख मांगे थे, वह अभिलेख यह आज भी लेकर नहीं आये हैं। यह हमको सेट बनाकर अभिलेख दे दें। तीन या चार दिन का समय देकर इनसे कह दिया जाए कि आपत्तिवार जिन अभिलेखों की मांग की गयी है, वह हमको पुटअप कर दें तब हम मा0 समिति को अपनी आख्या प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री सभापति- अब आप हमें यह बताइये कि जो तमाम अभिलेख ऑडिट टीम चाहती है, वह इन्हें कब तक उपलब्ध करा देंगे ताकि हम आपके साथ बैठक करके चर्चा कर सकें?

श्री विनोद कुमार- मान्यवर, 20 जनवरी तक उपलब्ध करा देंगे।

श्री सभापति- 20 जनवरी से पहले आप इसका निस्तारण करा लें। चूंकि 15 सितम्बर, 2021 की समिति की बैठक में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों द्वारा अपना अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन 2 वर्ष पूर्व होने के बाद भी वह अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये अतः निर्देशित किया जाता है कि 20 जनवरी, 2024 तक संबंधित पैराज की अनुपालन आख्या से संबंधित सभी साक्ष्य ऑडिट टीम को उपलब्ध करा दें ताकि आगामी समिति की बैठक में इन पर विचार किया जा सके। तब तक इन प्रस्तरों को लम्बित रखते हैं।

(लम्बित)

नगर विकास विभाग

नगर पालिका परिषद दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर

क्रम संख्या-1, आपत्ति का विवरण- बैकों, मोबाईल टावरों व बैकों के ए0टी0एम0 से टैक्स निर्धारित होने के बावजूद गृह के मांग में रुपये 1873671.00 सम्मिलित न किया जाना अनियमित।

श्री सभापति- पहली आपत्ति बैकों, मोबाईल टावरों व बैकों के ए0टी0एम0 से टैक्स निर्धारित होने के बावजूद गृह के मांग में रुपये 1873671.00 सम्मिलित न किया जाना अनियमित।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, 2014-15 की ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें क्रमांक-6 एजेण्डे में है, उसमें आपत्ति दूरसंचार विभाग से धनराशि रुपये 1 करोड़ 30 लाख 57,412 रो कटिंग चार्जेज वसूल न किये जाने से आर्थिक क्षति पर है। नगर पालिका परिषद दादरी, गौतमबुद्ध नगर, सम्प्रीक्षा अवधि 2014-15, प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 यह अनुपालन एजेण्डे में नही है।

सुश्री दीपिका शुक्ला- मान्यवर, जो हमारे पास एजेण्डे में आयो था, उसी से हमने अनुपालन आख्या बनायी है।

श्री सभापति- आपने 2016-17 और 2017-18 की अनुपालन आख्या बना दी है।

सुश्री दीपिका शुक्ला- मान्यवर, जो हमारे पास पत्र आया है, यह मै आपको दिखा देती हूं, यह दोनों दादरी के है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, ठीक है, 2016-17 की आपत्ति एजेण्डे में है, जिसका अनुपालन दिया है।

श्री सभापति- अब इसमें इन्होंने डिमाण्ड जारी की तो वह हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट में उसकी रिट खारिज हुई तो फिर वह दोबारा हाईकोर्ट गया। उसमें इन्होंने 50 परसेन्ट पैसा जमा करा लिया है। शेष 50 परसेन्ट हाईकोर्ट तय करेगा। यह प्रस्तर निस्तारित किया जा सकता है।

(निस्तारण योग्य संस्तुति)

क्रम संख्या-2, आपत्ति का विवरण- रोकड़वही के इतिशेष तथा बैको के इतिशेषों में रुपये 5202834.22 का अन्तर पाया जाना अनियमित।

सुश्री दीपिका शुक्ला- मान्यवर, इसमें समस्या यह हुई थी कि मार्च, 2017 से कैल्कुलेट कर रहे थे। चेक 31 मार्च के बाद कैश हुआ, जिसके कारण इतना डिफरेंस आ गया है। इसमें केवल 90 रुपये 99 पैसे का डिफरेंस है जो काउंटिंग में हो जाता है। 56 पैसे 55 पैसे जब होते है तो वह राउंडअप में ही एक रुपया बन जाता है।

श्री सभापति- क्या ऑडिट टीम ने देख लिया है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, अनुपालन में कुछ लिखा ही नहीं है।

सुश्री दीपिका शुक्ला- मान्यवर, इसमें लिखा है कि नगर पालिका परिषद दादरी में वित्तीय वर्ष 2016-17 को समाप्ति के फलस्वरूप 31 मार्च, 2017 तक जारी किए गए चेक में जो चेक दिनांक 31 मार्च, 2017 तक रुपये 37,94,910 रुपये कैश नहीं हुए थे एवं बैकों से प्राप्त ब्याज की राशि जो कि रोकड़बही में रुपये 1408170.00 आय पक्ष में दर्ज नहीं की गयी थी, जिसकी सूची संलग्न है एवं बैक समाधान विवरण भी संलग्न है, जिसमें मात्र रुपये 90.99 का अन्तर है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इसमें जो इन्होंने बात कही है, वह सही है कि 31 मार्च को बहुत सारे चेक अनकैश पाये जाते हैं। कई ऐसी जो लायबिलिटी होती हैं, जिनका समाधान नहीं हो पाता है। जब आपत्ति उठायी जाती है तो उसके कम्प्लायंस में इनको बैक रिकैसिलेशन इस्टेटमेन्ट प्रस्तुत करना चाहिए और इन्होंने वह भी नहीं दिया है। इसका साक्ष्य जो इसमें लिखा है, वह नहीं दिया है।

श्री सभापति- क्या आपने जो आख्या में लिखा है, उसकी जिम्मेदारी ले रही हैं?

सुश्री दीपिका शुक्ला- मान्यवर, मै बिल्कुल जिम्मेदारी ले रही हूं।

श्री सभापति- ठीक है, आप साक्ष्य उपलब्ध करा दें। यह प्रस्तर निस्तारित करने योग्य है।

(निस्तारण योग्य संस्तुति)

क्रम संख्या-3, आपत्ति का विवरण- ठेकेजात का विभिन्न ठेकेदारों पर रुपये 991926.00 बकाया रहना अनियमित।

सुश्री दीपिका शुक्ला- मान्यवर, इसमें भी हमने आर0सी0 जारी करा दी है और आर0सी0 के सापेक्ष हमारा 3 लाख 21,358 रुपये आता है, पहले 2 लाख 38,898 रुपये था। अब 3 लाख 21,358 रुपये जमा हो चुके हैं। शेष आर0सी0 जारी है। तहसील स्तर पर लम्बित है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, जब तक यह 80 प्रतिशत जमा न हो जाए तब तक इसको लम्बित रखना उचित रहेगा।

श्री सभापति- इस प्रस्तर को अभी लम्बित रखते हैं

(लम्बित)

क्रम संख्या-1, आपत्ति विवरण- प्रशासनिक कार्यालय में कार्यरत पालिका परिषद के चार (04) कर्मचारियों को उपस्थिति प्रमाणित किये बिना वेतन भत्ते के रूप में धनराशि रु0 835568.00 का अनियमित भुगतान।

सुश्री दीपिका शुक्ला- मान्यवर, हमें जो लिस्ट मिली थी, उसमें ऑडिट का रिकॉर्ड हमें कल मिला है।

श्री सभापति- हमारे सामने तो प्रस्तुत होना चाहिए।

सुश्री दीपिका शुक्ला- मान्यवर, हमने गाजियाबाद से मंगाया है, इसलिए हमें देर से मिला है। मैं एक कॉपी आपको उपलब्ध करा देती हूं।

श्री सभापति- यह प्रस्तर तो निस्तारित हो चुका था।

सुश्री दीपिका शुक्ता- मान्यवर, 6 अक्टूबर, 2023 को मै लखनऊ की बैठक में उपस्थित थी। आपने इसे निस्तारित कर दिया था। गलती से इसमें आ गयी है।

श्री जनार्दन सिंह- आज इस बैठक में आप लोग आए और जो भी संभव रहा हम लोगों ने प्रयास किया। आपका हम बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते है, धन्यवाद भी ज्ञापित करते है कि आपने हमारे अधिकारियों के साथ जो भी संभावनाएं हो सकती थीं, उनका समाधान करने का प्रयास किया। हम आश्वासन देते है कि जो भी आपके द्वारा निर्देश दिये गये है, भविष्य में हम उसका पालन करेंगे।

(सी0डी0ओ0 महोदय द्वारा समिति के मा0 सभापति तथा उपस्थित सभी मा0 सदस्यों को मोमेन्टो भेंट कर सम्मानित किया गया।)

श्री सभापति- सभी सम्मानित सदस्यगणों का, उपस्थित अधिकारीगणों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मै उम्मीद करूंगा कि जो निर्देश समिति के द्वारा दिये गये हैं। उनका पालन करते हुए शीघ्रातिशीघ्र जो लम्बित ऑडिट पैराज है, उन पर आप लोग निश्चित रूप से कार्य करेंगे और करना भी चाहिए। यह आप लोगों के विभाग हित में है। आगामी जो भी बैठक लखनऊ में होगी, उसमें जिन पर उप समिति ने निस्तारण का आश्वासन दिया है, उनको समिति में प्रस्तुत करके निस्तारित कर दिया जाएगा। आप सभी को पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद।

(तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही संपन्न हुई।)

"प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति" (2022-23) की बैठक की कार्यवाही।

दिनाँक: 27.12.2023
समय-4.00 बजे अपराह्न

स्थान- खोड़ा नगर पालिका, गाजियाबाद।

उपस्थिति

1. श्री सुनील कुमार शर्मा — मा0 सभापति
2. श्री महेश चन्द्र गुप्ता — सदस्य
3. इं0 बृजेश कठेरिया — सदस्य
4. श्री स्वामी ओउमवेश — सदस्य।

विधान सभा सचिवालय के अधिकारी

1. श्री नीरज कुमार सोनकर, समिति अधिकारी।

लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी

1. श्री नीरज कुमार गुप्ता, उप निदेशक, लखनऊ मण्डल।
2. श्री मुरली सिंह शिशोदिया, ए0डी0ए0ओ0, ए0जी0।

जनपद गाजियाबाद की नगर पालिका परिषद खोड़ा में जिला प्रशासन नगर विकास विभाग, जल निगम, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारीगण

1. डॉ0 भवतोष शंखधर, सी0एम0ओ0,
2. श्री गम्भीर सिंह, ए0डी0एम0, सिटी,
3. सुश्री शालिनी गुप्ता, ई0ओ0, नगर पालिका परिषद खोड़ा,
4. श्री दीपक कुमार, बी0ई0ओ0,
5. श्री अजय कुमार ओझा, सी0ई0(हाइडिल),
6. श्री विजय कुमार गुप्ता, एस0ई0(यू0पी0पी0सी0एल0),
7. श्री भूप सिंह राघव, ई0ई0(यू0पी0पी0सी0एल0),
8. श्री रजनीश जायसवाल, पी0एम0, यूनिट-31, सी0 एण्ड डी0एस0,
9. सुश्री दीक्षा चौहान, आर0आई0,
10. श्री सुशील कुमार, टी0एस0, नगर पालिका परिषद, खोड़ा,
11. श्री डी0के0 अग्रवाल, एस0एफ0आई0, नगर पालिका परिषद, खोड़ा,
12. श्री नवनीत गुप्ता, जे0ई0, नगर पालिका परिषद, खोड़ा।

बैठक की कार्यवाही श्री सुनील कुमार शर्मा मा0 सभापति के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई।

(परिचयोपरान्त)

जनपद-गाजियाबाद

नगर पालिका परिषद्, खोड़ा मकनपुर

(ए0डी0एम0 महोदय द्वारा मा0 सभापति तथा उपस्थिति मा0 सदस्यों को पुष्पगुच्छ, शॉल और मोमेन्टो भेंट कर स्वागत किया गया।)

प्रतिवेदन वर्ष-2017-18, पृष्ठ संख्या-18, प्रस्तर क्रमांक-2.11, भाग-क, प्रस्तर-2 एवं 3

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, यह वर्ष 2016-17 की आपत्ति संख्या-2 है। इसमें पानी की टंकी, परिसर में नाली निर्माण के साथ ही इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण व सुधार का कार्य होना था। इसमें प्रेमशंकर यादव को 4 लाख 91,500 रु0 का टेण्डर स्वीकृत हुआ था। बाद में कार्यपालन करने से पूर्व ही इसको बढ़ाकर 12 लाख 42,749 रु0 बिना परमीशन के इनको और भुगतान कर दिया गया है। यह 16 फरवरी, 2023 की कार्यवृत्ति है, इसमें मा0 समिति का निर्णय यह था कि प्रमुख सचिव जी लोनी वाले प्रकरण की जांच के साथ इसको जोड़ लिया जाए। अभी इस प्रस्तर को लम्बित रखा जाए।

श्री सभापति- क्या इसमें जांच हुई है?

सुश्री शालिनी गुप्ता- मान्यवर, उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत सादर अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर की सम्प्रीक्षा अवधि 2016-17, प्रतिवेदन वर्ष-2017-18, पृष्ठ संख्या-18, प्रस्तर क्रमांक-2.11, भाग-क, प्रस्तर-2 एवं 3 के प्रतिवेदनों की जांच के संबंध में नगर आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति की जांच आख्या वर्तमान समय तक अपेक्षित है।

श्री सभापति- ए0डी0एम0 महोदय, आप भी तो इस समिति में सदस्य है। इसमें क्या चल रहा है?

श्री गम्भीर सिंह- मान्यवर, इसमें कई बैठकें हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स मांगी गयी है। वह लास्ट स्टेज पर ही है। नगर आयुक्त महोदय बदल गये थे।

श्री सभापति- इसकी अध्यक्षता नगर आयुक्त महोदय कर रहे है, क्या हम उन्हीं से बात कर लें?

श्री गम्भीर सिंह- मान्यवर, मै पता करके आपको अवगत करा दूंगा।

श्री सभापति- मै इसे टाइम बाउण्ड करूंगा। मुझे लगता है कि प्रमुख सचिव महोदय के यहां से भी आदेश हुए कई महीने हो चुके है और इसमें आपने 30

दिन का समय दिया था। इसकी जांच हमने नगर आयुक्त को दी थी। इसमें शासन से जांच के आदेश भी हो गए थे।

श्री गम्भीर सिंह- मान्यवर, वह लास्ट स्टेज पर है।

श्री सभापति- इसकी जांच अभी आयी नहीं है।

बेसिक शिक्षा विभाग

श्री सभापति- कायाकल्प की क्या स्थिति है?

श्री दीपक कुमार- मान्यवर, कायाकल्प के अन्तर्गत दो विद्यालयों में निर्माण कार्य चल रहा है। एक तो नगर पालिका के बिल्कुल बगल में ही है। उसमें लिंटर पड़ चुका है। एक मकनपुर खोड़ा में चल रहा है, उसमें सेकेण्ड फ्लोर में लिंटर पड़ गया है और ग्राउण्ड फ्लोर को उन लोगों फरवरी तक कम्प्लीट करने के लिए कहा है।

श्री सभापति- क्या कार्यदायी संस्था से कोई आया है?

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, मैं उपस्थित हूं।

श्री सभापति- आप इस काम को कब तक पूर्ण कर देंगे?

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, बान्ड तो मई, 2024 में पूर्ण करने का है। मैटेरियल शिफ्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है। बीच में प्रोग्रेस स्लो थी, अब हम प्लिंथ लेवल पर आ गए हैं।

श्री सभापति- आपको धनराशि कब दी गयी थी?

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, जनवरी, 2023 में हमें धनराशि मिली थी।

श्री सभापति- उससे पहले आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कब तैयार हुई थी?

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, दिसम्बर में तैयार हो गयी थी।

श्री सभापति- एक साल में आपने एक लिंटर डाला है, तीन लिंटर पड़ने है।

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, दोनों स्कूलों में जी प्लस थ्री के लिंटर पड़ने है।

श्री सभापति- जी प्लस थ्री के 4 लिंटर पड़ने है। अभी एक साल में आपने एक लिंटर डाला है तो क्या 4 साल में आप लिंटर डालेंगे?

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, प्लिंथ लेवल में थोड़ा ज्यादा समय लगता है।

श्री सभापति- कितना समय लगेगा 1 साल हो गए है? आप इसे कब तक पूर्ण कर देंगे?

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, जून में पूर्ण कर देंगे।

श्री सभापति- आपको कितना पैसा मिला है?

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, 50 परसेन्ट मिला है।

श्री सभापति- क्या आपने 50 परसेन्ट का इनको यू0सी0 दिया है?

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, दे दिया है।

श्री सभापति- कितने का दिया है?

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, 75 परसेन्ट का दे दिया है।

श्री सभापति- ऑडिट विभाग के अधिकारी इसे देख लें। यह आप पर ब्याज की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लगा देंगे।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, जो उपभोग प्रमाण पत्र इन्होंने भेज़ा है, वह कितने का भेजा है?

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, जितना हमने यूटिलाइज किया है, उतने का उपभोग प्रमाण पत्र भेजा है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- इसका मतलब है कि जो 50 परसेन्ट आपको कुल धनराशि मिली थी, उसमें से 75 परसेन्ट आपने कन्ज्यूम कर लिया है?

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, वह कन्ज्यूम कर लिया है। सारा पैसा हमारा ऑनलाइन ही पेमेंट होता है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- आपको पैसा कितनी किश्तों में मिलना था?

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, पहले तो 50 परसेन्ट मिल गया था फिर यू0सी0 मिलने के बाद दूसरा मिलना था।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- जब आपको पहली बार पैसा सेंक्शन हुआ था तो क्या उसमें यह लिखा हुआ था कि जब आप 75 परसेन्ट यूज कर लेंगे तब आपको अगली किश्त दी जाएगी?

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ था। नार्मली दूसरी जगह कहीं भी करते है तो 75 परसेन्ट पर दूसरी किश्त मिल जाती है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- जो आपने यू0सी0 भेजी है, उसके साथ अपना मैटेरियम कन्जम्शन और लेबर कन्जम्शन का डिटेल चार्ट भेजा है?

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, बाकी डिटेल भेजी है, लेकिन कन्जम्शन की नहीं भेजी है, वह हम भेज देंगे।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- जब भी आप यू0सी0 भेजा करें तो कितना मैटेरियल कन्ज्यूम हुआ है, कितना लेबर कन्ज्यूम हुआ है, वह भी तो आपको तार्किक रूप से दिखाना पड़ेगा ताकि जो ऊपर अधिकारी बैठे है, वह बैठे-बैठे अगर भौतिक सत्यापन करना चाहते है तो कर सकें।

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, वह हम भेज देंगे।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- हम यह पूछना चाह रहे है कि इन्होंने 50 परसेन्ट एडवांस लिया है और बता रहे है कि प्लिंथ लेवल पर है। जी प्लस थ्री है तो 50 परसेन्ट का 75 परसेन्ट का यूटिलाइज प्लिंथ लेवल तक काम करने पर यह

चीज संभव ही नही है। जी प्लस थ्री का 50 परसेन्ट का 75 परसेन्ट अगर आप कर देंगे तो वन थर्ड से ज्यादा ही होगा।

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, पाइलिंग की कॉस्ट है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- इतनी कॉस्ट पाइलिंग की नहीं आती है।

श्री सभापति- लगभग आपने साढ़े 37 परसेन्ट खर्च कर दिया और अभी प्लिंथ पर हैं।

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, प्लिंथ में नहीं है। मै यह कह रहा था कि प्लिंथ तक आने में समय लगा।

श्री सभापति- अब आपका बाकी एमाउण्ट में हो जाएगा?

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, टेण्डर हुआ है। टेण्डर का बॉण्ड बना हुआ है, उतने में हमको कम्प्लीट करना ही करना है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, पैसे मांगने का औचित्य तब है, जब यह 90 परसेन्ट यूटिलाइज कर दें।

श्री सभापति- आपकी जो प्रगति है, वह बहुत धीमी है और यदि पैसा आपके पास समय सीमा से अधिक रहेगा तो उस पर आपकी ब्याज की देनदारी बनेगी। नगर पालिका मांगे या न मांगे लेकिन ऑडिट विभाग आपसे जरूर लेगा।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मै ई0ओ0 मैडम से पूछना चाहता हूं कि जो इनके साथ अनुबन्ध हुआ है, क्या उसमें पैनाल्टी क्लॉज है?

सुश्री शालिनी गुप्ता- मान्यवर, पैनाल्टी क्लॉज के बारे में मै अभी श्योर नहीं हूं।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- अगर पैनाल्टी लगानी है तो वह अनुबन्ध में क्लॉज होगा तभी हो पाएगा। एक बार आप श्योर करने के साथ ही इसको संशोधित कर लें।

श्री सभापति- ए0डी0एम0 महोदय, इसमें इनका अनुबन्ध एक बार दोबारा देख लिया जाए और उसमें पैनाल्टी क्लॉज लगा दिया जाए।

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, अभी तो हम तय समय-सीमा में ही चल रहे हैं। हमने कुल 6 काम लिये थे, 3 काम पूर्ण भी कर लिये हैं।

श्री सभापति- हम चाहते है कि आप तय समय-सीमा के आस-पास कार्य पूर्ण कर दें, लेकिन आप यह देख लीजिएगा कि जब आपकी यह बिल्डिंग शुरू हो जायेगी तब दूसरे काम हमको और कराने हैं। उन बच्चों को इसमें शिफ्ट करेंगे तब वह दो विद्यालय और लिये जायेंगे।

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, हमें कुल 6 काम मिले थे, हम 3 काम पूर्ण भी कर चुके हैं।

श्री सभापति- हॉस्पिटल में क्या प्रगति है?

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, हॉस्पिटल में ग्राउण्ड फ्लोर की स्लेप पड़ गयी है बाकी ऊपर काम चल रहा है। हॉस्पिटल में एक और दिक्कत है, जो 3 तरफ से रास्ता आ रहा है, पूरे एरिया का पानी उसी साइड से पहले जा रहा था, काफी गड्ढ़ा था, बरसात में बहुत दिक्कत हुई। अब हम क्योंकि ऊपर आ गए हैं।

श्री सभापति- क्या वह गड्ढ़ा भरा नहीं है?

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, वह भरकर ग्राउण्ड फ्लोर की स्लेप भी पड़ गयी है।

श्री सभापति- क्या आपने सी0एम0ओ0 महोदय को निरीक्षण कराया है?

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, उनके जे0ई0 चेक करते रहते है। सी0एम0ओ0 महोदय ने एक बार देखा था।

श्री सभापति- यह कितने फ्लोर का बन रहा है?

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, यह जी प्लस टू है।

श्री सभापति- 20 बेड्स का है। जो पीछे आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है, उसमें भी अगर एक आध कमरा और ऊपर एक्स्ट्रा बनवा दिया जाए तो ठीक रहेगा।

डॉ0 भवतोष शंखधर- मान्यवर, जैसा आप निर्देश दें।

श्री सभापति- इसमें कोई अस्पताल नहीं है। हमने प्रस्ताव पास कराया था। नगर पालिका के द्वारा जमीन दिलवाई और नगर पालिका ने ही उसका निर्माण करके स्वास्थ्य विभाग को हैण्डओवर कर दिया। आप इसे कब तक इसे पूर्ण कर देंगे?

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, जून तक हो जाएगा।

श्री सभापति- उसका भी जून तक है।

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, वैसे तो वह अनुबन्ध जनवरी तक का था, मगर बीच में बरसात की वजह से दिक्कत हुई थी, एक्स्टेंशन लिया था।

श्री सभापति- उसमें तो माना जा सकता है कि आपकी बात जायज है, लेकिन मई, जून तक यह तीनों प्रोजेक्ट आपके पूर्णता की तरफ होने चाहिए।

श्री रजनीश जायसवाल- मान्यवर, मै पूरी कोशिश कर रहा हूं।

श्री सभापति- सी0एम0ओ0 महोदय, आप इसकी मॉनीटरिंग करते रहें।

डॉ0 भवतोष शंखधर- मान्यवर, ठीक है।

ऊजा विभाग

श्री सभापति- जो आपके यहां खम्भे की लाईन बदलने का काम चल था, उसमें कितनी प्रगति हुई है?

श्री भूप सिंह राघव- मान्यवर, हमने करीब 1 किमी0 जर्जर लाईन बदलवा दी है। 250 के0वी0ए0 से 400 के0वी0ए0 के 7 ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि करा दी

है। दो 160 से 250 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर की और क्षमतावृद्धि करा दी है। 250 के0वी0ए0 के दो ट्रांसफार्मर और इंस्टाल कराये गये हैं।

श्री सभापति- क्या खम्भे लगने का और लाईन बदलने का काम शुरू हुआ है?

श्री भूप सिंह राघव- मान्यवर, खम्भे और लाईन का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। अभी काम चल रहा है।

श्री सभापति- कितने परसेन्ट हो गया है?

श्री भूप सिंह राघव- मान्यवर, परसेन्ट की बात करें तो अभी ज्यादा काम नहीं हुआ है, थोड़ा सा लेबर के ईश्यूज आ रहे हैं, लेकिन एक दो दिन में काम शुरू हो जाएगा।

श्री सभापति- आपका क्षेत्र कहां तक है, क्या वसुंधरा चीफ आप ही हैं। वहां पर एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। आपके विभाग ने नोटिस जारी कर दिये हैं और वह केवल वसुंधरा में हुए हैं।

श्री अजय कुमार ओझा- मान्यवर, अभी वह डिवीजन शुरू नहीं हुआ था। रेग्यूलेट्री कमीशन का पुराना नियम है कि जब उपभोक्ता कनेक्शन लेता है तो पुनः एक नार्मेटिव वेव में हम लोग सिक्योरिटी जमा कराते हैं, लेकिन उसकी सिक्योरिटी पूरे साल भर का जो एवरेज बिल होता है, उसके हिसाब से 47 दिन के बराबर होनी चाहिए, जिनके यहां ए0सी0 लगा हुआ या महीने में ज्यादा बिल आता है, उनका नार्मेटिव सिक्योरिटी एमाउण्ट से ज्यादा आता है, उसी का डिफरेंस चार्ज किया गया था, लेकिन उसमें यह निर्देश दिया हुआ है कि किश्त के बाद कोई एक्शन नहीं होगा न कनेक्शन कटेगा।

श्री सभापति- गाजियाबाद तो बहुत बड़ा है, लेकिन यह केवल एक डिवीजन में ही क्यों हो रहा है?

श्री अजय कुमार ओझा- मान्यवर, अभी एक डिवीजन में शुरूआत हुई है। बाकी जगह भी भेजा जा रहा है। अभी इसको भी हमने होल्ड पर कर दिया है।

श्री सभापति- अभी इसको होल्ड करियेगा। मुझे तो यह न्यायोचित नहीं लगता है, क्योंकि जब आपने कनेक्शन दिया तो सिक्योरिटी ली, उसे नोट किया।

श्री अजय कुमार ओझा- मान्यवर, इसमें लॉजिक यह है कि बिजली विभाग जब बिल करता है तो वह एक महीने बाद करता है और वह जब बिल बनाता है तो 15 दिन की उसमें ड्यू डेट होती है।

श्री सभापति- एक महीने बाद नहीं करता है, एक महीने का करता है। आप 28 तारीख को बिल बना रहे हैं। 28 को आपने बिल बनाया तो पिछले 28 दिन या 30 दिन का होता है। इसमें अभी आप ऊपर से मार्गदर्शन प्राप्त कर लीजिए और जो कुछ हो, वह सबके लिए हो। आप केवल एक पर्टिकुलर एरिया में

लागू कर दें और बाकी में न हो तब तो दिक्कत होगी ही। तब तक इसको होल्ड कर दें। जो शासन की नीति हो आप उसके अनुसार काम करिये, हम उसे नहीं रोक रहे है, लेकिन वह सब जगह हो।

श्री सभापति- स्वच्छ भारत मिशन में हम अपने यहां अभी और क्या अच्छा कर रहे है, जिससे और अच्छा हो?

सुश्री शालिनी गुप्ता- मान्यवर, स्वच्छ भारत मिशन में हमारे यहां डोर टू डोर गाड़ियां जा रही है। हमारे पास स्वीपर है, गाड़ियां है। सबके विंग अलग-अलग है, वह जा रहे है। सॉलिड बेस मैनेजमेंट के लिए हमें निंदोरी में जमीन मिली हुई है, वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क कम्प्लीट हो गया है, मशीनरी वर्क का टेण्डर हमने अपलोड कर दिया है, एक इमारत भी वहां पर बन गयी है। उसमें एक छोटी सी दिक्कत यह आ रही है कि हमारे यहां जे0ई0 नहीं है। जिलाधिकारी महोदय की मदद से हमें एक अटैच जे0ई0 मिले है, अभी तीन-चार दिन पहले ही किसी वजह से उनका भी सस्पेंशन हो गया है। हमारे पास आज की डेट में कोई भी जे0ई0 नहीं है, जिससे कि हमारे निर्माण कार्य का सुपरविजन हो सके या हम किसी काम की यू0सी0 दे सकें। हमारे यहां यह बहुत बड़ी समस्या है। एम0आर0एफ0 के लिए हमने मशीनरी का भी टेण्डर कर दिया है, वह भी प्रोग्रेस में है।

श्री सभापति- निंदोरी का कार्य कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

सुश्री शालिनी गुप्ता- मान्यवर, मशीनरी वर्क का टेण्डर हमारा आ जाएगा तो एक महीने में हमारे मशीनरी वर्क का काम ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन और मेंटीनेंस के लिए हम लोगों ने निविदा कॉल की है जैसे ही निविदा आयेगी उसके हिसाब से हमारा टेण्डर फाइनल हो जाएगा।

श्री सभापति- उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय निधि लेखा परीक्षा समिति आज खोड़ा नगर पालिका में स्थलीय निरीक्षण और कुछ पैरा थे, उनकी जांच के लिए यहां आज आयी हुई है। यह मेरा विधान सभा क्षेत्र भी है। मै मा0 सदस्य श्री बृजेश कठेरिया जी का, श्री महेश गुप्ता जी का, श्री स्वामी ओमवेश जी का और आप सभी का स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूं। अच्छी बात है कि खोड़ा नगर पालिका की बहुत ऑडिट आपत्तियां नहीं है। ऑडिट के प्रति सजग और जागरूक भी रहना चाहिए। कई बार हम लोग किसी न किसी दबाव में ऐसा कार्य कर देते है कि बाद में स्वयं झेलना पड़ता है। अभी जिस संबंधित प्रकरण की जांच चल रही है, वह भी कुछ ऐसा ही है। आप उनका ध्यान रखें और कम से कम ऑडिट आपत्तियां हों, इस पर विचार करें। जल निगम को जो निर्देश समिति के द्वारा दिये गये है, उस पर त्वरित कार्यवाही करें। अभी हम

बैठक के उपरान्त बगल के विद्यालय में निर्माण कार्य हो रहा है, उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे और मै यही कहूंगा कि जो दोनों विद्यालय और अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण एजेंसी यह समझ ले कि इसको सरकारी ड्यूटी से अलग हटकर कार्य करें, जितनी जल्दी हो सके इसका निर्माण करा दें। आप समझ सकते है कि कितनी बड़ी आबादी है और यहां अस्पताल की कितनी आवश्यकता है। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने एक छोटी सी जगह निकाली और उसका रास्ता निकाला है और अगर वह जल्दी पूर्ण हो जाये तो मुझे विश्वास है कि इससे काफी लोगों को लाभ मिलेगा। हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो सी0एम0ओ0 है, यह बहुत अच्छे व्यक्ति है। यह जल्द ही व्यवस्था करेंगे, उसका सेंक्शन भी ले आयेंगे। आप सभी लोग इस पर तत्परता के साथ कार्य करें। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। अब बैठक की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

श्री गम्भीर सिंह- यहां उपस्थित मा0 सभापति महोदय, मा0 सदस्यगण और सभी अधिकारीगण आप सभी लोगों को मै जिला प्रशासन गाजियाबाद की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपका जो मार्गदर्शन है, उसका सारे अधिकारीगण अक्षरशः पालन करेंगे और इसका संज्ञान लेते हुए इस पर त्वरित गति से कार्यवाही करेंगे। इसके लिए हम सभी अधिकारीगण आपको आश्वासन देते है।

(तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही संपन्न हुई।)

जनपद गाजियाबाद की नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर के बगल में चल रहे विद्यालय निर्माण कार्य के स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही

उप समिति द्वारा जनपद गाजियाबाद की नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर के बगल में चल रहे विद्यालय निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

स्थलीय निरीक्षण के दौरान उप समिति ने देखा कि मौके पर निर्माण कार्य चल रहा था। उप समिति ने जल निगम के सी0एण्डडी0एस0 को निर्देशित किया कि कार्य गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण होना चाहिए।

उप समिति द्वारा सी0एण्डडी0एस0 को यह भी निर्देशित किया गया कि खर्च पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न बढ़े और उसकी अनुमानित लागत में वृद्धि न हो।

उप समिति ने उक्त स्थलीय निरीक्षण पर संतोष व्यक्त किया।

(तत्पश्चात् स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही संपन्न हुई)

"प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति" (2022-23) की बैठक की कार्यवाही।

दिनाँक: 27.12.2023
समय-5.00 बजे अपराह्न

स्थान- जिलाधिकारी कार्यालय, गाजियाबाद।

उपस्थिति

1. श्री सुनील कुमार शर्मा — मा0 सभापति
2. श्री महेश चन्द्र गुप्ता — सदस्य
3. इं0 बृजेश कठेरिया — सदस्य
4. श्री स्वामी ओउमवेश — सदस्य।

विधान सभा सचिवालय के अधिकारी

1. श्री नीरज कुमार सोनकर, समिति अधिकारी।

लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारीगण

1. श्री नीरज कुमार गुप्ता, उप निदेशक, लखनऊ मण्डल।
2. श्री मुरली सिंह शिशोदिया, ए0डी0ए0ओ0, ए0जी0।

जनपद गाजियाबाद में जिला प्रशासन कृषि विपणन विभाग, कृषि विदेश व्यापार, बेसिक शिक्षा विभाग, नगर विकास विभाग, आवास विकास विभाग, जी0डी0ए0, ए0ए्च0पी0डी0ए0, नगर पालिकायें (लोनी, मोदीनगर) के अधिकारीगण

1. श्री राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष, जी0डी0ए0,
2. श्री विक्रमादित्य एस0 मलिक, नगर आयुक्त,
3. श्री आशीष, ए0ई0, आवास विकास,
4. श्री अंगेश कुमार मौर्य, ए0ई0, आवास विकास,
5. डॉ0 सीमा, डी0एस0ओ0,
6. श्री प्रिंस चौधरी, डिप्टी आर0एम0ओ0,
7. सुश्री स्मृति गुप्ता, जे0ई0, नगर पंचायत,
8. श्री मनोज कुमार मिश्रा, ई0ओ0, नगर पंचायत, डासना,
9. सुश्री आँचल पाण्डेय, ई0ओ0, पतला,
10. कु0 संतोष कुमार, ए0ई0ई0, यू0पी0पी0सी0बी0,
11. डॉ0 आर0के0 श्रीवास्तव, डी0ई0एस0टी0ओ0,
12. सुश्री मनप्रीत कौर, एफ0ए0ओ0, बेसिक शिक्षा विभाग,
13. श्री ओ0पी0 यादव, बी0एस0ए0,
14. डॉ0 गीता कुमारी, लेखाधिकारी, नगर निगम,

15. श्री के0पी0 आनन्द, जी0एम0(जल), जी0एन0एन0,
16. श्री महफूज आलम, एस0ई0, ई0यू0डी0सी0-1,
17. श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा, सचिव, ए0पी0एम0सी0,
18. श्री रूप सिंह, एस0ए0एम0आई0,
19. श्री चन्द्रेश कुमार सिंह, ई0ओ0/ए0एस0डी0एम0,
20. श्री कृष्ण कान्त मिश्र, ई0ओ0, लोनी,
21. श्री एन0एम0 मिश्र, ई0ओ0, मोदीनगर,
22. श्री विपिन सिंह, ई0ओ0, नगर पंचायत, फरीदनगर,
23. श्री अश कुमार, ए0ई0, जे0ए0सी0,
24. श्री गम्भीर सिंह, ए0डी0एम, सिटी,
25. श्री राम विजय सिंह, ए0डी0एम0,
26. सुश्री पुष्पांजलि, सी0एम0ओ0,
27. सुश्री शालिनी गुप्ता, ई0ओ0, खोड़ा,
28. श्री अशोक कुमार बाजपेयी, वित्त नियंत्रक, गाजियाबाद विकास प्राधिकारण।

बैठक की कार्यवाही श्री सुनील कुमार शर्मा मा0 सभापति के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई।

(परिचयोपरान्त)

नगर निगम, गाजियाबाद, जनपद-गाजियाबाद

(जिलाधिकारी महोदय द्वारा मा0 सभापति महोदय तथा उपस्थिति मा0 सदस्यों को पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंट कर स्वागत किया गया।)

श्री राकेश कुमार सिंह- उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच समिति के मा0 सभापति श्री सुनील कुमार शर्मा जी का, मा0 सदस्य श्री महेश चन्द्र गुप्ता जी का, मा0 सदस्य इं0 बृजेश कठेरिया जी का, मा0 सदस्य श्री स्वामी ओउमवेश जी का मैं जनपद गाजियाबाद में स्वागत करता हूं और अपनी सम्मानीय विधान सभा के जो अधिकारीगण हैं, उनका भी मैं जनपद में स्वागत करता हूं। मा0 सभापति महोदय यदि आपकी अनुमति हो तो जो प्रतिवेदन है, उन पर विभागवार चर्चा कर लें।

क्रम संख्या-1, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ का क्रमांक-1, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक क्रमांक-बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़क के मरम्मत पर मैसर्स अरूण कन्स0 कम्पनी को रुपया 688700.00 का अमान्य/आग्रहय भुगतान-व्यय प्रमाणिक सं0-225 दिनांक 11.09.2023, कार्यालय/यूनिट का नाम-गाजियाबाद नगर निगम, सम्प्रेक्षण अवधि-2013-14, प्रस्तर संख्या-भाग-क, प्रस्तर-3, चिन्हित धनराशि (रुपये)-688700

श्री राकेश कुमार सिंह- इसमें आपत्ति यह थी कि दिल्ली गेट होते हुए जस्सीपुरा मोड़ तक पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़क पैच मरम्मत कार्य हेतु रुपये 688700.00 का भुगतान किया गया था। उक्त कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग से कोई पत्राचार नही किया गया। इस प्रकार नगर निगम निधि पर रुपये 688700.00 का अनावश्यक व्ययभार पड़ा था। इसमें इन लोगों ने जो जवाब दिया था, उसमें यही था कि इसमें कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत 25.04.2013 को संयुक्त बैठक हुई थी, उसमें चूंकि तात्कालिक तौर पर 117 नगर निगम अधिनियम में पी0डब्ल्यू0डी0 रोड की शहर के अन्दर की सड़क है तो इसमें प्रशासकीय चूक केवल इतनी रही कि उन्हें पी0डब्ल्यू0डी0 से एन0ओ0सी0 लेना चाहिए था, उन्होंने एन0ओ0सी0 नही लिया, लेकिन काम हुआ है और कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत इसको कराना पड़ा। इसमें नगर निगम पर व्ययभार जरूर आया, लेकिन वह कार्य की आवश्यकता और नगर निगम अधिनियम की धारा-114 में नगर निकाय को मेले और इन सबका प्रबन्ध करने का दायित्व होता है, इनका अनिवार्य दायित्व था कि उस दौरान शहर की सड़क पर कोई गड्ढ़ा न रहे। पी0डब्ल्यू0डी0 के पास

तत्काल धनराशि की व्यवस्था नहीं हो सकती थी। इस वजह से नगर निगम ही कराता है।

श्री सभापति- क्या यह प्रस्तर पहले बैठक में आया है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, 16 फरवरी, 2023 की बैठक में यह कहा गया था कि इस आपत्ति के उत्तर में आपको कोई दूसरा स्पष्टीकरण देना ही नहीं था। उन्होंने कहा कि आपने हमसे पत्राचार नहीं किया। आपको सिर्फ एक ही जवाब देना था कि पत्राचार किया और एन0ओ0सी0 ले लिया है। अगर अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिया है तो जिस अधिकारी ने आदेश किये है, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कोई मनमानापन नहीं होना चाहिए। इसकी जांच की जाएगी। क्या पी0डब्ल्यू0डी0 से एन0ओ0सी0 ली गयी थी? क्या जिलाधिकारी के स्तर से निर्णय हुआ था कि इस सड़क की मरम्मत का कार्य नगर निगम गाजियाद करेगा। यदि यह दोनों नहीं है तो जिम्मेदार व्यक्ति से स्पष्टीकरण लेकर विभाग को समुचित कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री सभापति- एन0ओ0सी0 नहीं ली थी, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया था कि क्या जिलाधिकारी से अनुमति ली गयी थी?

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, जब कांवड़ यात्रा होती है, उस दौरान हमारी अक्ष्यक्षता में बैठक होती है, उसमें हम लोग एक कार्यवृत्त जारी करते है कि शहर के अन्दर मन्दिर के आस-पास आने वाले मार्गो की मरम्मत करा दी जाए।

श्री सभापति- आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपकी अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, क्यों उसमें यह विषय आया था?

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, यह 2013 का ईश्यू है। यह विषय आया था और इस पर कार्य किया गया है। इस साल भी हमने कार्य कराया है।

श्री सभापति- इसमें यह चर्चा हुई थी कि हम पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़क पर काम कर रहे है। कांवड़ यात्रा का समय था, एट ए टाइम पी0डब्ल्यू0डी0 के द्वारा समय लगता है। उनसे या तो एन0ओ0सी0 ली जाती है या जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक होती है तो उसमें यह निर्णय होता है कि इस काम को नगर निगम करेगा। अगर ऐसा कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं है।

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, यह तो हमेशा होता है। नगर निगम को तो लिखित निर्देश भी जारी किये जाते है कि मन्दिर आने-जाने वाले जो मार्ग हैं उसको इस दौरान ठीक करें। इसमें जब वी0वी0आई0पी0 विजिट होता है तो भी नगर निगम ही रातों-रात काम कराता है, क्योंकि इतनी जल्दी पी0डब्ल्यू0डी0 बहुत कम काम करा पाता है। कोई गबन नहीं हुआ है, काम हुआ है, इसलिए मा0 समिति से मेरा अनुरोध है कि इस प्रस्तर को ड्रॉप करने की कृपा करें।

श्री सभापति- ठीक है, परन्तु इतनी सावधानी अवश्य बरती जाए कि नगर निगम या कोई भी दूसरी संस्था हो दूसरे के कार्य क्षेत्र में अगर काम करती है तो विभाग से एन0ओ0सी0 ले या जिला स्तरीय बैठक में उसका निर्णय हुआ हो। अपनी मर्जी से कोई विभाग काम नहीं करता है। इस आपत्ति का यही भाव था। इस प्रस्तर को निस्तारित करने की संस्तुति की जाती है।

(निस्तारित करने की संस्तुति)

क्रम संख्या-2, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ का क्रमांक-2, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक क्रमांक-निर्माण कार्यों में रायल्टी की कम कटौती करने से राजस्व क्षति रुपये 742030.00, कार्यालय/यूनिट का नाम-गाजियाबाद नगर निगम, सम्प्रेक्षण अवधि-2013-14, प्रस्तर संख्या-भाग-क, प्रस्तर-4, चिन्हित धनराशि (रुपये)-742030

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, इसमें रु0 9.00 घन मी0 के स्थान पर 14 घन मी0 एवं 22 घन मी0 के स्थान पर 33 घनमी0 की दरें संशोधित कर दी गयी थी। नगर निगम गाजियाबाद में इसका पालन नहीं किया जा रहा है। रायल्टी की दर का जो शासनादेश था, उसके तहत संशोधन हुआ था।

श्री एन0के0 चौधरी- मान्यवर, संशोधन हुआ था, शासनादेश विलम्ब से प्राप्त हुआ। यह जानकारी में न होते हुए ही लोग करते गए।

श्री राकेश कुमार सिंह- अब रिकवरी कर लीजिए।

श्री एन0के0 चौधरी- मान्यवर, रिकवरी कर लेंगे।

श्री विक्रम आदित्य सिंह मलिक- मान्यवर, मै बताना चाहूंगा कि इसमें 36,555 की रिकवरी आलरेडी जमा करा ली गयी है। इसके अलावा 3,68,000 की भी रिकवरी कर ली गयी है और कटौती कर ली गयी है। 3,36,616 रुपये की रिकवरी बची है, इसको भी हम आगे करवा लेंगे। 7,42,000 में से हमारी सिर्फ 3,36,000 की रिकवरी बची है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, पिछली बार 16 फरवरी की बैठक में भी लगभग इतनी ही वसूली थी। अवशेष के लिए 2 माह का समय मांगा गया था।

श्री सभांपति- आप इसे करा लीजिएगा। तब हम इसे निस्तारित कर देंगे। हम यह चाहते है कि आगामी जो भी बैठक हो, उसमें हम इसे ड्रॉप कर दें। अभी इस प्रस्तर को लम्बित रखते हैं।

(लम्बित)

क्रम संख्या-3, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ का क्रमांक-5, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक क्रमांक-वर्ष 1999 से 2014 तक दिये गये अस्थायी अग्रिमों के असमायोजित रहने नगर निगम को आर्थिक क्षति रु0 123085134.00, कार्यालय/यूनिट का नाम-गाजियाबाद नगर निगम, सम्प्रेक्षण अवधि-2013-14, प्रस्तर संख्या-भाग-क, प्रस्तर-28, चिन्हित धनराशि (रुपये)-123085134

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, नगर निगम के द्वारा समय-समय पर जो अग्रिम दिये गये होंगे, उसमें मात्र 430314/- का समायोजन हुआ है और बाकी 30368411/- के अग्रिमों के समायोजन की आख्या इन लोगों ने तैयार कर ली है।

श्री सभापति- इसमें बहुत सारे लोग सेवानिवृत्त हो गये होंगे और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गयी होगी। इसमें एक सूची बना लीजिएगा। जिन लोगों की मृत्यु हो गयी उनकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनकी पेंशन से वसूल सकते हैं, उस पर विचार किया जाए।

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, वसूली तो नहीं, उनको समायोजन देना पड़ेगा कि उन्होंने उस कार्य पर खर्च किया था या नहीं किया था।

श्री सभापति- यह किस कार्य का अग्रिम है?

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, यह किसी न किसी कार्य की एवज में लिया गया होगा।

श्री सभापति- कई आपत्तियां ऐसी आयी हैं कि अपने कर्मचारियों को नगर निगमों ने एडवांस दे दिया।

श्री विक्रम आदित्य सिंह मलिक- मान्यवर, 3,91,000 का एडवांस है। बाकी जो 6 करोड़ 40 लाख है, यह सी0एण्डडी0एस0 का है।

श्री के0पी0 आनन्द- मान्यवर, वर्ष 2013 में तेरहवें वित्त के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत हुई थी। उसमें 6 करोड़ 39 लाख रुपये सी0एण्डडी0एस0 को एस0टी0पी0 सुधार के लिए दिया गया था। उन्होंने इसमें ठीक काम नहीं किया। इसमें कई बार पत्र भी भेजा गया कि काम पूरा कर दिया जाए। इसमें जांच भी हुई थी। कार्यवाही के लिए नगर आयुक्त महोदय की ओर से एम0डी0, जल निगम को पत्र भी लिखा गया है कि इसमें कार्यवाही करके यू0सी0 दे दें।

श्री सभापति- इसमें शासन से मार्गदर्शन ले लीजिएगा। अभी यह प्रस्तर लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

नगर पालिका परिषद, मुरादनगर, जनपद-गाजियाबाद

क्रम संख्या-1, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ का क्रमांक-19, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक-दैनिक वेतन पर नियुक्त सफाई कर्मचारियों को भुगतानित धनराशि रु0 42,10,608.00 उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से वसूल न किया जाना अनियमित, कार्यालय/यूनिट का नाम-नगर पालिका परिषद मुरादनगर, जनपद-गाजियाबाद, सम्प्रेक्षण अवधि-2014-15, प्रस्तर क्रमांक व संख्या-2.8, भाग-क, प्रस्तर-3, चिन्हित धनराशि (रुपया)-42,10,608.00

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, इसमें मा0 उच्च न्यायालय के आदेश पर निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा 08 सफाई कर्मचारियों की सेवायें पालिका के आदेशानुसार समाप्त कर दी थी। उनको जो 42,10,608.00 रुपये का भुगतान हुआ था, वह उनसे वसूल किया जाना चाहिए था, लेकिन इसमें आगे फिर यह निर्णय हुआ था कि उत्तरदायी अधिकारी के निजी स्रोतों से वसूल किया जाना चाहिए था किन्तु नियमानुसार वसूली नहीं हुई थी। इसमें मा0 सर्वोच्च न्यायालय और मा0 उच्च न्यायालय के निर्देश है कि अगर किसी से काम लिया गया है तो जितनी अवधि का काम लिया गया है, उसको उतनी अवधि का भुगतान तो होगा ही होगा। उसको जब से हटा दिया गया, हटाने के बाद से कोई भुगतान नहीं मिलेगा।

ई0ओ0, मुरादनगर- मान्यवर, आपत्ति यह है कि जिन अधिकारियों ने उन्हें नियुक्त किया था, उनके निजी स्रोतों से वसूल किया जाना था।

श्री सभापति- इसमें मा0 उच्च न्यायालय का क्या आदेश है?

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, मा0 उच्च न्यायालय ने तो यह कहा होगा कि अनियमित नियुक्ति है और निरस्त कर दिया होगा फिर विभाग ने निर्णय लिया होगा चूंकि जब ऑडिट आपत्ति लगी होगी तो विभाग ने इसमें निर्णय लिया होगा कि जिन अधिकारियों ने अनियमित तरीके से नियुक्ति की थी, उनके निजी स्रोत से इसकी वसूली की जाए।

श्री सभापति- यह विभागीय आदेश है या मा0 न्यायालय का आदेश है?

ई0ओ0, मुरादनगर- मान्यवर, इसमें जी0ओ0 था कि दैनिक भोगी कर्मचारी न रखे जायें, उसके बाद भी कर्मचारी रख दिये गये। 2014 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वह फिर हटाये गये।

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, इसमें सम्प्रीक्षा आख्या में यही लिखा हुआ था कि 2014 के शासनादेश द्वारा इनकी सेवायें शासन के आदेश 6 दिसम्बर, 1991 के अनुपालन में दैनिक वेतन भोगी कुल 08 नियुक्त 08 दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की सेवायें, आदेश संख्या-107(1)-(8)/न0पा0प0मु0/14-15 दिनांक 24 मई,

2014 द्वारा समाप्त कर दी गयी। शासन द्वारा रोक लगाये जाने के उपरान्त भी नियुक्त किये गये दैनिक वेतन के कर्मचारियों को भुगतानित धनराशि उत्तरदायी अधिकारी के निजी स्रोतों से वसूल किये जाने का उल्लेख सम्प्रीक्षा आख्या में किया गया है। 2014 में हटाने का आदेश हो गया था, लेकिन कर्मचारी की जो भुगतानित धनराशि थी, उसके बारे में जो संबंधित नियुक्त अधिकारी है, उनके निजी स्रोत से वसूला जाए।

श्री सभापति- इसमें जिससे काम लिया गया है, उसकी तो कोई गलती नहीं है, अब जिसने गलत नियुक्त कर दिया था, उसने उससे काम तो लिया ही है।

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, इसमें श्री काशी प्रसाद पाठक और आर.एन. श्रीवास्तव थे।

श्री सभापति- यह मत तो ऑडिट का है कि नियुक्ति नियोक्ता के स्रोत से लिया जाए?

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, ऑडिट का ही है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इसमें 1991 में जिन लोगों को नियुक्त किया गया था, उनको शासन ने 2014 में हटा दिया था। गलत नियुक्ति के लिए जिन लोगों को उत्तरदायी माना गया था, उसने 07 लोगों को नियुक्त किया था। उसमें श्री आर.एन. श्रीवास्तव और श्री काशी प्रसाद पाठक के वेतन से रिकवरी के लिए ऑडिट में लिखा गया था। यह लोग केन्द्रीय सेवा से हैं, जिनका नियोक्ता प्राधिकारी निदेशालय है।

श्री सभापति- इनके वेतन से या उनसे वसूला जाए, क्या यह ऑडिट का सुझाव है या शासन का आदेश है?

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, शासन ने उस समय आदेश किया था, क्योंकि हम लोग लोकल बॉडीज में देखते थे। वर्ष 1991 की एक कटऑफ डेट शासन ने निर्धारित की थी कि स्थानीय निकायों में इस कटऑफ डेट के पहले के जो कर्मचारी है, उनको विनियमित कर दिया जाए और फिर शासनादेश में यह लिखा था कि इसके पश्चात् कोई भी न तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किया जाएगा, न ही कोई वर्कचार्ज कर्मचारी तैनात किया जाएगा और न ही कोई संविदा कर्मचारी तैनात किया जाएगा। उसी शासनादेश में यह लिखा था कि अगर कोई इस तरह की नियुक्ति की जाती है या कोई पारिश्रमिक भुगतान होता है तो उसकी वसूली नियोक्ता के वेतन से की जाए।

श्री बृजेश कठेरिया- यह किस सन् में आदेश आया था?

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, यह 2014 के शासनादेश में है। उसी में यह कटऑफ डेट फिक्स हुई थी। सन् 1991 की कटऑफ डेट थी कि जो लोग

1991 से काम कर रहे है, उन्ही को स्थायी किया जाए। हालांकि अब ज्यादातर लोग सेवानिवृत्त भी हो गये है। 1991 के बहुत कम कर्मचारी बचे हुए हैं। उसके बाद से कोई कटऑफ डेट नहीं आयी है। उसी के बाद से वर्कचार्ज, दैनिक वेतन और संविदाकर्मियों की नियुक्ति बन्द हो गयी है। अगर कहीं पर की गयी तो फिर ऑडिट विभाग ने शासनादेश का उल्लेख करते हुए नियोक्ता के निजी स्रोत से वसूलने के लिए कहा है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, जो पिछली बैठक की कार्यवृत्ति है, उसके हिसाब से यह प्रस्तर निदेशालय और शासन के बीच पेंडिंग है।

श्री सभापति- ठीक है, अभी यह प्रस्तर लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

नगर पालिका परिषद्, लोनी, जनपद-गाजियाबाद

क्रम संख्या-01, प्रस्तर संख्या-प्रस्तर क्रमांक-29, भाग-क, प्रस्तर-15, ऑडिट आपत्ति- आलोच्य अवधि की शो टैक्स मांग समाहरण पंजिका की जांच से विदित हुआ कि नगर पालिका परिषद् लोनी क्षेत्र में 06 सिनेमाघर थे, पूर्व में बन्द जिन्दल पैलेस, डी0एल0एफ0, अंकुर विहार एवं बलराज पैलेस पर शौ टैक्स की धनराशि क्रमशः रुपये 1,36,575.00 एवं 2,61,200.00 बकाया चली आ रही थी। मांग समाहरण पंजिका के अनुसार आलोच्य अवधि में टैक्स की बकाया धनराशि निम्नवत् थी।

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, इसमें बकाया धनराशि का उल्लेख है। इसमें जो टिप्पणी की गयी थी, उसमें यह था कि शो टैक्स की मांग, वसूली पंजी अधिशासी अधिकारी से सत्यापित नहीं करायी गयी थी, जो अनियमित था, जिसे सत्यापित कराकर प्रस्तुत किया जाए। सिनेमाघरों में चल रहे शो की पुष्टि हेतु कोई विवरण अथवा न चले शो की पुष्टि मनोरंजन कर अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र आगामी सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए। उक्त बकाया विवरण में 02 सिनेमाघर बन्द हो गये थे, जिसकी पुष्टि मनोरंजन कर अधिकारी के आदेश से कराये जाने एवं बकाया धनराशि शीघ्र जमा करायी जाए। समस्त सिनेमाघरों पर बकाया शो टैक्स की धनराशि आर0सी0 निर्गत करके वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिला मनोरंजन कर अधिकारी के पत्रांक 101/म0क0/2014-15 दिनांक 03 जून, 2014 द्वारा सत्यम थियेटर के 06.05.2002 से वर्ष 2012-13 तक 1621 प्रदर्शनों के बन्द का सत्यापन किया गया था। इसमें जो पहला वाला था, उसमें ई0ओ0 से पंजी सत्यापित हो गयी थी। दूसरे में सिनेमाघरों से शो की पुष्टि हेतु कोई विवरण अथवा न चले शो की पुष्टि हेतु प्रमाण-पत्र प्रेषित कर दिया गया है। दो सिनेमाघर बन्द हो गये थे, जिनकी पुष्टि

हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। समस्त सिनेमाघरों पर शो टैक्स की बकाया धनराशि आर0सी0 भेजकर वसूली करायी जा रही है। इसमें आर0सी0 भी जारी हो गयी है। प्रश्नगत प्रकरण में टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है। अवशेष धनराशि हेतु तहसीलदार लोनी से समन्वय स्थापित करते हुए शत-प्रतिशत वसूली करायी जा रही है।

श्री कृष्ण कान्त मिश्रा- मान्यवर, कुल बकाया धनराशि 2249,330.00 थी, उसकी आर0सी0 जारी की गयी है, उसके हिसाब से 1203500.00 रुपये की वसूली की जा चुकी है और 1045830.00 रुपये अवशेष हैं, जिसकी आर0सी0 जारी की गयी है। यह अंडर प्रोसेस है, हम इसकी वसूली 2 महीने में करा लेंगे।

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, अनुरोध है यदि 2 महीने का समय आप दे देंगे तो यह वसूली हो जाएगी।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, पिछली बैठक 31 जुलाई को हुई थी, उसमें भी 2 महीने का समय मांग गया था।

श्री राकेश कुमार सिंह- आप लोग तहसीलदार से समन्वय करके इसकी वसूली करवाइये।

श्री कृष्ण कान्त मिश्रा- मान्यवर, ठीक है।

श्री सभापति- लोनी और खोड़ा का एक प्रकरण और है। एक समय में कार्य में 300 प्रतिशत तक की वृद्धि की गयी है। इस वर्ष टेण्डर हुआ है, उसके एक साल बाद उसी टेण्डर में 300 प्रतिशत तक की वृद्धि की गयी है। उस समय लोनी और खोड़ा में एक ही ई0ओ0 थे। उसमें ऑडिट की आपत्ति थी। उसमें नगर आयुक्त, गाजियाबाद, ए0डी0एम0 सिटी और पी0डब्ल्यू0डी0 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, तीन लोगों की समिति के लिए समिति ने निर्देशित किया था फिर प्रमुख सचिव महोदय ने जांच करके भेज दिया। काफी लम्बा समय हो गया है।

श्री विक्रम आदित्य सिंह मलिक- मान्यवर, हमारे एक्स0ई0एन0, पी0डब्ल्यू0डी0, ए0डी0एम0 और रिप्रजेन्टेड उसमें दो बार गये थे, जांच चल रही है, उसको जल्दी करवायेंगे।

श्री सभापति- इसमें दो-तीन बिन्दु देखने चाहिए। एक तो यह है कि नियमों का अतिक्रमण अत्यधिक किन परिस्थितियों में हुआ है, दूसरा काम हुआ है या नहीं हुआ है। उसको बनाकर भेज दें।

श्री विक्रम आदित्य सिंह मलिक- मान्यवर, हम दे देंगे।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

क्रम संख्या-01, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक-5, ऑडिट पैराज से सम्बन्धित शीर्षक व क्रमांक-ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के क्रिय मूल्य से अधिक लागत रुपये 129054422/- एवं विकसित भूमि की लागत को एच.आई.जी. एवं एम.आई.जी. भवनों पर भारित न करने के कारण प्राधिकरण निधि को आर्थिक क्षति पहुंचाया जाना, कार्यालय/यूनिट का नाम-गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि-2015-16, प्रस्तर संख्या-भाग-'क' प्रस्तर-(एक)3, सन्निहित धनराशि-129054422/-

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, मा0 समिति की ओर से यह कहा गया था कि आप इसे यहां से निस्तारित करवाइये। यह प्रस्तर यहां तीन बार बैठक में आ चुका है। आप इसमें समय सीमा बता दीजिए। प्रमुख सचिव महोदय ने कहा था था कि मान्यवर, 2 माह का समय दे दीजिए। प्रमुख सचिव महोदय आप 31 दिसम्बर तक बोर्ड की बैठक में रखकर इसको निस्तारित करा लीजिए।

श्री राजेश कुमार सिंह- मान्यवर, हम करा लेंगे।

श्री सभापति- ठीक है, हमने 31 दिसम्बर तक का समय दिया था तो इस बीच जो भी बोर्ड की बैठक हो उसमें आप इसे लाकर निस्तारित करा दीजिएगा तब हम इसे समाप्त कर देंगे। अभी यह प्रस्तर लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

क्रम संख्या-02, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक-6, ऑडिट पैराज से सम्बन्धित शीर्षक व क्रमांक-हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण को दिये गये रुपये 50.00 करोड़ ऋण का भुगतान समय से न करने पर दण्ड ब्याज की व्यवस्था न करने से रुपये 152577385/- की क्षति एवं रुपये 611062789/- वसूली हेतु शेष रहना, कार्यालय/यूनिट का नाम-गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि-2015-16, प्रस्तर संख्या-भाग-'क' प्रस्तर-(एक)4, सन्निहित धनराशि-152577385/-

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, इस प्रस्तर में हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण को जो हमने 50.00 करोड़ का लोन दिया था, इसमें वह यह चाहते हैं कि ब्याज़ माफ कर दिया जाए, लेकिन चूंकि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने स्वयं 2014 से लोन लिया हुआ है और हम स्वयं ब्याज दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अगर हमने किसी को लोन दिया है तो उस पर हम ब्याज माफ नहीं कर सकते है।

श्री सभापति- यह विषय पिछली बार भी बैठक में आया था तो हमने यह कहा था कि दोनों प्रस्तर आवास विभाग के है। प्रमुख सचिव दोनों को देख लें,

निर्णय कर लें और जो निर्णय हो उसे बता दें। उसी के अनुसार हम इसको समाप्त कर देंगे। आप इसे परसू कर लीजिएगा।

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, यदि हमने स्वयं लोन नहीं लिया होता तब तो ठीक था। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पास स्वयं अभी 7-800 करोड़ रुपये का लोन है। हमने 1400 करोड़ रुपये का लोन लिया था, उस पर हम ब्याज दे रहे है। 7-800 करोड़ का लोन अभी भी है, उस पर भी ब्याज दे रहे है। अगर हम अपनी किसी सहायक संस्था को लोन देते है तो उस पर ब्याज तो बनता है, पीनल इंट्रेस्ट भले नहीं बनता है। पीनल इंट्रेस्ट इसमें से खत्म किया जा सकता है, लेकिन जो साधारण ब्याज है, वह मिलना चाहिए।

श्री सभापति- चर्चा में यह बात हुई थी कि हापुड़ विकास प्राधिकरण के पास 29 करोड़ रुपये की एफ0डी0 है, इसके अलावा उसके पास कोई पैसा ही नहीं है। हमने यह कहा था कि आप दोनों विभाग शासन की अध्यक्षता में बैठकर निर्णय कर लीजिएगा कि कितना लेना है और कितना देना है। लेना देना आप करते रहें। हम इसे समाप्त कर देंगे। क्या लेना-देना है आप प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में बैठक कर तय कर लीजिए।

क्रम संख्या-03, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक-9, ऑडिट पैराज से सम्बन्धित शीर्षक व क्रमांक-प्रताप विहार के 348 ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट्स की कीमत ब्रोशर में 2.00 लाख बताकर आवंटन के बाद 7.00 लाख करने से प्राधिकरण को अनावश्यक मुकदमेबाजी में फंसाना एवं हारने पर रुपये 174000000/-की क्षति सम्भाव्य,कार्यालय/यूनिट का नाम-गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि-2015-16, प्रस्तर संख्या-भाग-'क' प्रस्तर-(एक)6, सन्निहित धनराशि-174000000/-

श्री राजेश कुमार सिंह- मान्यवर, इस प्रस्तर को भी बोर्ड में ले जाकर निस्तारित करने का निर्णय हुआ था। इसे आरक्षित मूल्य में जोड़कर अर्जेस्ट करने का मामला था।

श्री सभापति- इसको भी बोर्ड के एजेण्डे में शामिल कर लें।

क्रम संख्या-04, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक-10, ऑडिट पैराज से सम्बन्धित शीर्षक व क्रमांक-प्राधिकरण द्वारा मैट्रो सेस की वसूली रुपये 11.85 करोड़ के सापेक्ष मेट्रो परियोजना हेतु रुपये 236.70 करोड़ 31 मार्च, 2016 तक भुगतान किये जाने के कारण प्राधिकरण निधि पर अनियमित व्यय भार रुपये 224.85 करोड़, कार्यालय/यूनिट का नाम-गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि-2015-16, प्रस्तर संख्या-भाग-'क' प्रस्तर-(एक)7, सन्निहित धनराशि-224.85 करोड़

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, इसमें यह देखना है कि विकास प्राधिकरण केवल बिल्डिंग बनाने का काम करेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी एक तरह से लोकल बॉडीज होती हैं या जो डेवलपमेन्ट अथॉरिटीज हैं, उनकी जिम्मेदारी है। मेट्रो सेस के रूप में यह कोई एक पीरियड के लिए तो नहीं आयेगा। यह पैसा लम्बे समय के लिए आता है। मान लीजिए कोई एक्सप्रेस वे बना और उस पर 10,000 करोड़ खर्च होता है तो वह अगले 1 साल या 2 साल में रिक्यूप होता है, वह लम्बे समय तक रिक्यूप होता है कि उसके किनारे मण्डियां बनेंगी, उसके किनारे इंडस्ट्रियल हब बनेंगे, उसके किनारे कोई और चीज बनेगी तो उससे सरकार को आय प्राप्त होगी। मेट्रो बनने से जी0डी0ए0 की जो परिसम्पत्ति है, उसकी कीमतों में वृद्धि हो रही है। साथ ही मेट्रो सेस के रूप में जो नक्शे वगैरह पास हो रहे हैं, उसमें हम धनराशि ले रहे हैं। समय के साथ धीरे-धीरे रिक्यूप होगा।

श्री सभापति- क्या यह पिछली बैठक में आया था?

श्री राजेश कुमार सिंह- मान्यवर, पिछली बैठक में देयताओं पर चर्चा हुई थी। प्राधिकरण को विभिन्न विभागों से जो पैसा मिलना था, इसकी चर्चा हुई थी कि जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का अंश था, नगर निगम का अंश था, आवास विकास का अंश था, यू.पी.सीडा का अंश था। यह चर्चा हुई थी। नगर निगम का अवशेष 201 करोड़ रुपये था और आवास विकास का 20 करोड़ रुपये था, जो जी0डी0ए0 को मिलना था।

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, नगर निगम केवल सर्विसेज को मेनटेन करने वाली संस्था है। जब मेट्रो का यहां पर निर्माण हुआ कि नए बस अड्डे तक मेट्रो आएगी तो उसमें नार्मली जो फण्डिंग पैटर्न बनाया जाता है, उसमें कहा गया होगा कि इसमें कुछ पैसा नगर निगम दे और कुछ पैसा आवास विकास परिषद दे दे, क्योंकि सभी को इसका फायदा होगा। इसमें नगर निगम की कुछ जमीनें नगर निगम के प्रबंधाधीन थीं, वह जी.डी.ए. के द्वारा पुनर्ग्रहण की गयी तो नगर निगम का यह कहना है कि हमारी प्रबंधाधीन भूमि चूंकि जी0डी0ए0 के

सुनियोजित विकास के लिए पुनर्ग्रहण भी हुई है, ऐसी स्थिति में हम अपना अंश नहीं दे सकते है तो नगर निगम का अंश जी0डी0ए0 ने दे दिया था। अब यह केवल किताबी लिखा पढ़ी बना हुआ है। इसमें जो बेसिक ऑडिट आपत्ति है, उस बेसिक ऑडिट आपत्ति को इस आधार पर ड्रॉप किया जा सकता है कि मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण जो जनपद गाजियाबाद के विकास एवं जनसामान्य को सुगम और सुव्यवस्थित यातायात के दृष्टिगत जनहित में कराया गया है, क्योंकि यह कराने का निर्णय राज्य सरकार लेती है और वह पत्र राज्य सरकार को जाता है। दूसरा जनोपयोगी परियोजना को पूर्ण कराने में किसी प्रकार की अनियमितता तो नहीं है, अभी तक कोई ऐसी अनियमितता नहीं आयी है। इतने समय से यह लोकोपयोगी हो गयी है। यह जनता के लिए काम कर रही है। इसमें ऑडिट को यही आपत्ति थी, इसमें इनका यह कहना था कि आपने इसका डी0पी0आर0 बनाया होगा। जब भी किसी परियोजना का डी0पी0आर0 बनता है तो उसमें यह होता है कि अगर इस पर सरकार का या किसी संस्था का पैसा इतना खर्च होगा तो यह कैसे रिक्यूप होगा। रिक्यूप करने में यह बनाया गया है कि यह मेट्रो सेस हम लेंगे। जैसे एलिबेटेड रोड बनी है तो एलिबेटेड सेस लेते हैं वैसे मेट्रो सेस लेंगे और उसमें दिखाया गया है कि जो प्रापर्टीज के रेट्स बढ़ेंगे, उससे ऑडिटर ने केवल मेट्रो सेस पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि अभी तो आपने इतने दिन में केवल 11 करोड़ इनसे वसूला है तो 236 करोड़ रुपये वसूलने में आपको वर्षो लग जायेंगे। यह जनहित की परियोजना है। यह आलरेडी हो गया है। इसकी किश्तों का भुगतान जी0डी0ए0 आलरेडी कर रहा है। इसको ड्रॉप कर देना चाहिए, इसमें कोई अनियमितता नहीं है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, जब मेट्रो को बनाये जाने के लिए जो भी डी0पी0आर0 बना उसमें सबको शेयर किया गया कि यह लोग इतना-इतना योगदान करेंगे। आपत्ति हमारी इस पर है कि जब यह तय हो गया था कि यह लोग इतना-इतना योगदान करेंगे जैसा आपने बताया उ0प्र0 आवास विकास, नगर निगम, यू0पी0सीडा यह सब योगदान करेंगे तो इन्होंने योगदान नहीं किया। हमारी आपत्ति यह है कि उन लोगों का शेयर न आने से प्राधिकरण निधि पर अनियमित व्यय भार पड़ा।

श्री राकेश कुमार सिंह- इससे केवल प्राधिकरण पर व्यय भार बढ़ा, अनियमित नहीं हुआ।

श्री सभापति- आवास विकास पर कितना शेयर है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, आवास विकास पर 390 करोड़ 43 लाख रुपये था।

श्री राजेश कुमार सिंह- मान्यवर, आवास विकास पर 355 करोड़ रुपये था, अब केवल 20 करोड़ रुपये की देयता बाकी है।

श्री सभापति- नगर निगम पर तो नहीं बनता है। अब कौन सा विभाग है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, यू.पी.सीडा बचा है।

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, यू.पी.सीडा भी दे चुके है। इसमें व्यय भार है, लेकिन अनियमित व्यय भार नहीं है।

श्री सभापति- मेट्रो परियोजना जनाकांक्षी और जनहित की परियोजना है। इसको पूरा करना सरकार का दायित्व और आवश्यकता भी है। मेट्रो चलने से गाजियाबाद नगर और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष रूप से सभी संस्थाओं को इसका आर्थिक लाभ होगा। चूंकि इस धनराशि में कोई आर्थिक वित्तीय अनियमितता नही है और यह जनहित में किया गया निर्णय है। इसको संस्थाओं ने अपनी जिम्मेवारी पर किया है। अत: यह ऑडिट आपत्ति निस्तारित करने योग्य है।

(निस्तारित योग्य संस्तुति की जाती है।)

क्रम संख्या-05, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक-17, ऑडिट पैराज से सम्बन्धित शीर्षक व क्रमांक-सार्वजनिक उपक्रम की प्रोफार्म दरों पर विनियोगा प्रोटेक्शन ग्रुप को डेटा एन्ट्री ऑपरेटर्स आपूर्ति का ठेका गतिमान रहने के कारण प्राधिकरण निधि से धनराशि रुपये 8358804/- का दुर्विनियोजन किया जाना, कार्यालय/यूनिट का नाम-गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि-2015-16, प्रस्तर संख्या-भाग-'क' प्रस्तर-(एक)12, सन्निहित धनराशि-8358804/-

श्री राजेश कुमार सिंह- मान्यवर, इसमें पी0एफ0 का मामला था। इसमें समिति ने जांच के लिए संस्तुति की थी कि उसने पी0एफ0 जमा किया या नही किया था तो उसने यह पी0एफ0 जमा नहीं किया था, उसके खिलाफ कार्यवाही चल रही है। विनियोगा का मामला था जो ऑपरेटर्स सप्लाई किया था, उसका पी0एफ0 उसको जमा करना चाहिए था, अभी पी0एफ0 कमिश्नर मेरठ उसकी इन्क्वायरी भी कर रहे है, उनके इन्स्पेक्टर आये थे, उस पर विनियोगा की कार्यवाही होगी।

श्री सभापति- ठीक है, इसके बाकी प्रस्तर निस्तारित किये जा चुके है। इस प्रस्तर को अभी लम्बित रखते है।

(लम्बित)

क्रम संख्या-06, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक-21, ऑडिट पैराज से सम्बन्धित शीर्षक व क्रमांक-राजेन्द्र नगर सेक्टर-2 में 560 ई.डब्ल्यू.एस. भवनों के निर्माण में पूर्ववर्ती कार्यों में सम्पूर्ण मद न लिये जाने के कारण प्राधिकरण निधि को रुपये 1408008/- की आर्थिक क्षति, कार्यालय/यूनिट का नाम-गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, सम्प्रेक्षण अवधि-2015-16, प्रस्तर संख्या-भाग-'क' प्रस्तर-(एक)15, सन्निहित धनराशि-1408008/-

श्री सभापति- मेरे ख्याल से यह राजेन्द्र नगर सेक्टर-2 वाला प्रस्तर भी आपको बोर्ड बैठक में लाना है।

श्री राजेश कुमार सिंह- मान्यवर, यह वही प्रस्तर है।

श्री सभापति- ठीक है, इसे बोर्ड बैठक में ले आइयेगा। इस प्रस्तर को अभी लम्बित रखते है।

(लम्बित)

बेसिक शिक्षा विभाग

क्रम संख्या-1, सम्प्रेक्षण अवधि/प्रतिवेदन वर्ष-2010-11, भाग/प्रस्तर-भाग-क, प्रस्तर-1, सन्निहित धनराशि-3174180.00

श्री ओ0पी0 यादव- मान्यवर, यह तीन विद्यालयों का प्रस्तर था। इस पर लखनऊ में मा0 समिति की बैठक में चर्चा हुई थी। इसमें उपभोग प्रमाण पत्र देना था। अब हम लोगों ने इसका उपभोग प्रमाण पत्र लगा दिया है, इसका उपभोग हुआ भी है, उसका प्रमाण पत्र भी लगा है और स्कूलों के फोटोज भी लगे हुए है।

श्री सभापति- ठीक है, आप ऑडिट टीम को साक्ष्य उपलब्ध करा दीजिए। इस प्रस्तर को निस्तारित करने की संस्तुति की जाती है।

(निस्तारित करने योग्य संस्तुति)

वार्षिक प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या-257, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-9.4, कार्यालय/यूनिट का नाम-बेसिक शिक्षा समिति गाजियाबाद, सम्प्रेक्षण अवधि/प्रतिवेदन वर्ष-2010-11, भाग/प्रस्तर-भाग-'क' प्रस्तर-2, सन्निहित धनराशि-2,68,150.00

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, वर्ष 2010-11 में चहारदीवारी एवं गेट के निर्माण हेतु अनुदान का उपभोग न किया जाना एवं उपभोग न किये जाने की स्थिति में अनुदान धनराशि रुपये 2,68,150 शासन को वापस न किये जाने का मामला है। इनका कहना है कि पूरी धनराशि समर्पित की जा चुकी है।

श्री ओ0पी0 यादव- मान्यवर, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिन्ट हो गया है। इसमें 40150 रुपये जो प्राथमिक विद्यालय कमालपुर के लिए आये थे, वह धनराशि उस विद्यालय में यूज न होकर एक विद्यालय अहमदपुर है, ग्राम शिक्षा समिति के

अनुमोदन से वहां की डेस्कों की मरम्मत में 10,150 रुपये का उपभोग हुआ था और शेष धनराशि समर्पित कर दी गयी है। चेक संख्या भी संलग्न है।

श्री सभापति- कुल कितनी धनराशि का मामला था?

श्री ओ0पी0 यादव- मान्यवर, 2,68,150 रुपये का मामला था।

श्री सभापति- 2,68,150 रुपये का मामला था, इसमें से 10,150 रुपये आपने खर्च किये बाकी आपने वापस कर दिये। यह प्रस्तर निस्तारण योग्य है।

(निस्तारित करने योग्य संस्तुति)

वार्षिक प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या-185, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-7.3, कार्यालय/यूनिट का नाम-बेसिक शिक्षा समिति गाजियाबाद, सम्प्रेक्षण अवधि/प्रतिवेदन वर्ष-(2015-16)/प्रतिवेदन वर्ष 2017-18, भाग/प्रस्तर-भाग-'क' प्रस्तर-1(ख)-1, सन्निहित धनराशि-6589500.00

श्री ओ0पी0 यादव- मान्यवर, यह प्रस्तर एच.आर.ए. से संबंधित है। इसमें हम हम लोगों ने उप जिलाधिकारों को पत्र लिख दिया है। हम लोग इसकी जांच करा रहे है।

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, इसमें इन लोगों ने विद्यालय की सूची बनाकर सभी उप जिधिकारियों को भेजी है कि उनकी नगर पालिका परिषद से विद्यालय की कितनी दूरी पर है। वह नगर पालिका परिषद से एक निश्चित दूरी तक ही भत्ता मिलता है।

श्री सभापति- नगर निगम के क्षेत्र में 08 किमी0 तक 'ए' प्लस है।

सुश्री मनप्रीत कौर- मान्यवर, नगर निगम के 08 किमी0 के दायरे में शहरी क्षेत्र का भत्ता श्रेणी 'ए' का मिलेगा।

श्री सभापति- नगर पालिका में क्या व्यवस्था है?

सुश्री मनप्रीत कौर- मान्यवर, उसमें श्रेणी 'बी' का भत्ता मिलेगा।

श्री सभापति- नगर पंचायत में क्या व्यवस्था है?

सुश्री मनप्रीत कौर- मान्यवर, नगर पंचायत में श्रेणी 'सी' का भत्ता मिलेगा।

श्री सभापति- क्या अभी आपके पास आख्या नहीं आयी है?

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, अभी मैंने जल्द ही पत्र लिखा है।

श्री सभापति- ठीक है, यह प्रस्तर अभी लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

वार्षिक प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या-257, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-9.4, कार्यालय/यूनिट का नाम-बेसिक शिक्षा समिति गाजियाबाद, सम्प्रेक्षण अवधि/प्रतिवेदन वर्ष-2011-12, भाग/प्रस्तर-भाग-'क' प्रस्तर-4, सन्निहित धनराशि-3666300.00

श्री ओ0पी0 यादव- मान्यवर, हम लोगों ने यह प्रस्तर मा0 समिति के सामने रखा था कि पावर कॉरपोरेशन को हम लोगों ने बिल दिया है, लेकिन कुछ स्कूलों के कनेक्शन नम्बर हम लोगों को नहीं मिल पाये थे, क्योंकि वह स्कूल हापुड़ के थे। अब उन सभी स्कूलों के कनेक्शन नम्बर मिल गये है।

श्री सभापति- ठीक है, यह प्रस्तर निस्तारण योग्य है।

(निस्तारित करने योग्य संस्तुति)

वार्षिक प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या-257, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-9.4, कार्यालय/यूनिट का नाम-बेसिक शिक्षा समिति गाजियाबाद, सम्प्रेक्षण अवधि/प्रतिवेदन वर्ष-2010-11, भाग/प्रस्तर-भाग-'क' प्रस्तर-9, धनराशि-आगणित नहीं।

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, इसमें शिक्षकों को बिना समुचित कारण के निलम्बित कर बहाल किया गया था, जिनको बिना किसी दण्ड/लघु दण्ड के बहाल किया गया था। स्पष्ट था शिक्षकों को एक लम्बी अवधि तक बिना कार्य के भुगतान किया गया था, जो आपत्तिजनक था।

श्री ओ0पी0 यादव- मान्यवर, तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इन अध्यापकों की प्रथमदृष्टया कुछ कमियां पायी गयी होंगी, उनकी रिपोर्ट पर खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा इन अध्यापकों निलम्बित किया गया था बाद में जांच अधिकारी नियुक्त किये गये। जांच अधिकारी ने पाया कि यह दोष सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए इनको सवेतन बहाल कर दिया गया था।

श्री सभापति- निलम्बन की अवधि में वह कहां रहे? निलम्बन की अवधि में वह किसी न किसी विद्यालय में अटैच रहे है तो फिर बिना काम के वेतन कहां दिया गया है?

श्री ओ0पी0 यादव- मान्यवर, शिक्षण कार्य किया है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, प्रमुख सचिव महोदय ने कहा था कि मान्यवर, मै अभिलेख देखकर उस हिसाब से पर्सनल मिलान करके जांच करा लूंगा। इस पर आपके द्वारा निर्देश दिये गये थे कि जांच की रिपोर्ट जब उप समिति अध्ययन-भ्रमण पर आयेगी उस समय आप प्रस्तुत कर दीजिएगा तब तक यह प्रस्तर लम्बित रहेगा।

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, निलम्बन अवधि में जिन भत्तों का भुगतान किया गया था एवं सवेतन बहाल होने पर निलम्बन अवधि का अवशेष वेतन एरियर के रूप में भुगतानित किया गया था।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इसमें यह पुष्टि नही हुई थी कि जिस समय उनका निलम्बन हुआ था उस समय उनको कहां संबद्ध किया गया और कहां उनसे काम लिया गया था।

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, आख्या में लिखा हुआ है।

श्री सभापति- जब वह निर्दोष है तो उन्हें वेतन तो देंगे ही। यह प्रस्तर निस्तारण योग्य है।

(निस्तारित करने योग्य संस्तुति)

वार्षिक प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या-257, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-9.4, कार्यालय/यूनिट का नाम-बेसिक शिक्षा समिति गाजियाबाद, सम्प्रेक्षण अवधि/प्रतिवेदन वर्ष-(वर्ष 2010-11 से 2012-13) के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14, भाग/प्रस्तर-भाग-क, प्रस्तर-8, सन्निहित धनराशि-173905.00

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, यह रिकवरी प्रारम्भ हो गयी है। माह अक्टूबर, 2023 से इन लोगों ने रिकवरी 15,000 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रारम्भ कर दी है।

श्री सभापति- क्या प्रसूति अवकाश एक ही मिलता है?

सुश्री मनप्रीत कौर- मान्यवर, वह सेवा में आने से पहले एक बार प्रेगनेन्ट हुई थी और सेवा में आने के बाद जो उनकी दो और सन्तानें थी, उस तीसरे पर उन्होंने प्रसूति अवकाश ले लिया जबकि पहले और दूसरे पर मिलता है।

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, सेवा में आने के पहले एक सन्तान थी। सेवा में आने के बाद दो और सन्तानें हो गयी, लेकिन दो ही सन्तान तक प्रसूति अवकाश ले सकते है। कायदे से तो उनको एक ही सन्तान तक का लेना चाहिए था। एक का नहीं लेना चाहिए था।

श्री सभापति- इसमें नियम क्या है? क्या सेवाकाल में दो बार प्रसूति अवकाश ले सकते है?

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, पहले दो बच्चों पर ले सकते है। इसमें रिकवरी प्रारम्भ हो गयी है।

श्री सभापति- ठीक है, यह प्रस्तर अभी लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

वार्षिक प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या-257, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-9.4, कार्यालय/यूनिट का नाम-बेसिक शिक्षा समिति गाजियाबाद, सम्प्रेक्षण अवधि/प्रतिवेदन वर्ष-(वर्ष 2010-11 से 2012-13) के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14, भाग/प्रस्तर-भाग-क, प्रस्तर-10, सन्निहित धनराशि-11,286.00

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, यह प्रस्तर अवैतनिक अवकाश की अवधि को चयन वेतनमान दिये जाने के कारण रु0 11,286.00 की रिकवरी के संबंध में है। इनका यह कहना है कि वेतन से रिकवरी की जा चुकी है।

श्री सभापति- ठीक है, यह प्रस्तर निस्तारण योग्य है।

(निस्तारित करने योग्य संस्तुति)

वार्षिक प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या-257, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-9.4, कार्यालय/यूनिट का नाम-बेसिक शिक्षा समिति गाजियाबाद, सम्प्रेक्षण अवधि/प्रतिवेदन वर्ष-(वर्ष 2010-11 से 2012-13) के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14, भाग/प्रस्तर-भाग-क, प्रस्तर-12, सन्निहित धनराशि-49,120.00

श्री राकेश कुमार सिंह- मान्यवर, इस संबंध में विभाग का कहना है कि इसमें माह, अक्टूबर के वेतन से दो अध्यापकों की रिकवरी आख्या के हिसाब से की जा चुकी है। यह रिकवरी भी पूर्ण हो चुकी है।

श्री सभापति- ठीक है, यह प्रस्तर निस्तारण योग्य है।

(निस्तारित करने योग्य संस्तुति)

वार्षिक प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या-185, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-7.3, कार्यालय/यूनिट का नाम-बेसिक शिक्षा समिति गाजियाबाद, सम्प्रेक्षण अवधि/प्रतिवेदन वर्ष-2017-18, भाग/प्रस्तर-भाग-'क', प्रस्तर-1(ख)-3, सन्निहित धनराशि-367081.00

वित्त एवं लेखाधिकारी- मान्यवर, इस संबंध में अवगत कराना है कि पूरे सेवाकाल में 365 दिन का चिकित्सीय अवकाश मिलता है। ऑडिट टीम का कहना है कि इन्होंने उससे ज्यादा दिनों का चिकित्सीय अवकाश और उस अवधि का वेतन भी ले लिया था परन्तु ऐसा नहीं है। पीछे साक्ष्य लगा हुआ है। इन्होंने अपने सेवाकाल में पूरे 302 दिन का ही चिकित्सीय अवकाश लिया है, जो कि वर्ष 2014 में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित है।

श्री सभापति- ठीक है, यह प्रस्तर निस्तारण योग्य है।

(निस्तारित करने योग्य संस्तुति)

श्री राकेश कुमार सिंह- मैं मा0 समिति के सभापति महोदय का, मा0 सदस्य श्री महेश चन्द्र गुप्ता जी का, मा0 सदस्य श्री स्वामी ओउमवेश जी का, मा0 सदस्य श्री बृजेश कठेरिया जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ आपके द्वारा

जो प्रतिवेदन परीक्षा के दौरान निर्देश दिए हैं, संबंधित विभाग उसका पालन करते हुए इनका निस्तारण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

(जिलाधिकारी महोदय द्वारा मा0 सभापति महोदय तथा उपस्थित सभी मा0 सदस्यों को मोमेन्टो और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया।)

(तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही संपन्न हुई।)

"प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति" (2022-23) की बैठक की कार्यवाही।

दिनाँक: 28.12.2023 स्थान- जिला पंचायत सभागार,
समय-12.00 बजे मध्याह्न मेरठ।

उपस्थिति

01. श्री सुनील कुमार शर्मा	मा0 सभापति
02. श्री महेश चन्द्र गुप्ता	सदस्य
03. इं0 बृजेश कठेरिया	सदस्य
04. श्री स्वामी ओउमवेश	सदस्य।

विधान सभा सचिवालय के अधिकारी

01. श्री नीरज कुमार सोनकर, समिति अधिकारी।

लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी

01. श्री नीरज कुमार गुप्ता, उप निदेशक, लखनऊ मण्डल।

जनपद मेरठ में जिला प्रशासन नगर विकास विभाग, आवास विकास विभाग, कृषि विपणन विभाग, कृषि विदेश व्यापार, बेसिक शिक्षा विभाग, मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ कृषि विश्वविद्यालय एवं मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारीगण

01. सुश्री नुपुर गोयल, सी0डी0ओ0, मेरठ,
02. डॉ0 अमित पाल शर्मा, नगर आयुक्त, मेरठ,
03. श्री अभिषेक पाण्डेय, वी0सी0, मेरठ विकास प्राधिकरण,
04. श्री चन्द्र पाल तिवारी, सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण,
05. श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी, ए0डी0एम0(एफ/आर), मेरठ,
06. श्री अमित कुमार, ए0डी0एम0, (ई0),
07. श्री विनय कुमार पाण्डेय, ए0ओ0,
08. श्री रमेश चन्द्र, एफ0ओ0, सी0सी0एस0यू0,
09. श्री धीरेन्द्र कुमार, रजिस्ट्रार, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरठ,
10. श्री अमरेश कुमार, डी0डी0ए0, मण्डी, मेरठ,
11. श्री वी0के0 सोनकर, एस0ई0, एम0डी0ए0,
12. श्री अरुण शर्मा, ई0ई0, एम0डी0ए0,
13. श्री राहुल यादव, ए0ए0एम0ओ0, मेरठ,
14. श्री धीरज सिन्हा, सी0ई0, हाइडिल,

15. श्री वीरेन्द्र कुमार, एक्स0ई0एन0, यू0पी आवास विकास,
16. श्री राजीव कुमार, एस0ई0, आवास विकास,
17. श्री जे0पी0एस0 यादव, सी0एफ0ओ0, नगर निगम,
18. डॉ0 कौशलेन्द्र सिंह; एम0एस0, पी0एल0 शर्मा डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल,
19. श्री क्षत्रेश कुमार, जूनियर एसिस्टेंट, हाइयर एजूकेशन,
20. डॉ0 हरेन्द्र बंसल, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
21. श्री पंकज कपूर, एकाउंटेंट, बी0एस0ए0,
22. श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय,
23. श्री अजय कुमार तिवारी, ए0ओ0, कृषि विश्वविद्यालय,
24. श्री सुमित कुमार, डी0आई0ओ0,
25. श्रीमती आशा चौधरी, बी0एस0ए0,
26. श्री विजिन बालियान, मण्डी सचिव, मरेठ,
27. सुश्री करमजीत कौर, एफ0ए0ओ0, बेसिक शिक्षा,
28. श्री शुभम ढाका, मण्डी सचिव,
29. श्री निशांत खोखर, आर0ए0ओ0, मण्डी परिषद मेरठ,
30. श्री अमरेश कुमार, डी0डी0ए0, मण्डी मेरठ,
31. डॉ0 महावीर सिंह, सी0एम0ओ0,
32. डॉ0 ज्योत्सना कुमारी, एस0आई0सी0, डी0डब्ल्यू0एच0, मेरठ,
33. डॉ0 अर्चना त्यागी, ए0डी0 हेल्थ, मेरठ,
34. डॉ0 अशोक, जे0डी0, हेल्थ, मेरठ,
35. डॉ0 कौशलेन्द्र सिंह, एम0एस0, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, मेरठ,
36. श्री प्रमोद कुमार सिंह, सीनियर एसिस्टेंट(पी0एल0एस0एच0),
37. श्री देवेन्द्र कुमार, एस0ए0, ए0डी0 ऑफिस, हेल्थ,
38. श्री मोहित कुमार, ए0सी0आई0, डी0आई0सी0,
39. श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, ए0ए0ओ0(फूड एण्ड सिविल) सप्लाई डिपार्टमेण्ट,
40. श्री अखिलेश कुमार सिंह, डी0एफ0एम0ओ0, मेरठ,
41. श्री शेर सिंह, डी0आई0, ए0डी0 ऑफिस,
42. श्री प्रदीप गोयल, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मेरठ।

बैठक की कार्यवाही श्री सुनील कुमार शर्मा मा0 सभापति के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई।

(परिचयोपरान्त)

(एडी0एम0 महोदय द्वारा मा0 सभापति महोदय तथा उपस्थिति मा0 सदस्यों को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।)

मेरठ विकास प्राधिकरण, जनपद-मेरठ

क्र0सं0-01, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक-149, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-विकास प्राधिकरण द्वारा बेचे गये भूखण्डों के मूल्य पर 10 प्रतिशत अधिभार न लिये जाने से रु0 2,37,66,300/- की धनराशि इन्फ्रास्ट्रक्चर खाते में न जमा कराये जाने से प्राधिकरण को आर्थिक क्षति होना, कार्यालय/यूनिट का नाम-मे0वि0प्रा0, सम्प्रेक्षण अवधि- 2015-16, प्रस्तर संख्या-प्रस्तर-14, सन्निहित धनराशि-2,37,66,300/-

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, पिछली बैठक में यह कहा गया था कि इसमें लगभग 5 करोड़ 12 लाख रुपये अभी बाकी है, बाकी अन्य मामलों में 23 करोड़ रुपये बाकी है। मा0 समिति के द्वारा यह कहा गया था कि विभाग को यह पैसा लेना चाहिए था, इसमें इनकी लापरवाही रही है। इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। प्रमुख सचिव महोदय मै यह चाहूंगा कि इसकी जिम्मेदारी निर्धारित हो। प्रमुख सचिव महोदय ने कहा था कि इस पर हम जिम्मेदारी निर्धारित कराते है। जो भी प्रकरण 5 करोड़ 12 लाख के बचे हुए है, उन सबमें आर0सी0 जारी कराकर वसूली कर लेंगे।

श्री सभापति- जो 5 करोड़ 12 लाख बचे हुए है, इसके लिए विभाग ने क्या किया है?

श्री अभिषेक पाण्डेय- मान्यवर, 5 करोड़ 12 लाख रुपये की पेंडेसी है। कुछ कमी भी आयी है। वर्तमान में 53 आवंटियों से 4.92 लाख रुपये वसूले जाने है। पिछली बार मा0 समिति ने यह निर्देश दिये थे कि जो डिफाल्टर आवंटी है, उन्हें चिन्हित करके नोटिस दिया जाए। 2 दिसम्बर को जो 53 डिफाल्टर आवंटी है, उनको नोटिस दी गयी है और एक अन्तिम मौका देते हुए उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है।

श्री सभापति- नोटिस कब दिया है?

श्री विकास- मान्यवर, आखिरी नोटिस 2 दिसम्बर, 2023 को दिया है और इसके पूर्व वर्ष 2019, 2020 और 2021 में नोटिसें दी जा चुकी है।

श्री सभापति- समिति की बैठक कब हुई थी?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, 22 नवम्बर, 2023 को बैठक हुई थी।

श्री अभिषेक पाण्डेय- मान्यवर, इसमें जो कर्मचारी चिन्हित किये गये थे, उन सभी को सो कॉज नोटिस देकर उनका जवाब प्राप्त करके चार्जशीट दे दी है और उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री सभापति- अभी इसमें हमने कितनी वसूली की है?

श्री अभिषेक पाण्डेय- मान्यवर, हमने कुल धनराशि का लगभग 2.03 करोड़ रुपये वसूला है। 16.71 करोड़ के ऊपर न्यायालय का स्टे है।

श्री सभापति- जो न्यायालय का स्टे है, वह तो अलग है। उसके अतिरिक्त कितनी धनराशि बची है?

श्री अभिषेक पाण्डेय- मान्यवर, उसके अतिरिक्त कुल 6 करोड़ के आस-पास की धनराशि बची है, इसमें से 2 करोड़ रुपये की वसूली हो गयी है बाकी को आर0सी0 जारी कर दी गयी है।

श्री सभापति- वसूली की कार्यवाही तो यह कर रहे है और जो मामले मा0 न्यायालय में पेंडिंग है, उन पर मा0 न्यायालय निर्णय करेगा।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है कि वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही कर नहीं ली गयी है।

श्री अभिषेक पाण्डेय- मान्यवर, क्योंकि अभी वह धनराशि रियलाइज नहीं हुई है, इस वजह से लिखा गया है कि कार्यवाही की जा रही है। मेरा अनुरोध है कि इस प्रस्तर को निस्तारित कर दिया जाए। अगर हम लोग नोटिस के माध्यम से एक माह में वसूल नहीं कर पाते है तो हम आर0सी0 जारी करा देंगे।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, कई मामलों में विभागों द्वारा आश्वासन दिया गया है और कार्यवाही अभी तक पूर्ण नहीं हुई है।

श्री सभापति- पहले आप आर0सी0 जारी कर दें तब हम इसे निस्तारित कर देंगे। आप आर0सी0 कब तक जारी करा देंगे?

श्री अभिषेक पाण्डेय- मान्यवर, हम 15 दिन में आर0सी0 जारी करा देंगे।

श्री सभापति- ठीक है, अभी यह प्रस्तर लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

क्रमसं0-03, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक-149, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-माननीय जनपद न्यायालय द्वारा निर्धारित अवार्ड (प्रतिकर) की धनराशि प्राप्त करने के अतिरिक्त दिनांक 23.09.10 एवं दिनांक 08.04.11 के तहत समझौता के अन्तर्गत देय धनराशि प्राप्त करने के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा शताब्दीनगर योजना के अन्तर्गत कंचनपुर घोपला एवं नगला शेरखां उर्फ जैनपुर की 620 एकड़ जमीन पर भौतिक कब्जा न प्राप्त करने के कारण विकास प्राधिकरण को रु0 2,07,05,52,000.00 की आर्थिक क्षति, कार्यालय/यूनिट का नाम-मे0वि0प्रा0,

नाम-मे0वि0प्रा0, सम्प्रेक्षण अवधि- 2015-16, प्रस्तर संख्या-प्रस्तर-27, सन्निहित धनराशि-2,07,05,52,000/-

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, यह शताब्दीनगर का प्रकरण है। इसमें यह कहा गया था कि प्राधिकरण द्वारा मुआवजे की धनराशि देने के बाद भी कब्जा नहीं प्राप्त किया गया। इससे प्राधिकरण को आर्थिक हानि होनी बतायी गयी है। पिछली बार मा0 समिति ने हमसे यह पूछा था कि इस भूमि के ऊपर आपने वास्तविक कब्जा कभी प्राप्त किया था अथवा नहीं प्राप्त किया था तो उस विषय में आज हमने साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है कि इस योजना की अलग-अलग ग्राम पंचायतों में कुल 07 ग्राम प्रभावित थे। वर्ष 1989 से लेकर वर्ष 2002 तक हमने वहां पर भौतिक कब्जा प्राप्त किया था परन्तु बाद में प्रतिकर के मूल्य निर्धारण को लेकर किसानों से विवाद के कारण विकास कार्य के बाद भी वहां पर कब्जा कर लिया। इसमें मैं मा0 समिति की कार्यवाही से आपको अवगत कराना चाहता हूं। इसमें मा0 समिति की ओर से यह कहा गया था कि आपने जो पजेशन लिया है, उसका साक्ष्य उपलब्ध करा दीजिए। अगर पजेशन लेने का कोई साक्ष्य नहीं है तो उसमें लापरवाही निश्चित रूप से की गयी है। आप अपनी जमीन को बचाते, वहां पर चौकीदार छोड़ते, पुलिस चेकपोस्ट बनाते जो कुछ भी आप कर सकते थे, वह करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जिसका लाभ उठाकर लोगों ने वहां पर अवैध कब्जा कर लिया है। यह जिम्मेदारी आप लोगों की तय होती है। यह प्रकरण अभी लम्बित रहेगा। इसमें कितनी जमीन का पजेशन ले लिया गया है?

श्री अभिषेक पाण्डेय- मान्यवर, यह पूरी परियोजना 1620 एकड़ की थी। 1620 एकड़ में सम्पूर्ण भूमि के ऊपर पजेशन सर्टिफिकेट हम लोगों के पास उपलब्ध है। हमने साक्ष्य के रूप में भी इसको प्रस्तुत किया है। परन्तु अलग-अलग समय पर समझौते का प्रयास हुआ और समझौते से क्षुब्ध किसानों द्वारा इस भूमि पर कहीं-कहीं विकास कार्य के बाद भी कब्जा ले लिया गया है। इस प्रकरण में एक गम्भीर विषय है, जिसके ऊपर यदि मा0 समिति की अनुमति हो तो मैं अवगत कराना चाहूंगा। पूरे शताब्दीनगर के प्रकरण में यह योजना प्राधिकरण द्वारा 1987 में लायी गयी थी और धारा-11 के अन्तर्गत जो अभी निर्णय हुआ था, वह 1990 में हो गया था। इस प्रतिकर के निर्धारण के उपरान्त सर्वप्रथम 2003 में समझौते का एक प्रयास किया गया। वह समझौता सफल नहीं हुआ फिर 2005 में किया गया और 2011 में समझौते किये गये। इन सभी समझौतों के लिए 2001 का शासन का शासनादेश है उसको आधार बनाया गया। वह शासनादेश दिनांक 16 जून, 2021 का है और सचिव आवास विभाग द्वारा जारी

किया गया है। उस शासनादेश की एक प्रति मैं मा0 समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। उस शासनादेश में जो कन्क्लूडिंग रिमार्क्स है, वह यह है कि न्याय विभाग के उक्त विधिक परामर्श के आलोक में स्पष्ट है कि विचारोपरान्त सन्दर्भित वादों के प्रतिकर निर्धारण के पूर्व अथवा उपरान्त भी आवश्यकतानुसार निगोशियेट कर दरों को कम करने का समझौता किया जा सकता है तथा समझौता न्यायालय के समझ रखते हुए विधिक परामर्शानुसार कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन यह जो भी समझौते 2003, 2005 या 2011 में किये गये है, उन सभी समझौतों में जो दर निर्धारण किया गया था, उसे अधिक बढ़ाकर समझौता किया गया था। यह एक बिन्दु है, जिसका वित्तीय प्रभाव प्राधिकरण के ऊपर बहुत पड़ा है। शासन में कहीं पर भी यह व्यवस्था नहीं थी कि आप दर बढ़ा सकते है परन्तु यहां पर समझौते किये गये हैं।

श्री सभापति- हमने पैसा दे दिया और जमीन पर कब्जा नहीं ले पाए, चर्चा की अन्त में यह बात आयी थी। आप बता रहे है कि आपने पजेशन लिया है, आपने पजेशन लिया है तो उसके साक्ष्य उपलब्ध करा दीजिए। अगर पजेशन लेने का कोई साक्ष्य नहीं है तो इसमें लापरवाही सुनिश्चित की जाएगी। आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा था या तो आप अपनी जमीन बचाते या तो वहां पर चौकीदार छोड़ते, पुलिस चेकपोस्ट बनाते या फिर जो भी आप कर सकते थे, वह करते लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, जिसका लाभ उठाकर वहां पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। यह जिम्मेदारी आप लोगों की तय होती है। आपने उस भूमि पर एक बार कब्जा लिया, इसके साक्ष्य आप समिति के सम्मुख प्रस्तुत कर दें।

श्री अभिषेक पाण्डेय- मान्यवर, कुछ साक्ष्य हमने प्रस्तुत किये हैं। राजस्व से हमें अलग-अलग ग्रामों के पजेशन सर्टिफिकेट मिले है।

श्री सभापति- राजस्व ने तो आपको भौतिक कब्जा दे दिया, लेकिन आपने क्या किया है?

श्री अभिषेक पाण्डेय- मान्यवर, जब राजस्व द्वारा पजेशन दिया जाता है तो मौके पर जाकर ही दिया जाता है। अवस्थापना से गांव का विकास किया था। सड़क का, पानी की टंकी का आदि चीजों का विकास किया था। वहां पर लोगों को आवंटन भी किया गया था।

श्री सभापति- अब क्या स्थिति है?

श्री अभिषेक पाण्डेय- मान्यवर, 620 एकड़ के ऊपर अभी भी किसानों का अलग-अलग सेक्टर्स में कब्जा है और जो आखिरी समझौता हुआ था, वह 2011 में हुआ था।

श्री सभापति- जिन्होंने जमीन नहीं ली और पैसा ले लिया तो क्या उनके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही की गयी है?

श्री अभिषेक पाण्डेय- मान्यवर, समय-समय पर उनके विरूद्ध एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी गयी है। इस प्रकरण में कृष्ण मोहन प्रसाद सिन्हा हमारे एक आवंटी थे, वह मा0 उच्च न्यायालय भी गये। मा0 उच्च न्यायालय से भी आदेश प्राप्त हुए कि अगर इस प्रकरण में आवश्यकता है तो प्रमुख सचिव, गृह की मदद से पुलिस बल की मदद से जमीन पर वापस कब्जा पाया जाए और उसमें प्रयास भी किये गये परन्तु वहां पर भारी विरोध एवं पथराव के कारण दो-तीन बार वापस होना पड़ा।

श्री सभापति- अगर आपको यह लगता है कि हम कब्जा नहीं ले सकते है तो फिर पैसा वापस लेने की प्रक्रिया कर लीजिए। पैसा भी ले लेंगे, जमीन भी ले लेंगे यह तो कोई बात नहीं हुई। अगर विभाग यह मानता है कि हम कब्जा ले ही नहीं सकते हैं तो फिर आप मा0 न्यायालय में जाइये अपनी कार्यवाही कीजिए कि आपने समझौता निरस्त कर दिया। आपने पजेशन ले लिया, आप हमारा पैसा वापस करिये। क्या आपने इसमें शासन से कोई निर्देश प्राप्त किया है?

श्री अभिषेक पाण्डेय- मान्यवर, इस विषय में हमारा मत यह है कि हमें वहां अभी जमीन मिलने के आसार हैं।

श्री सभापति- 33 साल हो गये है। उस वक्त जमीन की क्या कीमत रही होगी। हमारा कहना यह है कि ऑडिट आपत्ति का उद्देश्य होता है कि अगर कहीं आपका नुकसान हो रहा है तो उसके प्रति आपको सचेत करें, सरकार को सचेत करें कि आपकी आर्थिक क्षति हो रही है। रिमाइंडर तो सचिव ने दिया, लेकिन इसको अन्तहीन नहीं रख सकते है। आपको जो लगता है कि अंश का प्रस्ताव है, इसको ले सकते हैं तो लेने की तरफ कदम बढ़ायें और मजबूत इच्छाशक्ति के साथ बढ़ायें। अगर आपको यह लगता है कि जनता इसके विरोध में है और हम नहीं ले पायेंगे तो फिर आप अपने बोर्ड में प्रस्ताव पास करके शासन को भेजिये कि हम इसे नहीं ले सकते है।

श्री अभिषेक पाण्डेय- मान्यवर, इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि अभी हाल ही में हमने दो प्रयास किये हैं, शताब्दीनगर में एक पॉकेट के ऊपर कब्जा लेने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की है। उसमें लगभग एक हिस्से के ऊपर हमारा पुराना सामुदायिक भवन बना हुआ है, उसको डिमॉलिश करके पीछे की तरफ कुछ आवास आवंटन भी कर दिया है तो हमें उम्मीद है कि लगभग महीने भर के अन्दर हमें उस पॉकेट का कब्जा मिल जायेगा।

श्री सभापति- यह 622 एकड़ में से कितनी भूमि होगी?

श्री अभिषेक पाण्डेय- मान्यवर, यह 25 एकड़ यानी 10 हेक्टेयर के आस-पास होगी।

श्री सभापति- अगर शुरूआत हो जाती है तो ठीक है। अगर यह किसी की प्राइवेट जमीन होती तो क्या वह छोड़ता? मुझे नहीं मालूम है कि आपने किस दर से समझौता किया, लेकिन जिस दर से भी दिया है, उसका अगर आप ब्याज लगायेंगे तो आज की जमीन की जो कीमत है, उससे ज्यादा बैठेगी। हमारा मत यह है कि अगर जमीन ले सकते हैं तो लीजिए।

श्री अभिषेक पाण्डेय- मान्यवर, इसमें एक मत यह भी है कि बहुत सारे आवंटियों को वहां पर आवंटन किया जा चुका है तो उनके भी हितों की रक्षा करना जरूरी है, इसलिए वहां पर कब्जा देना आवश्यक है। मेरा अनुरोध यह है कि एक माह के अन्दर उनसे समझौता मिलने के आसार हैं इसलिए समझौता करने का समय दे दिया जाए।

श्री सभापति- ठीक है, जिस प्रकार भी मिल सकता हो आप कब्जा लीजिए। किसानों के साथ बैठकर बातचीत करके उनसे पुनः कोई समझौता कर लें और भगवान करे आप कामयाब हों। आपकी कामयाबी में उनका भी हित छिपा हुआ है। अगर कब्जा नहीं होता है तो इसे समाप्त करिये। जो भी प्रक्रिया है आप उसका अनुपालन करते हुए शासन से अनुमति लेकर इसे समाप्त करिये। जिस दिन आप नोटिस देंगे कि आपने इतना पैसा दिया था और उसका इतना ब्याज मिलाकर इतनी रकम हो गयी है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी आदमी देने की स्थिति में नहीं होगा। रिलायंस पावर प्रोजेक्ट में एक भी किसान आज तक पैसा वापस नहीं कर पाया। पैसे तो लेकर खा लिये, अब जब देने का नम्बर आया तो वापस नहीं दे पा रहे हैं। एक बार इस घटना को कराकर देखिये कि आपका पैसा ब्याज सहित कितना बैठ रहा है और आज भूमि का मूल्य क्या है? आप व्यापारी की दृष्टि से भी एक बार बैठकर सोचें फिर उस व्यापारिक दृष्टिकोण के लिए शासन से बातचीत भी करिये। इस प्रस्तर को अभी लम्बित रखते हैं।

(लम्बित)

भाग-क, प्रस्तर-16

श्री अभिषेक पाण्डेय- मान्यवर, इसमें 4.182 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमित थी, 3.86 हेक्टेयर भूमि हमने प्राप्त कर ली है और 0.312 हेक्टेयर भूमि अवशेष रह गयी है। इसको भी हम जल्द जल्द प्राधिकरण के कब्जे में ले लेंगे।

श्री सभापति- इसको कब तक कर लेंगे?

श्री अभिषेक पाण्डेय- मान्यवर, एक माह के अन्दर हम कर लेंगे।

श्री सभापति- काफी रिकवरी कर ली है। यह प्रस्तर निस्तारण योग्य है।

(निस्तारित करने योग्य संस्तुति)

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग

क्रमांक-1, मण्डी समिति का नाम-मवाना, सम्प्रेक्षण वर्ष एवं प्रतिवेदन वर्ष-2016-17 एवं 2017-18, प्रस्तर संख्या-भाग-क, प्रस्तर-4, आपत्ति का संक्षिप्त विवरण-मण्डी समिति अभिलेखों के अनुसार दिनांक 31.03.2017 तक संस्था द्वारा दुकान किराया रु0 18,24,332 की वसूली न किये जाने से मण्डी समिति को आर्थिक क्षति।

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में कुल 18,24,332 रुपये की वसूली होनी थी। 5 अक्टूबर को जो इन लोगों को निर्देश मिला था, उसमें 1,98,726 रुपये वसूल होना अवशेष था। हमने पूरी वसूली कर ली है।

श्री सभापति- क्या आप साक्ष्य साथ लाये हैं?

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है।

श्री सभापति- क्या ऑडिट विभाग ने साक्ष्य देख लिया है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, हम मिलान कर लेंगे।

श्री सभापति- ठीक है, आप मिलान कर लीजियेगा। यह प्रस्तर निस्तारण योग्य है।

(निस्तारित करने योग्य संस्तुति)

क्रमांक-1, मण्डी समिति का नाम-मवाना, सम्प्रेक्षण वर्ष एवं प्रतिवेदन वर्ष-2016-17 एवं 2017-18, प्रस्तर संख्या-भाग-क, प्रस्तर-5, आपत्ति का संक्षिप्त विवरण-दुकान प्रीमियम पंजिका के अनुसार 31.03.2017 द्वारा प्रीमियम वसूल न किये जाने के कारण रु0 4,97,039 की मण्डी समिति को आर्थिक क्षति।

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, इस संबंध में 5 अक्टूबर को निर्देश प्राप्त हुए थे। पहले तो इनसे वसूली करने के लिए निर्देश दे दिये गये थे, लेकिन क्रमांक 7 पर दोबारा यह आपत्ति थी, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि इसको हस्तांतरित करा दिया जाए, इसके लिए हम लोगों ने से कोऑपरेटिव विभाग से पत्राचार किया है।

श्री सभापति- इस पैरा में 1,30,500 रुपये की आर0सी0 निर्गत की गयी है। यह किराया किसको जाना था?

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, यह किराया कोऑपरेटिव विभाग को जाना है। मण्डी शुल्क तो हमें मिलेगा, लेकिन प्रीमियम कोऑपरेटिव को मिलेगा। यह जो 1,20,500 रुपये है, यह सम्प्रेक्षण वर्ष 2012-13 के है।

श्री सभापति- अभी हम प्रस्तर संख्या-5 पर बात कर रहे हैं। आपने बताया था कि इसमें 1,30,500 रुपये की आर0सी0 निर्गत की गयी है। हमने कहा था कि ठीक है, आप इसे वसूल लीजियेगा, उसके बाद इसमें क्या हुआ?

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, इसमें 2021 का शासनादेश है। इसमें यह कहा गया था कि कोऑपरेटिव विभाग को ही पैसे जाने हैं, यह उनको हस्तांतरित करें। हमने कोऑपरेटिव विभाग से पत्राचार किया है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, एक बार आर0सी0 निर्गत कर दी गयी है और यह कह रहे हैं कि पत्राचार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यह सूचना गलत है।

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, आर0सी0 तो वापस करा लेते हैं।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- लेकिन उस समय तो आपने हर किसान को लिखित रूप से नोट कराया है कि हमने आर0सी0 निर्गत कर दी है। आपको यहां आर0सी0 वापसी की सूचना भी देनी चाहिए कि हमने आर0सी0 वापस ले ली है तो उस समय आपने आर0सी0 कैसे निर्गत कर दी है?

श्री सभापति- वर्तमान स्थिति क्या है?

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, वर्तमान स्थिति यही है कि पत्राचार किया है।

श्री सभापति- क्या पत्राचार किया है?

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, ए0एम0ए0 की दुकानों को हस्तान्तरित करने के लिए कोऑपरेटिव से पत्राचार किया है।

श्री सभापति- दुकान का है या इस पैरे की धनराशि के हस्तान्तरण का है, आपने क्या पत्राचार किया है? आप बतायें कि आपने किससे पत्राचार किया है? आप दुकान हस्तान्तरित कर रहे हैं या जो पिछला पेमेण्ट डम्प है, वह हस्तान्तरित कर रहे हैं? आप तैयारी से नहीं आए है। इसमें आपने यह कहा कि हमने आर0सी0 जारी कर दी है।

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, इसमें आर0सी0 जारी है।

श्री सभापति- जब आर0सी0 जारी है तो फिर ट्रांसफर का मतलब कहां रहेगा? अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो पहले आर0सी0 विड्रा करेंगे।

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, 5 अक्टूबर को लखनऊ में हस्तान्तरित करने के लिए निर्देश दिए गए थे।

श्री सभापति- पहले तो इस पैरा में ऐसा कोई निर्देश नहीं था। इस पैरा में स्पष्ट निर्देश है कि ठीक है इसकी वसूली करके आप समिति को अवगत करायें। अभी इस प्रस्तर को लम्बित रखा जाएगा। अब आपने दूसरे किसी पैरा के विषय में बताया और यह कहा है कि इसे ट्रांसफर कर दिया जाए। हम मान लेते है कि

यह सेम नेचर के हैं। आपने आर0सी0 भी जारी कर रखी है और कह रहे हैं कि हम ट्रांसफर के लिए पत्राचार कर रहे हैं। क्या ट्रांसफर कर रहे है? आप आर0सी0 ट्रांसफर करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं? यह जवाब आप मुझे नहीं दे पाये हैं।

सुश्री नुपुर गोयल- मान्यवर, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस संबंध में कुछ बताना चाहूंगी। इनका कहना है कि जो मण्डी शुल्क की दुकानें है, उसकी फीस मण्डी समिति वसूलती है और जो प्रीमियम होता है, वह कोऑपरेटिव विभाग के पास जाता है। जो यहां पर 1,30,500 रुपये शेष बचे थे, वह प्रीमियम की धनराशि थी, जिसके अन्तर्गत इन्होंने आर0सी0 निर्गत की थी। इसमें इन्होंने उस आर0सी0 के बारे में भी बाताया है कि यह आर0सी0 इस दिन निर्गत की गयी है, लेकिन इसके आगे की कार्यवाही के लिए इन्होंने कोऑपरेटिव विभाग से पत्राचार किया है। जो पत्राचार किया है, वह यह किया है कि हमने आर0सी0 तो काटी है, लेकिन वसूली की जिम्मेदारी कोऑपरेटिव विभाग की है।

श्री सभापति- इसमें तो इन्होंने लिख दिया है कि आपत्ति में सन्निहित धनराशि वसूल कर ली गयी है।

सुश्री नुपुर गोयल- मान्यवर, माननीय समिति के आदेश के क्रम में इन्होंने आर0सी0 निर्गत की है, लेकिन आर0सी0 वसूलने की जिम्मेदारी शासनादेश के क्रम में कोऑपरेटिव विभाग की है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, यह आपत्ति इनके अभिलेख पर आधारित है। जिसके शुरूआत में लिखा है कि दुकान प्रीमियम पंजिका के अनुसार 31.03.2017 को 4,97,039 रुपये का प्रीमियम वसूल किया जाना शेष था। उसका संलग्नक है, वह संलग्नक मिलाकर कुल 11 फर्मो के नाम दिये गये हैं, जिन फर्मो पर यह 4,97,039 रुपये बकाया था। जब दुकान बनती है तो उसका प्रीमियम लिया जाता है उसके बाद किराया लिया जाता है। इसमें कोऑपरेटिव विभाग का कहीं नाम ही नहीं है तो फिर इसमें सहकारिता विभाग कहां से इनवॉल्व हुआ। इसका इनक्लोजर इनको देखना चाहिए था। इसके पहले जो आर0सी0 की कार्यवाही की गयी है, संभवत: वह सही थी। इस समय जो बता रहे हैं, वह सुमेलित नहीं हो रही है।

श्री सभापति- क्या यह सहकारिता विभाग की भूमि पर निर्मित है? यह दुकानें सहकारिता विभाग की हैं, इनको तो सिर्फ मण्डी शुल्क मिलना है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इन्होंने अपने अभिलेखों में डिमाण्ड स्टैब्लिश क्यों कर रखी है, जब वह कोऑपरेटिव विभाग को मिलना था?

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, 2021 में एक शासनादेश आया था।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- यह 2017 की बात है। इस पर 2021 वाला शासनादेश लागू नहीं होगा।

श्री सभापति- यह पैसा आपका है या कोऑपरेटिव विभाग है। पहले आप यह बैठकर तय करिये। अगर सहकारिता विभाग का पैसा है तो आप उनको ट्रांसफर करके लिख दीजिए कि यह पैसा हमारा नहीं था और जो आपका लेखा है, उसमें भी दुरूस्त करिये। जब आप आर0सी0 जारी कर रहे हैं तो यह कैसे मान लें कि पैसा कोऑपरेटिव विभाग का है?

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, 2015 में आर0सी0 जारी हुई थी।

श्री विजिन बालियान- मान्यवर, भारत सरकार से 33 लाख रुपये मण्डी निर्माण कार्य कराये जाने के लिए आये थे। उसके लिए ग्राम समाज की भूमि भी ली गयी थी, उसके साथ-साथ अन्य विभाग जिनके पास रिक्त भूमि थी, उनको भी लिया गया था। उस पर भारत सरकार का पैसा फण्डिंग के द्वारा लगाया गया था। चूंकि वह भूमि कोऑपरेटिव विभाग या अन्य ग्राम पंचायतों की थी तो उस पर मण्डी निर्माण कराने के बाद में जब उस समय आवंटन हुआ तो आवंटन का जो बकाया था उस बकाये की आर0सी0 उस समय मण्डी समिति ने जारी की थी, लेकिन आर0सी0 जारी कर देने के बाद जब यह आदेश आया कि इसका पैसा कोऑपरेटिव विभाग को जाना है तो वह आर0सी0 सीधे कोऑपरेटिव विभाग को भेज दी गयी कि यह पैसा आपको वसूल करना है।

श्री सभापति- यह आर0सी0 कब जारी की गयी है?

श्री विजिन बालियान- मान्यवर, आर0सी0 2015 में जारी की गयी है और आदेश 2021 में आया है।

श्री सभापति- आप कोऑपरेटिव विभाग के साथ बातचीत करके इसका निर्णय कीजिए।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, भूमि कोऑपरेटिव विभाग की थी, सही बात है, लेकिन दुकान मण्डी समिति ने बनायी थी। जिसने दुकान निर्माण कराया था उसके अगेन्स्ट प्रीमियम इनको मिलना था। इनकी अनुपालन आख्या से लगता है कि दुकानों पर मालिकाना हक नि:संदेह कोऑपरेटिव विभाग का था, लेकिन जिसने निर्माण कराया था, प्रीमियम उसको मिलना था, इसलिए इन्होंने अपने अभिलेखों में उस प्रीमियम की वसूली की है, लेकिन जो बकाया रह गया है, उसको इन्होंने डिमाण्ड के रूप में स्टैब्लिश कर रखा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो दुकान कोऑपरेटिव विभाग की भूमि पर बनायी गयी थी, नियमानुसार प्रीमियम तो इन्हीं को मिलना था। प्रीमियम मिल भी रहा था, लेकिन जो प्रीमियम इनको नहीं मिल पाया था, जो अवशेष रह गया था हमारी आपत्ति उस पर है कि जो

अवशेष प्रीमियम है वह वसूल किया जाए। अगर यह कोऑपरेटिव विभाग को करना है तो उस निर्माण का पैसा यह स्वयं लें।

श्री विजिन बालियान- मान्यवर, चूंकि वह निर्माण का पैसा भारत सरकार से मण्डी को प्राप्त हुआ। ईश्यू आवंटन का है।

श्री सभापति- 1,20,500 रुपये आपके एकाउंट्स में भी बकाया हैं। शासनादेश 2021 में आया है तो वह 2021 से लागू होगा? अभी बकाया कब तक है?

श्री विजिन बालियान- मान्यवर, अभी 2015 तक बकाया है।

श्री सभापति- तो 2015 के मालिक तो आप हैं। 2015 का मालिक कोऑपरेटिव विभाग कैसे हो जायेगा?

श्री विजिन बालियान- मान्यवर, सहकारिता विभाग इसका देयता नहीं है, लेकिन चूंकि यह वसूली व्यापारियों से होनी है।

श्री सभापति- देने का नहीं यह लेने का मामला है।

श्री विजिन बालियान- मान्यवर, व्यापारियों से वसूलना है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, जो इन्होंने अभी तक वसूला है क्या यह कोऑपरेटिव विभाग को वापस करेंगे?

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, वापस करेंगे।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- तब आपने अनुपालन आख्या में लिखा क्यों नहीं है?

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, अब जो 2021 में आदेश आया है, उसमें यह आया है कि 25 प्रतिशत पैसा मण्डी जो वसूल करेगी वह अपने पास रखेगी और 75 प्रतिशत संबंधित संस्था को भेजेगी।

श्री सभापति- यह तो 2021 के बाद का आदेश है। 2021 से पहले का पैसा क्या आप वापस करेंगे?

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, शासनादेश में है। हमें वह पैसा देना पड़ेगा।

श्री सभापति- अब आप यह रिकवरी वापस लेकर कोऑपरेटिव विभाग को जो इस प्रकार की देनदारियां हैं, उन्हें एक साथ ट्रांसफर कर दीजिए।

(कोऑपरेटिव विभाग को स्थानान्तरित)

क्रमांक-1, मण्डी समिति का नाम-मेरठ, सम्प्रेक्षण वर्ष एवं प्रत्यावेदन वर्ष-2016-17 एवं 2017-18, प्रस्तर संख्या-भाग-क-01, आपत्ति का संक्षिप्त विवरण-माह मार्च, 2017 के इनपुट के अनुसार 31 मार्च, 2017 को रु0 1962459 मण्डी शुल्क वसूली हेतु अवशेष था, बकाया मण्डी शुल्क की वसूली न किये जाने से मण्डी समिति को आर्थिक क्षति।

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, यह वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 का प्रस्तर है। इसमें 1962459 रुपये की वसूली होनी है। इसमें खाद्य एवं रसद विभाग एवं

भारतीय खाद्य निगम इन सरकारी संस्थाओं पर पैसा बाकी था। इसमें निर्देश यह दिये गये थे कि इनसे पत्राचार करके वसूली की जाए। यह सरकारी विभाग है, इनको हम लोग आर0सी0 जारी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने पत्राचार किया है। 16.12.2023 को पत्र प्रेषित किया है।

श्री सभापति- आप यह बताइये कि जो मै0 नरेन्द्र कुमार केन केशर से संबंधित आर0सी0 जारी की गयी थी, उसमें यह कहा गया था कि बट्टे खाते में डालने की कार्यवाही की जाएगी, उसमें आप लोगों ने क्या किया है?

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, हम लोगों ने पत्र प्रेषित किया है। यह निदेशक महोदय के स्तर से बट्टे खाते में चली गयी है।

श्री सभापति- क्या आप लोगों ने पत्र भेज दिया है?

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, हम लोगों ने पत्र भेज दिया है। इसमें 23189 रुपये वसूल कर लिये हैं। यह मैसर्स राजन खाण्डसारी उद्योग का है।

श्री सभापति- शेष राशि किन-किन विभागों पर है?

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, इसमें खाद्य एवं रसद विभाग है, भारतीय खाद्य निगम है, प्रादेशिक सहकारी संघ से वसूली हो गयी है। व्यापारियों पर 799724.00 रुपये था, यह सारा वसूल कर लिया गया है।

श्री सभापति- क्या अब केवल सरकारी विभागों पर बकाया रह गया है?

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, केवल सरकारी विभाग है और यह जो बट्टे खाते में डालना था, यह रह गया है।

श्री सभापति- आपने सरकारी विभागों पर क्या कार्यवाही की है?

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, सरकारी विभागों से पत्राचार किया है।

श्री सभापति- क्या उनकी ओर से कोई जवाब आया है?

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, अभी कोई जवाब नहीं आया है।

श्री सभापति- आप इसको दिखवाइये। अभी यह प्रस्तर लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

क्रमांक-1, मण्डी समिति का नाम-मेरठ, सम्प्रेक्षण वर्ष एवं प्रत्यावेदन वर्ष-2012-13 एवं 2013-14, प्रस्तर संख्या-प्रस्तर-1, आपत्ति का संक्षिप्त विवरण-माह जून, 2013 को मण्डी शुल्क रु0 1018181.79 एवं विकास सैस रु0 19636.19 कुल धनराशि रु0 1037817/ बकाया रहना मण्डी के आर्थिक हित में नहीं था।

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, यह प्रस्तर सम्प्रेक्षण वर्ष 2012-13 का है। इसमें 1037817/- रुपये बकाया है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, यह प्रस्तर वर्ष 2012-13 का है। इसमें सरकारी विभागों का पैसा था। इसमें यह कहा गया है कि लिखा पढ़ी चल रही है।

ना मिलना शेष है। इसमें मा0 समिति द्वारा निर्देश दिये गये थे कि ठीक से जल्द पूर्ण करायें तब तक इस प्रस्तर को लम्बित रखा जाता है। इसमें उ0प्र0 कर्मचारी कल्याण निगम, उ0प्र0 राष्ट्रीय सहकारी संघ, प्रादेशिक सहकारी संघ, भारतीय खाद्य निगम, खाद्य एवं रसद विभाग एवं व्यापारियों पर रु0 63245.75 और रु0 118226.30 बकाया था।

श्री सभापति- इसको आप संक्षिप्त में बता दीजिए?

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, व्यापारियों से 63245.75 रुपये वसूल कर लिये गये हैं। 118226.30 रुपये में से 74440/- रुपये जो मै0 नरेन्द्र कुमार केन केशर का था, उसमें से 70493/- रुपये बट्टे खाते में डाला है बाकी शेष वसूल कर लिया है।

श्री सभापति- जो विभागों पर बकाया है, उसका क्या होगा?

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, विभागों से पत्राचार हो रहा है।

श्री सभापति- अभी तो इसमें वसूली अधूरी है। आप इसे करा लीजियेगा और एक बैठक आप जिला प्रशासन से आग्रह करके निश्चित करें। तब तक यह प्रस्तर लम्बित रहेगा।

श्री अमरेश कुमार- मान्यवर, ठीक है।

(लम्बित)

नगर विकास विभाग

क्रमांक-1, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक-1, ऑडिट पैराग्राफ से संबंधित शी
क्रमांक-1.3, कार्यालय/यूनिट का नाम-नगर निगम, मेरठ, सम्प्रेक्षण अवधि-2014
प्रस्तर संख्या-भाग-क, प्रस्तर-1, सन्निहित धनराशि-4,50,00000.00, आपत्ति
संक्षिप्त विवरण- जल मूल्य हेतु शासनादेश द्वारा निर्धारित जलमूल्य की
दर के अनुसार जलमूल्य की वसूली न
जलमूल्य रु0 4,50,00000.00 वार्षिक की

डॉ0 अमित पाल शर्मा- मान्यवर, यह प्र
की वसूली से संबंधित है। शासनादेश
स्थानीय निकास को उपविधि बनाकर श
जलमूल्य की वसूली किया जाना था। कि
किये जाने हेतु मा0 सदन नगर निगम, मेर
दिनांक 02.09.2023 को जलमूल्य दरों में
आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि
सदन द्वारा जलमूल्य वृद्धि दरों के प्रस्ताव
मा0 सदन की बैठक में इसको रखेंगे।

कने के कारण नगर निगम,
जलमूल्य की 4,50,00000.00
क 08.01.1997 के अनुसार
श में निर्धारित दरों के अ
विधि को बनाकर जलमूल्य
अनुमति नहीं दी गयी।
हेतु मा0 सदन के समक्ष त
की भांति इस बार भी0
वीकार कर दिया गया। आगे
यही अनुरोध है चूंकि यह

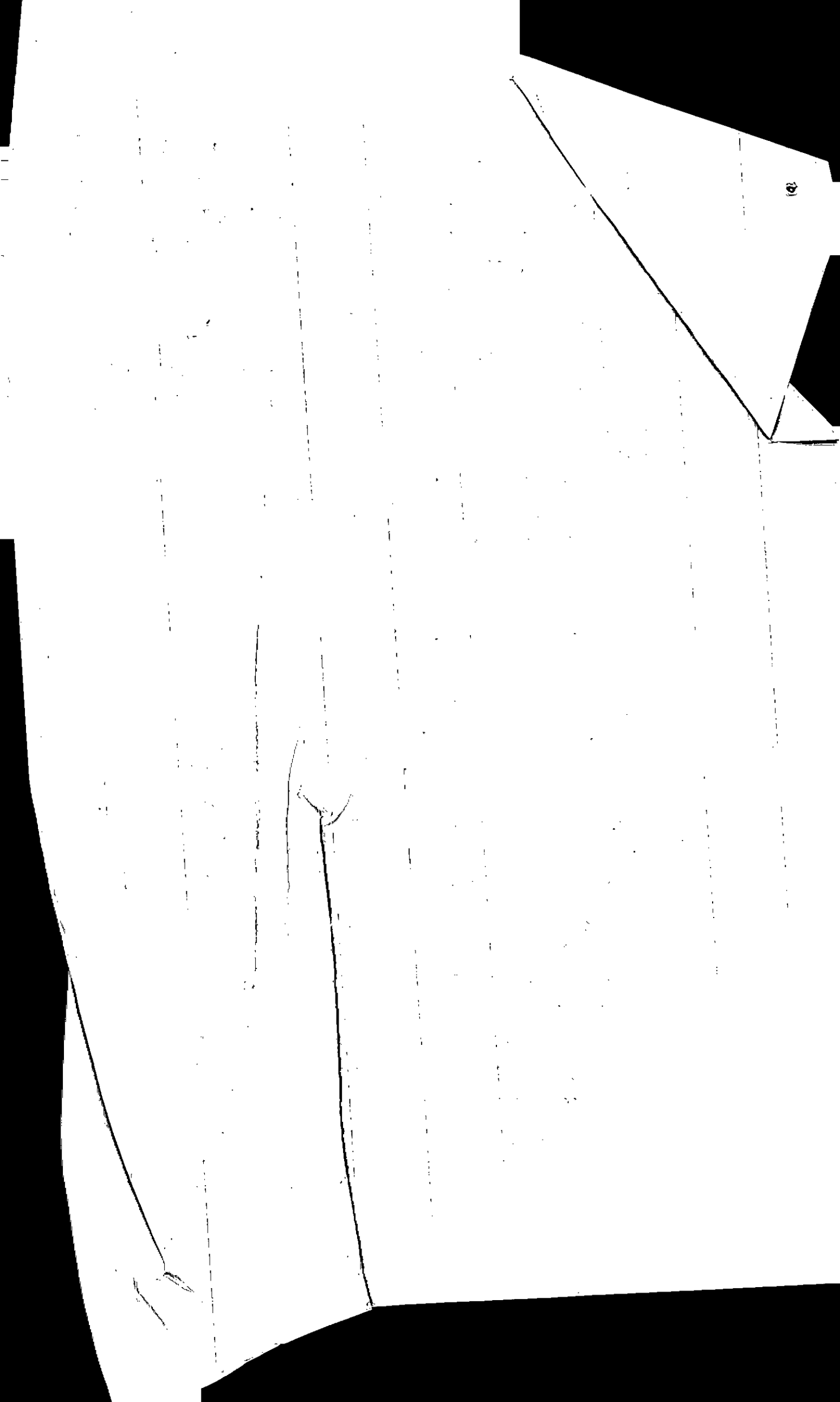

प्रस्तर मा0 सदन के विवेक पर निर्भर है, इसलिए इसे निस्तारित करने की कृपा करें।

श्री सभापति- आपने जो जलमूल्य का आकलन किया है, इसका आधार क्या है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इसमें शासनादेश यह है कि जलमूल्य न्यूनतम 75 रुपये प्रतिमाह होगा और इनके यहां जो वाटर कनेक्शन थे, वह 1,66,459 थे।

श्री सभापति- क्या आपके यहां वाटर टैक्स लिया जाता है? क्या आपके यहां जलमूल्य और जलकर दोनों ले रहे हैं?

डॉ0 अमित पाल शर्मा- मान्यवर, दोनों अलग-अलग हैं। जिनके यहां हमारा कनेक्शन है, उनसे हम जलकर ले रहे है और जहां पर कनेक्शन नहीं भी होगा, अगर वहां 200 मीटर के अन्दर पाईपलाइन है, वहां जलमूल्य लेंगे।

श्री सभापति- जलमूल्य कैसे ले रहे हैं?

डॉ0 अमित पाल शर्मा- मान्यवर, वह मिनिमम एमाउंट निर्धारित है। अभी उसका डेटा मेरे पास नहीं है, जिसको 1997 के शासनादेश में बढ़ा लिया गया था। जैसा बता रहे है कि 75/ रुपये कर दिया गया था।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, अगर हमने पाईपलाइन डाल दी और उससे कनेक्शन नहीं लिया, लेकिन हम वहां पर वाटर टैक्स लेंगे। जैसे हमने सीवर लाइन डाल दी और एक निर्धारित दूरी तक भले ही उसका सीवर कनेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन वह सीवर टैक्स लेंगे, लेकिन जहां इन्होंने वाटर कनेक्शन दिया है, वहां जलमूल्य ले रहे हैं, वहां जलकर नहीं लेना है। यहां बात जलमूल्य की हो रही है।

श्री सभापति- अभी यह किसी भी जिले में नहीं है। सभी जगह जलकर लिया जा रहा है। आप या तो कर लेंगे या तो मूल्य लेंगे। दोनों चीजें कैसे लेंगे?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, यह दोनों अलग-अलग चीजें हैं।

श्री सभापति- मै उनकी बात कर रहा हूं, जिनको कनेक्शन दिया है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, उनसे तो केवल जलमूल्य लिया जायेगा।

श्री सभापति- यह किस शासनादेश में है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, 1810/नौ-02-9657(2) 96 दिनांक 08.01.1997 का नगर विकास का शसनादेश है। जहां पर वाटर कनेक्शन देंगे उनसे केवल जलमूल्य लेंगे, जलकर नहीं लेंगे। जहां जलकर लिया जायेगा, वहां जलमूल्य नहीं लिया जायेगा। जलमूल्य वहां लिया जायेगा जहां मीटर लगायेंगे।

श्री सभापति- किसी नगर निगम में जलमूल्य नहीं लिया जा रहा है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इन्होंने अपना जलमूल्य निर्धारित किया है, अपनी डिमाण्ड भी स्टैब्लिश की है, वसूली भी की है, बहुत कम वसूली की है। आपत्ति इस पर है।

डॉ0 अमित पाल शर्मा- मान्यवर, यहां पर नगर विकास विभाग से लिया जाता रहा है, लेकिन उनकी दरें बढ़ा दी गयी थी, उन दरों को हमने अपने सदन में रखा था। मा0 सदन ने इसको निरस्त कर दिया था। आगे हम इसको मा0 सदन में फिर रखेंगे, क्योंकि यह सदन के विवेक पर निर्भर है।

श्री सभापति- यह जो एमाउंट है, यह आपने एसेस किया है, इनके एकाउंट्स में तो नहीं है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, हमने यह आपत्ति लगायी है कि इनका जितना वाटर कनेक्शन था उन सबके हिसाब से जितनी डिमाण्ड स्टैब्लिश करनी थी, उन्होंने उससे कम डिमाण्ड स्टैब्लिश की है, वह अन्तर की धनराशि है, आपत्ति की धनराशि है।

श्री सभापति- चूंकि नगर निगम एक ऑटोनॉमस बॉडी है और उसके द्वारा वृद्धि नहीं की गयी है ऐसे में मतसंग्रह में जुड़े कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए संभव नहीं है कि जब तक सदन में अप्रुवल न मिल जाये, वह वसूली कर सकें। अत: यह प्रकरण शासन को ट्रांसफर कर दिया जाए और यहां से निक्षेपित कर दिया जाए। इस प्रस्तर के निस्तारण की संस्तुति की जाती है।

(निस्तारण योग्य संस्तुति)

क्रमांक-2, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक-2, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक क्रमांक-1.3, कार्यालय/यूनिट का नाम-नगर निगम, मेरठ, सम्प्रेक्षण अवधि-2014-15, प्रस्तर संख्या-भाग-क, प्रस्तर-4, सन्निहित धनराशि-272411700.00, आपत्ति का संक्षिप्त विवरण- अवस्थापना विकास हेतु 02 प्रतिशत स्टॉम्प शुल्क की धनराशि प्राप्त नहीं किये जाने से रु0 272411700.00 की क्षति।

डॉ0 अमित पाल शर्मा- मान्यवर, इसमें नगर निगम के द्वारा 474718677.96 रु0 की मांग शासन से की गयी थी और शासन द्वारा 208693510.00 रु0 हमें ट्रांसफर किये गये थे। बाकी की जो धनराशि है, उसके लिए हम लोगों ने शासन से नियमित तौर पर पत्राचार किया है, लेकिन क्योंकि यह प्रकरण शासन से संबंधित है।

श्री सभापति- यह अवस्थापना निधि का पैसा है। 2 परसेन्ट स्टाम्प ड्यूटी का पैसा मिलता है, यह पैसा सरकार को जाता है। अगर सरकार पैसा नहीं दे रही है तो सरकार दूसरे विभागों में खर्च कर रही है, कहीं मेट्रो में खर्च कर रही है, कहीं एक्सप्रेस वे में खर्च कर रही है तो वह भी तो इन्फ्रास्ट्रक्चर ही है। ठीक

है, इन्होंने मांग भेज दी है, इसलिए इस प्रस्तर के निस्तारण की संस्तुति की जाती है।

(निस्तारण योग्य संस्तुति)

क्रमांक-3, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक-2, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक क्रमांक-1.3, कार्यालय/यूनिट का नाम-नगर निगम, मेरठ, सम्प्रेक्षण अवधि-2014-15, प्रस्तर संख्या-भाग-क, प्रस्तर-5, सन्निहित धनराशि-715260.00, आपत्ति का संक्षिप्त विवरण- प्रेक्षागृह कर की आय के अभिलेख अप्रस्तुत तथा विगत बकाया रु0 715260.00 की वसूली न होने से नगर निगम को रु0 715260.00 की क्षति।

डॉ0 अमित पाल शर्मा- मान्यवर, यह प्रस्तर प्रेक्षागृह कर की आय के रूप में नगर निगम को 715260.00 रु0 का जो नुकसान हुआ है, उसकी क्षति के बारे में है। इसमें हम लोगों ने 460,000.00 रु0 वसूल कर लिये हैं, सूची संलग्नक है। इसमें ज्यादातर जो सिनेमाघर हैं, वह सिंगम स्क्रीन सिनेमाघर हैं, वह बन्द हो चुके हैं। हमने मनोरंजन कर अधिकारी से उनका स्थायी पता लेकर डिमाण्ड नोटिस भेज रखा है, क्योंकि यह प्रस्तर नियमित कर वसूली के संबंध में है और 50 परसेन्ट से ज्यादा हमने वसूली कर ली है, इसलिए मा0 समिति से मेरा अनुरोध है कि इसे निक्षेपित करने की कृपा करें।

श्री सभापति- आपने जितना वसूल लिया ठीक है, जो आप नहीं वसूल सकते है उसको बोर्ड बैठक में पास कर दीजिए।

डॉ0 अमित पाल शर्मा- मान्यवर, हमने डिमाण्ड नोटिस जारी कर रखा है। डिमाण्ड नोटिस के अनुसार हमारी कोशिश है कि जो अवशेष बचा है, वह भी हम वसूल कर लेंगे।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, यह वसूली कर रहे हैं और मा0 समिति में जब से आपत्ति शुरू हुई है तब से इनकी वसूली में तेजी भी आयी है। जब वह आय मिलेगी तो नगर निगम को भी फायदा होगा। मेरा कहना है कि अभी इस प्रस्तर को लम्बित रखा जाए, क्योंकि 50 परसेन्ट अभी भी इनका बकाया है।

श्री सभापति- विभाग को क्या लगता है? क्या यह वसूली हो जाएगी?

डॉ0 अमित पाल शर्मा- मान्यवर, ज्यादातर लोगों पर बैंक के भी बकाये हैं। हमारी पूरी कोशिश है, हम लोगों ने डिमाण्ड नोटिस भी जारी किया है। एकाउंट वगैरह भी सीज करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि 6 महीने के अन्दर हम इसमें प्रोग्रेस अच्छी ले आयें।

श्री सभापति- 3 महीने में आप समिति को इसकी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। अभी यह प्रस्तर लम्बित रहेगा। **(लम्बित)**

उच्च शिक्षा विभाग

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

क्रमांक-1, वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 पृष्ठ संख्या-पृष्ठ संख्या 324 प्रस्तर क्रमांक-13.1, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-ऑन लाईन शुल्काय खातों की आय को एक्सिस बैक द्वारा रु0 1,54,42,425.00 एवं इलाहाबाद बैक द्वारा रु0 2,50,81,115.00 कम जमा करने से विश्वविद्यालय को शुल्काय रु0 4,05,23,540.00 की स्पष्ट क्षति, कार्यालय/यूनिट का नाम-चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, सम्प्रेक्षण अवधि-2011-12, प्रस्तर संख्या-भाग-क, प्रस्तर-2, सन्निहित धनराशि-4,05,23,540

श्री रमेश चन्द्र- मान्यवर, इस संबंध में पिछली बैठक 5 अप्रैल, 2023 को हुई थी। अपर मुख्य सचिव महोदय ने इस प्रकरण को देखने का आश्वासन दिया था। इसमें निवेदन यह करना है कि उस समय ऑन लाईन परीक्षा फार्म भरवाने की हमारी नयी-नयी व्यवस्था बनी थी। 1 साल ही हुआ था।

श्री सभापति- इसमें क्या आपत्ति थी?

श्री रमेश चन्द्र- मान्यवर, इसमें निवेदन यह करना है कि ऑन लाईन परीक्षा फार्म भरवाने का 2011-12 में हमारा नया-नया सिस्टम बना था, बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं बन पायी थी, उस समय जो कम्पनी लगायी थी, वह भी नयी थी। उसके बाद वह कम्पनी बन्द हो गयी। उस समय व्यवस्था यह थी कि जब ऑन लाईन परीक्षा फार्म भराया जाता था, जब बच्चा वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करता था तो उसमें चालान फार्म भी जनरेट होता था, उसमें बैंक का नाम भी लिखा होता था। उस समय हमने 3 बैंक के चालान खोल रखे थे। उसमें यह होता था कि बच्चे ने चालान निकाला फिर इसके बाद वह ऑफ लाईन बैंक के काउंटर पर जाकर पैसे जमा करता था। कम्पनी फार्म भरने के आधार पर आंकड़े इकट्ठे करती थी और हमारे आंकड़े जो बैंक पासबुक बोल रही है, वह वास्तविक जमा के हिसाब से है। कभी-कभी बच्चे ने चालान निकाला और जमा नहीं किया। मार्च में अगर उसने चालान निकाला और अप्रैल में जमा किया तो वह मेरी आय अगले वित्तीय वर्ष में जायेगी। 31 मार्च, 2012 तक के इसमें आंकड़े हैं। इसमें 5 बैंकों का हिसाब-किताब दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि 3 बैंकों में मेरा पैसा कैशबुक के हिसाब से ज्यादा जमा था और कम्पनी ने कम बताया है। 2 बैंकों में कम्पनी ने ज्यादा बताया और मेरा पैसा कैशबुक में कम जमा पाया गया। सही बात तो यह है कि बैंक का जो रिकॉर्ड है और हमारा जो कैशबुक है, आपने उसका ऑडिट कर लिया है, वही सत्य है। कम्पनी और मेरे आंकड़े तमाम परिस्थितियों में मेल नहीं खाते हैं। यह कम्पनी के आंकड़े और हमारी

कैशबुक के आंकड़ों की मिस मैचिंग का मामला है। इसमें कोई वित्तीय हानि नहीं है। पांचों बैंकों में जब मैं ओवरआल देखता हूं तो कम्पनी से 137,00000.00 रु0 मेरी कैशबुक ज्यादा बोलती है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इसमें आपत्ति यही है जो आपने बैठक में बताया है कि कम्पनी द्वारा जो फीगर उपलब्ध कराये गये थे, वह फीगर अभिलेख से मैच नहीं हो रहे थे तो इसमें यह था कि विश्वविद्यालय इस मामले में अपनी एकाउंटिंग को सही करे। अनुपालन आख्या के साथ साक्ष्य दिया है, हमारी आपत्ति के अन्तर्गत जो 5 बैंक हैं, बैंक विवरण के अनुसार क्या आय होनी थी और कम्पनी ने क्या विवरण उपलब्ध कराया, उसके अन्तर की जो धनराशि है, वही आपत्ति धनराशि में है। इन्होंने पांचों बैंकों की एक समरी साक्ष्य के रूप में बनाकर दी है, उसके हिसाब से यह प्लस की स्थिति में है मतलब कम्पनी ने जो विवरण उपलब्ध कराया था वह अपूर्ण था। इनका कैशबुक और बैंक स्टेटमेन्ट सही स्थिति को दिखा रहा है।

श्री सभापति- ऑडिट का ताल्लुक तो कैशबुक और बैंक स्टेटमेन्ट से है, कम्पनी के स्टेटमेन्ट से तो नहीं है। कम्पनी के स्टेटमेन्ट को आप अलग कर दीजिए, उसका ऑडिट से कोई मतलब नहीं है। इस प्रस्तर के निस्तारण की संस्तुति की जाती है।

(निस्तारण योग्य संस्तुति)

क्र0सं0-4, वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 पृष्ठ संख्या-पृष्ठ संख्या 324 प्रस्तर क्रमांक-13.1, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-शासनादेश संख्या 214/सत्तर-4-2007-7 (सात)/94 दिनांक 04.02.2000 के अनुसार विश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित कोर्स की आय का 40 प्रतिशत विश्वविद्यालय के सामान्य लेखे में स्थानान्तरित न करने से विश्वविद्यालय को रु0 47270157.00 की आर्थिक क्षति, कार्यालय/यूनिट का नाम-चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, सम्प्रेक्षण अवधि-2011-12, प्रस्तर संख्या-भाग-क, प्रस्तर-13, सन्निहित धनराशि-4,72,70,156

श्री रमेश चन्द्र- मान्यवर, विश्वविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस कोर्सेस चलते हैं। वर्ष 2000 का शासनादेश है कि जो सेल्फ फाइनेंस से आय होगी, उसका 60 परसेन्ट वेतन आदि पर खर्च होगा और 40 परसेन्ट विश्वविद्यालय के मेन एकाउंट में जमा होगा, जिससे विश्वविद्यालय उनको इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा सके। 60-40 का रेशियो है, उसका बंटवारा सही ढंग से नहीं हुआ है। 40 परसेन्ट धनराशि जो विश्वविद्यालय के खाते में आनी थी, वह नहीं आयी और वह धनराशि रु0 4,72,70,157 बतायी गयी है। यह बात सही है कि उस समय यह

पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, ट्रांसफर हो सकता था, लेकिन इसमें मेरा निवेदन यह है चूंकि दोनों ही खाते विश्वविद्यालय के ही है। यह एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर का मामला है। इसमें कोई वित्तीय हानि का मामला नहीं है। मेरी ऑडिट की टीम से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आप ट्रांसफर करा लें। मै ट्रांसफर करा लूंगा।

श्री सभापति- जब हमारी बैठक हुई थी, तब भी उसमें यह बात आयी थी।

श्री रमेश चन्द्र- मान्यवर, मैं यह जमा करा लूंगा। मेरा अनुरोध है कि इस प्रस्तर को निस्तारित करने की कृपा करें।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, यह मामला केवल एकाउंटिंग का है। इसमें प्रमुख सचिव महोदय ने कहा था कि मान्यवर, स्वावित्त पोषित में पैसा कभी-कभी कम पड़ जाता है तो विश्वविद्यालय भी देता भी है। इसमें मा0 समिति के निर्देश के थे कि आप एक बार ऑडिट के साथ बैठकर सारे एकाउंट देख लीजिए। इस प्रस्तर को अभी लम्बित रखा जाता है। जितना पैसा इनको ट्रांसफर करना था अभी भी इसमें कुछ पैसा रह गया है, जो इन्होंने ट्रांसफर नहीं किया है। बाकी इन्होंने अपना रिकॉर्ड सही कर लिया है।

श्री सभापति- यह तो ठीक है कि सारा विश्वविद्यालय का ही है, लेकिन जब एक व्यवस्था बनायी गयी है तो उस व्यवस्था का पालन आप नहीं करेंगे तो बाकी कोई क्यों करेगा? आपकी कैशबुक ठीक रहनी चाहिए। आप उसमें कम्पनी का निर्देश जोड़ देंगे तो फिर यह आपत्ति नहीं कर पायेंगे। जो जिस मद का पैसा है, वह उसी एकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। आप एक सप्ताह में ट्रांसफर करके ऑडिट की टीम को दिखा दीजियेगा। इस प्रस्तर के निस्तारण की संस्तुति की जाती है।

(निस्तारण योग्य संस्तुति)

क्र0सं0-5, वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 पृष्ठ संख्या-पृष्ठ संख्या 324 प्रस्तर क्रमांक-13.1, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-विश्वविद्यालय की अम्बेसडर कार संख्या यू0पी0 15 एम 7531 के बीमा अवधि में दुर्घटना ग्रस्त होने पर भी आई0सी0आई0सी0आई0 लेम्बार्ड कम्पनी मेरठ से रु0 1,45,000.00 क्षतिपूर्ति प्राप्त न किये जाने से विश्वविद्यालय को आर्थिक क्षति, कार्यालय/यूनिट का नाम-चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, सम्प्रेक्षण अवधि-2011-12, प्रस्तर संख्या-भाग-क, प्रस्तर-14, सन्निहित धनराशि-1,45,000.00

श्री रमेश चन्द्र- मान्यवर, आई0सी0आई0सी0आई0 लेम्बार्ड से लगातार मेरी बात चल रही है। मैंने पत्र लिखा है, उन्होंने भी पत्र लिखा है, चूंकि मामला पुराना है। उन्होंने कहा है कि यह पैसा मै आपको भेज दूंगा। इन्होंने समय भी मांगा

है, लेकिन पैसा अभी नहीं आया है। गत बैठक में मा0 समिति के यह निर्देश थे कि जब पैसा आपके खाते में आ जाए तो इस प्रस्तर को निस्तारित कर दिया जाए। अभी यह पैसा नहीं आया है, आश्वासन ही मिला है।

श्री सभापति- ठीक है, इस प्रस्तर को अभी लम्बित रखते हैं।

(लम्बित)

क्र0सं0-8, वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 पृष्ठ संख्या-पृष्ठ संख्या 324 प्रस्तर क्रमांक-13.1, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-शासनादेश के अभाव में समूह-क के प्रशासनिक वर्ग लिपिकीय वर्ग, प्राविधिक वर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी वर्ग को शिक्षा भत्ते के रूप में रु0 4,92,463.00 का अमान्य एवं अनानुमोदित भुगतान किया जाना, कार्यालय/यूनिट का नाम-चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, सम्प्रेक्षण अवधि-2011-12, प्रस्तर संख्या-भाग-क, प्रस्तर-32, सन्निहित धनराशि-4,92,463.00

श्री सभापति- इस संबंध में समिति द्वारा निर्देश दिये गये थे कि इस प्रस्तर की सम्पूर्ण जांच शासन स्तर पर किसी जिम्मेदार अधिकारी को नियुक्त करके की जाए। क्या शासन से कोई जांच हुई है?

श्री रमेश चन्द्र- मान्यवर, शासन से अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री सभापति- मा0 न्यायालय में इस वाद की पैरवी हो, इसके लिए आपने क्या किया है?

श्री रमेश चन्द्र- मान्यवर, वित्त नियंत्रक ने जो आदेश निकाला था, उसमें यह रोक लगायी थी कि शासनादेश के विपरीत भत्ते नहीं दिये जा सकते हैं। अब उसमें मा0 न्यायालय ने भी मुहर लगा दी है कि हां ठीक है। जो वित्त नियंत्रक का आदेश स्टे हो गया था, उसको वैकेट करवा दिया गया है और इन भत्तों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है। आज यह भत्ते नहीं दिये जा रहे हैं।

श्री सभापति- क्या मा0 उच्च न्यायालय का निर्णय आ गया है? उसमें क्या आदेश हुआ है?

श्री रमेश चन्द्र- मान्यवर, जो वित्त नियंत्रक का आदेश स्टे हुआ था, उसको हम लोगों ने वैकेट करा लिया है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इन्होंने साक्ष्य लगाया है चूंकि कर्मचारी संगठन ने रोक लगायी है। पहले भी इस तरह की रोक लगी रही उसके बावजूद भी भुगतान किया जाता रहा है। इसमें कम से कम उनके स्तर से आना चाहिए जिनके निर्देश से अब यह भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

श्री रमेश चन्द्र- मान्यवर, उनके अनुमोदन से ही हुआ है। आपका कहना है कि उनके अनुमोदन से हमने पत्र निकाला है। यदि मा0 समिति के निर्देश होंगे तो वाइस चांसलर ही ऑर्डर निकाल देंगी।

श्री सभापति- आप वाइस चांसलर का आदेश ऑडिट की टीम को व्हाट्सअप कर दें। इस प्रस्तर के निस्तारण की संस्तुति की जाती है।

(निस्तारण योग्य संस्तुति)

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

क्रमसं0-1, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक-210, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक-9.4, कार्यालय/यूनिट का नाम- स.व.भा.प. कृषि एवं प्रौ. वि.वि., मेरठ, सम्प्रेक्षण अवधि-2015-16, प्रस्तर संख्या-भाग-'क', प्रस्तर-5, सन्निहित धनराशि-1,36,98,543.00,

श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा- मान्यवर, वर्ष 2013-14 में हमने इनको अचल संपत्ति में दिखाया था। उसके बाद राजभवन से आदेश आ गया था कि अनावश्यक खातों को बन्द कर दिया जाए तो हमने सारे खातों को बन्द करके इनको सीड रिवाल्विंग फण्ड में 2015-16 के प्रारम्भिव अवशेष में दिखा दिया है। यहां के डिप्टी डायरेक्टर ने अवलोकन कर लिया है और वह संतुष्ट भी हो गये है।

श्री सभापति- यहां के स्थानीय डिप्टी डायरेक्टर कौन है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, उनको बैठक में जिस ट्रेन से पहुंचना था, वह ट्रेन कोहरे की वजह से लेट हो गयी है।

श्री सभापति- वित्त नियंत्रक तो कह रही हैं कि आपकी टीम के साथ बैठक हो गयी है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इसमें तो वित्त नियंत्रक ने एक माह का समय मांगा था ताकि दोनों चल-अचल संपत्तियों को अलग-अलग करके उसका डिटेल बनाकर ऑडिट की टीम को उपलब्ध करा दें।

श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा- मान्यवर, हमने दिखा दिया है।

श्री सभापति- आप परीक्षण करके हमको बता दीजियेगा।

श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा- मान्यवर, पहली और दूसरी दोनों आपत्तियां एक जैसी हैं।

श्री सभापति- ठीक है, इन दोनों आपत्तियों के निस्तारण की संस्तुति की जाती है।

(निस्तारण योग्य संस्तुति)

क्रमसं0-3, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक-211, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक-9.4, कार्यालय/यूनिट का नाम- स.व.भा.प. कृषि एवं प्रौ. वि.वि., मेरठ,

सम्प्रेक्षण अवधि-2015-16, प्रस्तर संख्या-भाग-''क'', प्रस्तर-101, सन्निहित धनराशि-61,97,492.00

श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा- मान्यवर, पिछली बैठक में 65,580.00 रु0 का मिलान करना बाकी था। आज की रिपोर्ट में केवल 11,302.00 रु0 का मिलान बाकी है, जो कि अभी प्रोसेस में है, हो जाएगा। हमने दिखा दिया है।

श्री सभापति- क्या ऑडिट टीम ने देख लिया है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, हमने देख लिया है।

श्री सभापति- ठीक है, इस प्रस्तर के निस्तारण की संस्तुति की जाती है।

(निस्तारण योग्य संस्तुति)

क्रमांक-4, वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक-211, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक-9.4, कार्यालय/यूनिट का नाम- स.व.भा.प. कृषि एवं प्रौ. वि.वि., मेरठ, सम्प्रेक्षण अवधि-2015-16, प्रस्तर संख्या-भाग-''क'', प्रस्तर-103, सन्निहित धनराशि-6,92,500.00

श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा- मान्यवर, इसमें मार्च में पैसा आया था और इसमें दो टेण्डर आये थे। इसमें आपत्ति यह है कि यह दो टेण्डर के आधार पर क्यों दिया गया। मार्च में पैसा आया था, उस समय भी हम लोगों का यही था, आज भी यही है और यही दिखा दिया गया है।

श्री सभापति- इसमें आपत्ति क्या थी?

श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा- मान्यवर, इसमें आपत्ति यह थी कि टेण्डर में केवल दो लोग आए तो दो लोगों के आधार पर बिड क्यों कर दी गयी, क्योंकि पैसा ही 18 मार्च, 2016 को मिला था। अगर हम इसकी बिड नहीं करते तो पैसा लैप्स हो जाता। आई0सी0आर0 परियोजना के लिए केन्द्र सरकार से पैसा मिलता है, यह उस समय की बहुत जरूरी परियोजना थी।

श्री सभापति- केवल टेण्डर प्रक्रिया पर आपत्ति है? इसमें कार्य की शीघ्रता के कारण दो को टेण्डर दे दिया था, मामला बहुत पुराना है और सारा कार्य हो चुका है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इसमें आपके निर्देश थे कि इसका पुनः परीक्षण कराकर अगली बैठक में अवगत करायें तब तक इस प्रस्तर को लम्बित रखते है।

श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा- मान्यवर, कृषि यंत्र आ चुके है अब तो कोई परीक्षण हो नहीं सकता है। निविदा भी दोबारा नहीं हो सकती है।

श्री सभापति- ठीक है, इस प्रस्तर के निस्तारण की संस्तुति की जाती है।

(निस्तारण योग्य संस्तुति)

बेसिक शिक्षा विभाग, मेरठ

वार्षिक प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या-1, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-1, कार्यालय/यूनिट का नाम-बेसिक शिक्षा समिति, मेरठ, सम्प्रेक्षण अवधि/प्रतिवेदन वर्ष-ऑडिट वर्ष 2011-12, 2012-13 प्रतिवेदन वर्ष 2013-14, भाग/प्रस्तर-भाग-क, प्रस्तर-1, सन्निहित धनराशि-9715222.00

श्रीमती आशा चौधरी- मान्यवर, 15 जून, 2011 का जो शासनादेश है। इसमें आपत्ति लगायी गयी है। परिषद के बालकों को पुस्तकें दी जानी हैं। हमारे यहां एडेड और राजकीय विद्यालय हैं। शासन के आदेश के क्रम में जो पुस्तकें दी जानी थीं, वह एडेड और राजकीय विद्यालयों को दी जानी थी। इसके साथ ही सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो हमारा केन्द्र सरकार से पैसा आता है, उसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और बालिकाओं को पुस्तकें वितरण करनी होती है। इसमें हमने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के बालकों को पुस्तकें दी हैं, लेकिन आपत्ति में इन्होंने परिषद को विद्यालय लिखा है और बालक को सामान्य वर्ग लिखा है। इसमें तीनों श्रेणी के बालकों को पुस्तकों का वितरण होना था, वही हमने किया है। इसमें छात्र संख्या के अनुसार वितरण किया गया है।

श्री सभापति- ऑडिट टीम को इसमें क्या आपत्ति है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इस आपत्ति पर काफी लम्बी बहस हुई थी। इसमें मा0 समिति ने यह कहा था कि उस वर्ष जो 97 लाख रुपये आये हैं, उस वर्ष भारत सरकार का पैसा भी आया है, उससे पूरे जिले में आपने कुल कितने लोगों को वितरण किया है? आपके यहां सामान्य श्रेणी के कितने बालक हैं, उन पर कितनी राशि बनती है? आप यह निकाल लीजिए कि हमारे यहां सामान्य श्रेणी के इतने बालक थे, एक बालक को इतना दिया गया या 97 लाख रुपये केवल सामान्य श्रेणी के बालकों में वितरित किये गये। आप उसका हिसाब बताइये?

श्रीमती आशा चौधरी- मान्यवर, मैं मा0 समिति को अवगत कराना चाहूंगी कि आपत्ति में परीषदीय विद्यालय लिखा है, बालक नहीं लिखा है, हमारे यहां तीनों तरह की जो कैटेगरी हैं, उन विद्यालयों को भी और बालक में हमारा सिर्फ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बालकों को सर्व शिक्षा अभियान से धनराशि नहीं जाती है। बाकी सबको राज्य सरकार देती है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग तीनों तरह के बालक उसमें आ जाते हैं। हमने शासनादेश के अनुसार ही वितरण किया है।

श्री सभापति- इसमें प्रमुख सचिव महोदय ने कहा है कि हम रिपोर्ट बनवाकर उप समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, क्या आपने कोई रिपोर्ट बनायी है?

श्रीमती आशा चौधरी- मान्यवर, कल इस पर डिस्कशन भी हुआ है। शासनादेश के क्रम में पुस्तकों का वितरण होता है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, अनुपालन ही इनका स्पष्ट नहीं है। जो मा0 समिति के निर्देश थे और जो आपत्ति है, दोनों से अलग ही इनकी अनुपालन आख्या है। यह अनुपालन आख्या इन्होंने अपने हिसाब से तैयार की है।

श्री सभापति- लखनऊ की बैठक में जो मैंने कहा था, उसको मै पढ़कर सुनाता हूं। इसमें यह गड़बड़ हुई है कि इन्होंने दोनों का एक जगह बना दिया है। बजट तो भारत सरकार का भी इसमें जा रहा है। 97 लाख रुपये तो राज्य सरकार का बजट होगा, 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपये भारत सरकार का बजट होगा। कुल पैसे से इन्होंने वितरण किया होगा। इसमें स्पष्ट करना जरूरी है। स्पष्टीकरण उस तरीके से नहीं आया है। अगर ऑडिट के समय उसको हम ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाये तो अब स्पष्ट करने का अवसर है। उस समय 97 लाख रुपये आये और उसी समय भारत सरकार से भी पैसा आया, उससे पूरे जिले में आपने कुल कितने का वितरण किया है? जो भारत सरकार से पैसा आया है और जो राज्य सरकार से पैसा आया है, उसमें से आपने कुल कितने का वितरण किया है? आपके यहां सामान्य श्रेणी के कितने बालक हैं? अब आप कह रही है कि इसमें सामान्य नहीं ओ0बी0सी0 के भी बालक है, क्योंकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को तो अलग से मिलता है, इसलिए उनको इससे बाहर रखा गया है। जिनको लाभ प्राप्त हो रहा है, उनसे अतिरिक्त जो भी बच्चे हैं, चाहे वह सामान्य श्रेणी के हों या पिछड़ा वर्ग के हों। क्या आपने इसमें कोई डिटेल बनायी है कि कितने बच्चों को वितरण किया गया है? आप इसे तैयार कर लीजिए। आपके यहां जो लोकल ऑडिट की टीम है, एक बार उनके साथ बैठ लीजिए और उनको अवगत करा दें तो हम इसको लखनऊ में निस्तारित कर देंगे। अभी यह प्रस्तर लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

वार्षिक प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या-255, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-09.02, कार्यालय/यूनिट का नाम-बेसिक शिक्षा समिति, मेरठ, सम्प्रेक्षण अवधि/प्रतिवेदन वर्ष-2011-12 से 2012-13/2013-14, भाग/प्रस्तर-भाग-क, प्रस्तर-4, सन्निहित धनराशि-1,25,940.00

श्रीमती आशा चौधरी- मान्यवर, इसमें 5 विद्यालय है। इसमें विद्युत वायरिंग हेतु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 2009-10 में जो अनुदान दिया गया

था, उन्ही विद्यालयों को दोबारा अनुदान दिया गया। इसमें धनराशि के दुरूपयोग की सम्भावना है।

श्री सभापति- बिन्दु-3, 4, 5 तो संतोषजनक थे।

श्रीमती आशा चौधरी- मान्यवर, बिन्दु-3 और 4 के मेरे पास साक्ष्य है। इसमें बैंक पासबुक की फोटोकॉपी है, जिसमें साफ परिलक्षित होता है कि 2009-10 में हमको धनराशि का आवंटन न होकर वर्ष 2012-13 में हुआ है।

श्री सभापति- क्या आपने ऑडिट टीम को साक्ष्य दिखा दिये है?

श्रीमती आशा चौधरी- मान्यवर, मै साक्ष्य दिखा दूंगी।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इन्होंने जो साक्ष्य लगाया है, वह प्रधानाध्यापक का लिखित अभिकथन था, जो पैसा दिया गया था, उसके उपभोग की पुष्टि नहीं है।

श्रीमती आशा चौधरी- मान्यवर, पासबुक की फोटोकॉपी दी है।

श्री सभापति- आप इनको पासबुक की फोटोकॉपी दे दीजियेगा, अगर आपको इसमें कुछ आपत्ति लगे तो बता दीजियेगा।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, यहां की जो लोकल ऑडिट टीम होगी, यह उसको कनवे कर देंगे। इन्होंने केवल एक पेज की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगा दी है। अब वह किस बैंक की पासबुक है, कौन सा बैंक है, यह तो क्लीयर नहीं है।

श्री सभापति- यह आपकी जिम्मेवारी होगी। आप कह रही हैं कि आपने पासबुक में मिलान कर लिया है तो हम मान लेते है। इस प्रस्तर के निस्तारण की संस्तुति की जाती है।

(निस्तारण योग्य संस्तुति)

वार्षिक प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या-255, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-09.02, कार्यालय/यूनिट का नाम-बेसिक शिक्षा समिति, मेरठ, सम्प्रेक्षण अवधि/प्रतिवेदन वर्ष-2011-12 से 2012-13/2013-14, भाग/प्रस्तर-भाग-क, प्रस्तर-7, सन्निहित धनराशि-4,90,000.00

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इसमें विद्यालयों की सूची दी गयी थी कि इन-इन विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन के लिए विद्युत विभाग को पैसा दिया गया था। विद्युत कनेक्शन का कोई साक्ष्य नहीं था और उनको भुगतान हो रहा है। बिल के सापेक्ष और उसके पहले कनेक्शन के सापेक्ष भी भुगतान किया गया है। उसमें कनेक्शन संख्या ही नही थी और उसका भुगतान हो रहा था। सारे विद्यालयों की सूची दी गयी थी।

श्री सभापति- उसमें तो बहुत आसान था कि जो बिल है, बिल का भुगतान हम कर देंगे, उसमें कनेक्शन नम्बर लिखा होता है, एक सूची बनानी है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे, उनसे कह दीजिए कि बिल ले आइये या वह बिल की फोटो आपको भेज दें। क्या आपके पास बिल की फोटो है?

श्रीमती आशा चौधरी- मान्यवर, बिल की फोटो है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इसका साक्ष्य इन्होंने दे दिया है। हम मिलान कर लेंगे।

श्री सभापति- ठीक है, आप मिलान कर लीजियेगा। इस प्रस्तर के निस्तारण की संस्तुति की जाती है।

(निस्तारण योग्य संस्तुति)

वार्षिक प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या-255, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-9.2, कार्यालय/यूनिट का नाम-बेसिक शिक्षा समिति, मेरठ, सम्प्रेक्षण अवधि/प्रतिवेदन वर्ष-2011-12 से 2012-13 प्रतिवेदन वर्ष 2013-14, भाग/प्रस्तर-भाग-क, प्रस्तर-22, सन्निहित धनराशि-13,61,940

श्रीमती करमजीत कौर- मान्यवर, यह प्रस्तर एच.आर.ए. से संबंधित है। अवगत कराना है कि पिछली बैठक में आपने रिकवरी के आदेश दिये थे। इसमें हमने खण्ड शिक्षा अधिकारी को रिकवरी के लिए पत्र भेज दिया है। इस महीने के अन्त तक रिकवरी कर ली जायेगी।

श्री सभापति- क्या नोटिस जारी कर दी है?

श्रीमती करमजीत कौर- मान्यवर, नोटिस जारी कर दी गयी है?

श्री सभापति- ठीक है, अभी यह प्रस्तर लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

वार्षिक प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या-255, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-9.2, कार्यालय/यूनिट का नाम-बेसिक शिक्षा समिति, मेरठ, सम्प्रेक्षण अवधि/प्रतिवेदन वर्ष-2011-12 से 2012-13 प्रतिवेदन वर्ष 2013-14, भाग/प्रस्तर-भाग-क, प्रस्तर-26, सन्निहित धनराशि-31,20,91,302/-

श्रीमती करमजीत कौर- मान्यवर, इस प्रस्तर में आपके द्वारा निर्देश दिया गया था कि डिप्टी डायरेक्टर आपके कार्यालय में आकर एक बार अभिलेख चेक कर लें। उन्होंने अभिलेख चेक कर लिया है और अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, जो संशोधित ब्याज की धनराशि कैशबुक में इंट्री की जानी थी, वह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

श्रीमती करमजीत कौर- मान्यवर, साक्ष्य लगाया है। कैशबुक में हमने संशोधित ब्याज इंट्री कर ली है। हमारा दूसरा पैरा भी इसी वर्ष का है, उसमें 8009 1,2,3 के ब्याज के आगणन में हमने रिकैसिलेशन डायरेक्टरेट से लेकर मंगवाये है और उसकी इंट्री की जानी है। चूंकि दूसरे पैरा में संशोधन होना है, इसलिए हमने इसमें ओपेन और क्लोजिंग वर्ष नहीं लिखा है, जिसके लिए इन्होंने रिपोर्ट में लिखा है। बाकी इस आपत्ति में जो रिपोर्ट इन्होंने दी है, इसमें इनके द्वारा लिखा गया है कि स्थलीय निरीक्षण के द्वारा पाया गया है कि वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में कोषागार मेरठ द्वारा लगाये गये अधिक ब्याज की धनराशि का कोषाधिकारी द्वारा संशोधन करा लिया गया है। यह सूची वर्ष 2004-05 से कोषागार लेख अभिलेखों में त्रुटि जिसमें त्रुटि का निवारण कर कोषागार द्वारा 8009 के डी0पी0एफ0 में संशोधन कर 2014 में प्रस्तावित कोषाधिकारी मेरठ द्वारा किया गया था। इसकी पुष्टि मुख्य कोषाधिकारी के पत्र से भी होती है। यह उन्ही की रिपोर्ट है। आपत्ति यह थी कि ट्रैजरी में ब्याज की व्यवस्था हो। डिप्टी डायरेक्टर सर की रिपोर्ट भी आ गयी है, उन्होंने संशोधन कर लिया था। हमारे पास शीट आ गयी है। हमने अपनी कैशबुक में उस ब्याज की इंट्री कर दी, जो ट्रैजरी ने हमें बताया था। उनका कहना है कि हम बाकी की ओपेन और क्लोजिंग डेट भी इंटर कर दें, लेकिन हमारी बाद की वित्तीय वर्ष की आपत्ति है, 8009 1,2,3 से हमारा ब्याज चल रहा है और जो ट्रैजरी का चल रहा है, उसमें कुछ डिफरेंस है, उस डिफरेंस का कारण होता था कि पहले चेक वाला सिस्टम था। हमारे यहां से मान लीजिए चेक मार्च को चला गया और किसी ने उसको इंटर नहीं कराया अप्रैल मई में इंटर कराया तो वह एमाउंट रेफर हो जाता था, इसलिए पिछले वर्षो के रिकैसिलेशन स्टेटमेन्ट मंगाये गये है। जब वह आ जायेंगे तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी इंटर कर देंगे। ब्याज हमारे द्वारा कैशबुक में इंटर है, जिसके हमने साक्ष्य लगाये हुए है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, यह मामला बाउंड्रीवाल का था। इनकी बातों से स्पष्ट है कि कार्यवाही अभी भी अपूर्ण है।

श्री सभापति- इसमें निर्देश हुआ था कि मेरठ की ऑडिट टीम, सरकार के अधिकारी और विभाग के अधिकारी तीनों लोग आपस में बैठकर इसको ठीक करेंगे। यह केवल किताबों में इंट्री करने न करने से नहीं होगा। क्या तीनों का एक साथ बैठना हुआ है?

श्रीमती करमजीत कौर- मान्यवर, रिपोर्ट आ गयी है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- मान्यवर, इन्हें 15 दिन का समय देकर अगली बैठक में बुला लिया जाए। जो कार्यवाही अधूरी रह गयी है, उसको यह पूर्ण कर लें।

श्रीमती करमजीत कौर- मान्यवर, जो कैशबुक का साक्ष्य लगा हुआ है, उसमें देखिये मैंने ब्याज को इंटर किया हुआ है।

श्री सभापति- आप इसका परीक्षण कर लीजिए। इन्होंने तो आपको साक्ष्य दे दिये हैं। आप हमें एक सप्ताह में इसकी रिपोर्ट दे दीजियेगा। इस प्रस्तर के निस्तारण की संस्तुति की जाती है।

(निस्तारण योग्य संस्तुति)

वार्षिक प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या-2, ऑडिट पैराज से संबंधित शीर्षक व क्रमांक-16, कार्यालय/यूनिट का नाम-बेसिक शिक्षा समिति, मेरठ, सम्प्रेक्षण अवधि/प्रतिवेदन वर्ष-2011-12 से 2012-13 प्रतिवेदन वर्ष 2013-14, भाग/प्रस्तर-भाग-क, प्रस्तर-27, सन्निहित धनराशि-3,20,000

श्री सभापति- इस प्रस्तर में निर्देश हुआ था कि ऑडिट टीम को अभिलेख उपलब्ध करा दीजिए। क्या आपने अभिलेख उपलब्ध करा दिये है?

श्रीमती आशा चौधरी- मान्यवर, हमने अभिलेख उपलब्ध करा दिये है।

श्री सभापति- ठीक है, इस प्रस्तर के निस्तारण की संस्तुति की जाती है।

(निस्तारण योग्य संस्तुति)

(सी0डी0ओ0 मेरठ द्वारा मा0 सभापति महोदय तथा मा0 सदस्यों को शहीद स्तम्भ एवं भगवान राम की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया।)

श्री सभापति- हमारी उप समिति के मा0 सदस्यगण, विधान सभा सचिवालय से आए हुए अधिकारीगण, जनपद के सभी अधिकारीगण, सभी विभागों से आए अधिकारीगण उप समिति का अध्ययन-भ्रमण का कार्यक्रम जो दिनांक 26 दिसम्बर से प्रारम्भ हुआ था, आज मेरठ जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक हुई और काफी पैरा निस्तारित हुए है। उसके बावजूद कुछ प्रस्तर शेष रह गये है, जो समिति के द्वारा निर्देश दिये गये है, उनका अनुपालन आप लोग समय से करेंगे, ऐसी आप सभी से अपेक्षा है। मा0 सदस्यगण मेरा विचार है कि अत्यधिक ठण्ड व घने कोहरे के कारण सहारनपुर मण्डल का अध्ययन-भ्रमण कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाए।

इं0 बृजेश कठेरिया- मा0 सभापति महोदय, आप बिल्कुल सही कह रहे है। मेरा भी यही मत था।

श्री सभापति- ठीक है। अत्यधिक ठण्ड व घने कोहरे के कारण सहारनपुर मण्डल का अध्ययन-भ्रमण कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

(तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही संपन्न हुई)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की "प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2022-23)" की बैठक की कार्यवाही

दिनांक: 29 दिसम्बर, 2023 **स्थान-विधान भवन,**

समय: 10:00 बजे पूर्वाह्न **मा0 सभापति कार्यालय, लखनऊ।**

उपस्थिति

01. श्री सुनील कुमार शर्मा	मा0 सभापति
02. श्री महेश चन्द्र गुप्ता	सदस्य
03. इं0 बृजेश कठेरिया	सदस्य
04. श्री स्वामी ओउमवेश	सदस्य।

विधान सभा सचिवालय के अधिकारी

1. श्री नीरज कुमार सोनकर, समिति अधिकारी।

.....

बैठक की कार्यवाही श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सभापति के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई।

(परिचयोपरान्त)

समिति अधिकारी- मा0 सभापति महोदय एवं समिति के मा0 सदस्यगण, आप सभी का आज की इस बैठक में स्वागत है। आप सभी को विदित है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति वर्ष (2022-23)'' की द्वितीय उप समिति मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल का अध्ययन-भ्रमण कार्यक्रम पूर्ण करके आज लखनऊ वापस आ चुकी है।

इं0 बृजेश कठेरिया- माननीय सभापति महोदय, यह अध्ययन-भ्रमण कार्यक्रम बहुत ही सकारात्मक रहा तथा इस दौरान हमें संबंधित विभागों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच से बहुमूल्य जानकारियां भी प्राप्त हुई हैं। मेरा सुझाव है कि ऐसे अध्ययन-भ्रमण कार्यक्रम भविष्य में भी समय-समय पर बनाये जायें।

समिति अधिकारी- मान्यवर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।

श्री सभापति- स्थानीय निकाय समिति विधान सभा की एक महत्वपूर्ण समिति है, जिसका प्राथमिक कार्य विभिन्न विभागों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच रिपोर्ट की समीक्षा करना है।

समिति अधिकारी- मान्यवर, आपका कहना बिल्कुल सही है।

श्री सभापति- मा0 सदस्यगण आप सभी को विदित है कि उप समिति का दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 से दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 तक मेरठ एवं सहारनपुर मण्डल का अध्ययन-भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित था। मेरठ मण्डल तक का अध्ययन-भ्रमण कार्यक्रम हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है परन्तु अत्यधिक ठण्ड व घने कोहरे के कारण सहारनपुर मण्डल का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। अब बैठक की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही संपन्न हुई)

अनुमोदित,

(सुनील कुमार शर्मा)
सभापति
स्थानी निकाय समिति।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी (2022-2023) की संयुक्त समिति की प्रथम उप समिति का अयोध्या एवं वाराणसी मण्डल के (दिनांक 05.12.2023 से 07.12.2023 तक) अध्ययन भ्रमण की कार्यवाही।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की प्रेदश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा संबंधि संयुक्त समिति की उप समिति का प्रदेश के अंदर अयोध्या एवं वाराणसी मण्डल के अध्ययन-भ्रमण (2022-2023) की कार्यवाही एक/दो/तीन प्रति/प्रतियों में संलग्न है। प्रमुख प्रतिवेदक कृपया इसे संबंधित अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

1 प्रमुख सचिव के निजी सचिव,
2 समिति (वित्त) अनुभाग 1,2,3,4,5
3 समिति (सामान्य) अनुभाग 1,2,3
4 पटल कार्यालय/प्रोटोकाल प्रकोष्ठ/संसदीय अनुभाग,
5 विधान पुस्तकालय/कार्यवाही अनुभाग,
6. मार्शल कार्यालय।

प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उ० प्र०।

19-12-2023

(विनित कुमार)
प्रतिवेदक

19/12/2023

(श्रीमती अनिला राम)
प्रमुख प्रतिवेदक

बैठक की कार्यवाही श्री सुनील कुमार शर्मा, मा0 सभापति के सभापतित्व में आरंभ हुई।

श्री सभापति- आप इस बैठक में आए, आप सभी का स्वागत है। साथियों जैसा कि आप अवगत हैं कि हमारी उप समिति आज से 3 दिन के अयोध्या एवं वाराणसी मंडल के भ्रमण पर जा रही है। इस भ्रमण के दौरान हम लोग इन मंडलों से संबंधित जनपदों के विभिन्न विभागों से संबंधित जो ऑडिट प्रस्तर लम्बित है, उन पर विचार विमर्श करेंगे, एवं अन्य स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सभी के सहयोग से हमारा यह अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम सुगमता पूर्वक सम्पन्न होगा।

समिति अधिकारी- मान्यवर, प्रस्तावित अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है, संबंधित जिलों में रात्री प्रवास के लिए सर्किट हाउस बुक करने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है, व दूरभाष के माध्यम से उनको सारी जानकारी दे दी गई है। मा0 सदस्यों के प्रस्थान के लिए पोर्टिको में गाड़िया लगवा दी गई है।

श्री सभापति- ठीक है, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। अब बैठक की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।)

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति (2022-2023) की बैठक की कार्यवाही

दिनांक : 05 दिसम्बर, 2023 स्थान : सर्किट हाउस अयोध्या।

समय : 01:20 बजे अपराह्न

उपस्थिति

1. श्री सुनील कुमार शर्मा — सभापति
2. श्री सुभाष त्रिपाठी — सदस्य
3. श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा — सदस्य
4. श्री वेद प्रकाश गुप्ता — सदस्य

विधान सभा सचिवालय के अधिकारीगण

1. श्री अजीत कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव,
2. श्री नीरज कुमार सोनकर, अनुभाग अधिकारी।

स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग के अधिकारीगण

1. श्री नीरज कुमार गुप्ता, उपनिदेशक लखनऊ, मंडल,
2. श्री आर0पी0 मौर्य, ऑडिटर।

जनपद अयोध्या के अधिकारीगण

1. श्री नितीश कुमार, डी0एम0,अयोध्या,
2. श्री विशाल सिंह, वी0सी0, ए0डी0ए0, एन0ए0, ए0एम0सी0,
3. श्री अरविन्द द्विवेदी, सिटी मजिस्ट्रेट, अयोध्या,
4. डॉ0 लवकुश द्विवेदी, डायरेक्टर ए0आर0आई0, कल्चरल,
5. श्री अनिरूद्ध प्रताप सिंह, ए0डी0एम, (ई),
6. श्री योगेश, ए0एम0सी0, एन0एन0, अयोध्या,
7. श्री नरेन्द्र पी0 सिंह, ए0ओ0, एन0एन0, अयोध्या,
8. श्री राजवीर सिंह, सी0ई0, नगर निगम, अयोध्या,
9. श्री नीरज श्रीवास्तव, फाईनेंस ऑफिसर, ए0एन0डी0यू0ए0टी0, अयोध्या,
10. डॉ0 एस0सी0 विमल, ज्वॉइन्ट डायरेक्टर, एस0सी0एफ0,
11. डॉ0 डी0के0 द्विवेदी, डी0एस0डब्ल्यू0, एन0डी0यू0टी0,
12. डॉ0 ए0के0 सिंह, डी0ए0एम0, एन0डी0यू0टी0,
13. श्री गजेन्द्र कुमार, सी0टी0ए0ओ0, नगन निगम,
14. श्री अमिचंद सिंह, असिस्टेंट ए0आई0सी0टी0टी0,
15. श्री मनीष कुमार पाण्डेय, असिस्टेंट ए0आई0सी0टी0टी0,

16. श्री ओम प्रकाश, एग्जीक्युटिव, इंजीनियर,
17. श्री आर0आर0 सिंह, ए0डी0ई0, एन0डी0यू0टी0,
18. श्री संतोष कुमार राय, बी0एस0ए0, अयोध्या,
19. श्री संजय सुक्ला, ई0ओ0, कुमारगंज,
20. श्री अरूण कुमार, डी0डी0ए0एम0जे0, मंडी परिषद,
21. श्री सी0पी0 मौर्य, अवर अभियंता,
22. श्री सुभाष त्रिपाठी, जोनल अधिकारी,
23. श्री आर0पी0 यादव, सहा0 अभियंता,
24. श्री हरगोविंद सिंह यादव, कर निर्धारण अधिकारी,
25. श्री ए0के0 राय, अधिशासी अभियंता,
26. श्री मनोज कुमार सिंह, एफ0ए0ओ0,
27. श्री राजेन्द्र प्रसाद, डी0डी0 टूरिज्म।

.....

बैठक की कार्यवाही श्री सुनील कुमार शर्मा, मा0 सभापति के सभापतित्व में आरंभ हुई। (जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा मा0 सभापति व मा0 सदस्यों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया।)

(परिचयोपरांत)

आवास एवं शहरी नियोजन

श्री सभापति- बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की जाए, यह जो एजेंडा पैरेलल लगाए गये है, क्या यह वही हैं जो हमने उप समिति के लिए निर्धारित किये थे?

श्री विशाल सिंह- महोदय, यह सभी वही लम्बित प्रस्तर हैं, जो उप समिति के लिए निर्धारित हुए थे।

क्रम0सं0-01 वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक 158 प्रस्तर क्रमांक 4.6, ऑडिट पैराज से सम्बन्धित शीर्षक व क्रमांक, बकाया धनराशि पर ब्याज की गणना न किये जाने के कारण निधि को रु0 1010897.00 की क्षति, कार्यालय/यूनिट का नाम- अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या। सम्प्रेक्षण अवधि 2015-16 प्रस्तर संख्या- भाग-क प्रस्तर-(एक)(1) सन्निहित धनराशि रु0, 1010897/-

(व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गई)

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, जो अभी दिनांक 23.11.2023 को बैठक हुई है, उसी के 2 लम्बित प्रश्न थे, उसी के संबंध में यह अनुपालन दिया गया है। इसमें जिनको अलॉटमेंट किया गया है उनसे कुछ शुल्क लिये जाने थे, तो इसमें सबसे पहले आख्या यह आयी थी कि उनके खिलाफ नोटिस जारी की गयी है, फिर उसके बाद मा0 समिति का निर्देश हुआ कि इसमें आर0सी0 की कार्यवाही की जाए, तो गत बैठक में जो दिनांक 23.11.2023 को सम्पन्न हुई, उसमें यह कहा गया कि इसमें आर0सी0 जारी की गयी है और इन्होंने इस समय आर0सी0 जो जारी की है उसको साक्ष्य के रूप में लगाया है। हालांकि धनराशि की अभी वसूली नहीं हुयी है, लेकिन कृत कार्यवाही से साक्ष्य के साथ इन्होंने अवगत कराया है।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- यह आर0सी0 किस डेट को जारी हुई है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, सभी आर0सी0 दिनांक 17.11.2023 को जारी हुयी हैं, जैसे कि आपत्ति में नाम दिये गए थे।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- क्योंकि यह वर्ष 2012 का प्रकरण है और वर्ष 2012 के आवंटन के बाद, विभाग दिनांक 17.11.2023 तक क्या करता रहा? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार हैं? इसमें पूरे 11 वर्ष बाद जब कमेटी के सामने यह प्रकरण आया तब यह आर0सी जारी हो रही है, पहले आर0सी0 जारी क्यों नहीं की? इसका मतलब

विभाग ने कहीं न कहीं उदासीनता दिखाई है, या इस फाइल को पलट के देखा ही नहीं है। विभाग बताए कि वर्ष 2023 तक किसका वेट किया गया है, जनपद में ऐसे बहुत सारे प्रकरण होंगे, जिसमें वर्ष 2012 का ऑडिट ऑब्जेक्शन होगा और वेट कर रहे होंगे कि जब ऑडिट ऑब्जेक्शन उठे, विधान सभा की कमेटी के सामने जाए, तब हम आर0सी0 जारी कर दें, यह तो उचित नहीं है, विभाग का क्या कहना है?

श्री विशाल सिंह- महोदय, इसमें विलम्ब हुआ है, किंतु पहले उसकी वसूली हो सके इसका प्रयास जारी रहा और हमारी टीम के द्वारा पिछले 3 वर्षों में जो भी बकाया वसूली थी, उस पर बहुत सघन प्रयास हुआ है और यह लम्बे समय से पेंडिंग था और जो लोग है उनकी स्थिति ऐसी न होने के कारण या कई अन्य कारणों से वह जमा नहीं हुआ था। बार-बार प्रयास करने के बाद भी जब पैसा जमा नहीं हो सका, तो हम लोगों ने इसकी आरसी जारी की है, विलम्ब तो हुआ है लेकिन वसूली हम पूरे ब्याज के साथ करेंगे, इसमें कोई आर्थिक हानि होने की संभावना नहीं है।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- तरीका क्या निकाला है आपने वसूली करने का? कोई नोटिस उनको दिया होगा, कुछ तो दिया होगा? अगर कोई कागज उनको दिया है अगर वह अभी है तो उसको दिखाया जाए।

श्री सभापति- अभी जैसा कि विभाग ने बताया कि वह 3 वर्ष से प्रयास कर रहे हैं, तो 3 वर्ष में क्या-क्या प्रयास हुए इस वसूली के लिए, उसको थोड़ा हमें बता दीजिए?

श्री विशाल- कोई पुराना रिकार्ड आपके पास है तो उसको दिखा दीजिए?

श्री ए0के0 राय- महोदय, पुराना रिकार्ड नहीं है।

श्री सभापति- इसमें आप देख लीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई कार्यवाही नहीं हुयी है क्योंकि यह केवल यहां का ही नहीं सभी जगह का यही सिस्टम है कि जब तक समिति की बैठक की सूचना न पहुंच जाए, तब तक वह ठण्डे बस्ते में चीजें पड़ी रहती है? मेरा सुझाव है कि जितने भी लोग इसके लिए जिम्मेदार है, उनसे स्पष्टीकरण विभाग के द्वारा मांग लिया जाए। एक नोटिस जारी करके उनसे स्पष्टीकरण लिया जाए कि आपने यह लापरवाही क्यों बरती।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- सभापति जी, इसमें कुछ टाइम बाँड कर दीजिए।

श्री सभापति- इसमें वसूली का प्रयास भी हो और वसूली के प्रयास के साथ-साथ जिन लोगों ने लापरवाही बरती है उनसे पूछ-ताछ भी हो। समिति इसके लिए विभाग को 3 महीने का समय देती है और यह बिंदु अभी लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

क्रम0सं0-09 वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक 158 प्रस्तर क्रमांक 4.6, ऑडिट पैराज से सम्बन्धित शीर्षक व क्रमांक, अधूरे निर्माण के फलस्वरूप रु0 15567193.00, कार्यालय/यूनिट का नाम- अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या। सम्प्रेक्षण अवधि 2015-16 प्रस्तर संख्या- भाग-क प्रस्तर-तीन (8) सन्निहित धनराशि रु0, 1,25,67,193/-

(व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गई)

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, इसमें मा0 समिति का पूर्व में यह निर्देश था कि यह देख लिया जाए कि विकास प्राधिकरण को कोई क्षति तो नहीं हुई है, तो महोदय, इन लोगों ने साक्ष्य के रूप में एक विवरण लगाया है, जिसके द्वारा इन्होंने यह बताया है कि कुल 20 आवंटियों से रु0 4 करोड़ 32 लाख 28 हजार पैसा वसूल लिया है और अभी उनके सापेक्ष 63 लाख 78 हजार रु0 वसूली के लिए बचा है। यह अपडेट कार्यवाही विभाग की है जो इन्होंने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की है।

श्री सभापति- इसमें 4 करोड़ 67 हजार 134 रु0 की धनराशि जमा हो गयी है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- हां मान्यवर, अभी केवल मात्र 63 लाख रु0 रह गया है, इसमें पैसा जमा होने की डिटेल दी गयी है कि भवन संख्या क्या थी, जमा धनराशि कितनी है, कब्जा कब दिया और कितना पैसा बकाया है।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- इसमें कोई ऐसा स्टेटमेंट तो शो होना चाहिए, जिससे यह पता हो कि आपने जो कागज बनाकर दिया है, जितना रु0 आप कह रहे है, उसमें उतना पैसा जमा हो गया।

श्री ए0के0 राय- महोदय, इसमें जो हम लोगों का निर्माण में खर्च हुआ है, वह 2 करोड़ 2 लाख रु0 के करीब खर्च हुआ है और जो आमदनी हमने अब तक ली है, वह हमारा पूरा 4 करोड़ 23 लाख 28 हजार रु0 जमा हो गया है और 63 लाख रु0 हमें लेना है, बाकी इसकी हर एक फाइल से स्टेटमेंट निकालकर उसका बंच हम आपको दे देंगे।

श्री सभापति- लेकिन आपने यहां पर जो धनराशि दिखाई है, वह 4 करोड़ 42 लाख 67 हजार 134 रु0 है?

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- आप सभी ध्यान से सुन लीजिए, जितना आप बोल रहे है, यहां पर विधान सभा के राइटर बैठे हुए हैं, आपका बोला हुआ एक-एक शब्द नोट हो रहा है, इसलिए आप कोई ऐसा तथ्य यहां पर न बोलियेगा जिससे परेशानी हो, हां आपको जानकारी नहीं है तो आप यह बोल सकते है कि आपको जानकारी नहीं है, गलत तथ्य यहां प्रस्तुत करना, विधान सभा की सब कमेटी के सामने उचित नहीं है, फिर आप पर कार्यवाही हो सकती है।

श्री ए0के0 राय- मान्यवर, हम एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते है।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- आपने क्रॉस चेक पहले क्यों नहीं किया, तथ्य में आप कुछ और लिखकर दे रहे हैं और यहां पर कुछ और है, दोनो में अंतर कैसे है?

श्री सभापति- जो शेष 63 लाख रु0 है इसके लिए विभाग क्या कर रहा है?

श्री ए0के0 राय- महोदय, इसके लिए नोटिस गई हुई हैं, सभी से वसूली हो जाएगी।

श्री सभापति- विभाग ने जो अमाउंट बताया है, विभाग उसको ठीक करे और प्रयास करें कि पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाए, अभी यह बिंदु लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, इसमें हम लोगों के लिए क्या निर्देश है क्या हम इनके साक्ष्य देखकर के ले आएं और आपके सामने प्रस्तुत कर दें।

श्री सभापति- इसमें आप ऐसा कीजिए कि यह जो स्थानीय टीम है, आप उसको दिखा लीजिएगा और इनकी रिपोर्ट को लेकर जो भविष्य में बैठक होगी उसमें समिति इसको देख लेगी।

(नगर विकास विभाग)

भाग-क प्रस्तर-एक (1)-

(व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गई)

श्री गजेन्द्र कुमार- महोदय, इसमें राम कथा पार्किंग शुल्क के लिए ठेका वित्तीय वर्ष 2016-17 में श्रीमती लीला सिंह को दिया गया था, इन्होंने यह लिखा है कि यह ठेका वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1 अप्रेल से लेकर 12 जुलाई तक दिया, उसके बाद इन्होंने सरेंडर किया और रु0 5 लाख 3 हजार इन्होंने जमा किया। दूसरा इन्होंने जो मार्जिन जोड़ रखा है वह रु0 5 लाख 92 हजार है, लेकिन महोदय, इसमें अनुरोध करना है कि जो शर्तें उस समय तय की गयी होगीं अधिशासी अधिकारी तत्कालीन द्वारा, उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं था कि अगर वह बीच में सरेंडर करता है, तो उनसे वसूली की जाएगी, शायद यही कारण है कि इनका 5 लाख 92 हजार रु0 इन्होंने वसूल नहीं किया है।

श्री सभापति- क्या ठेकेदार ने बीच में ही ठेका छोड़ दिया था?

श्री गजेन्द्र कुमार- हां मान्यवर, ठेकेदार ने ठेका बीच में ही छोड़ दिया था।

श्री सभापति- ठेका छोड़ने का क्या कारण था?

श्री गजेन्द कुमार- महोदय, ठेका छोड़ने का कारण यह था कि इनको लगा कि इसमें घाटा हुआ है और ठेका चला नहीं पायेंगे, इसलिए इन्होंने इसको बीच में ही सरेंडर कर दिया। इसके बाद इसमें तत्कालीन अधिकारी ने कहा कि इसकी विभागीय वसूली कराई

जाए, फिर इसकी विभागीयं वसूली करायी गयी जिसमें नाम मात्र पैसा आया, उसके बाद ठेका संतोष यादव ने उठा लिया, उन्होंने वह ठेका पूरे वित्तीय वर्ष चलाया।

श्री सभापति- मतलब 1 महीना विभाग ने ठेका चलाया, 1 महीने के बाद पुनः टेंडर हुआ और दूसरे व्यक्ति ने ठेका चलाया, उससे पूरा पैसा वापिस आया?

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- इसमें पैसा कितना जमा किया?

श्री सभापति- प्रश्न यह है कि ठेकेदार को टेंडर हुआ, उसने 3 महीने चलाया उसको पड़ता नहीं खाया उसने छोड़ दिया, उसके बाद ठेका आपने डिपार्टमेंटली चलाया, आपको लगा कि ठीक से वसूली नहीं हो पा रही है तब आपने दूसरे ठेकेदार को टेंडर दिया। इसमें अलग-अलग ठेकेदार ने वसूली की है इसलिए इसमें वित्तीय क्षति नहीं बनती है।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- इसमें कार्य ठेकेदार ने घाटे के कारण नहीं छोड़ा है, फिर चाहे कारण कुछ भी रहा हो, यह आप समझ सकते हैं, क्योंकि 3 महीने में 11 लाख में अगर कोई ठेका लेता है और तीन महीने में वह 5 लाख 7 हजार जमा कर देता है, फिर उसके पास 9 महीने बचते हैं, तो 2 महीने में आधी धनराशि बचती है और आधी धनराशि वह 3 महीने में जमा कर देता है, तो इसमें यह लॉजिक तो कहीं पर भी ठीक नहीं बैठता है कि उसने घाटे के कारण छोड़ा है। दूसरा आपने संतोष यादव से कितना पैसा जमा कराया है, इसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है, इसका मतलब या तो यह उस समय की मिली भगत है, या इसके पीछे कोई ऐसा कारण है जिसको आप छिपा रहे हैं।

श्री राकेश कुमार- महोदय, इसमें जो पहला ठेकेदार था लीला सिंह, उसके 3 लाख 10 हजार रुपये 103 दिन के जमा पैसे से जब्त कर लिये थे, जब उन्होंने ठेका छोड़ दिया था और फिर विभागीय वसूली करायी गयी जिसमें 6300 रुपये प्राप्त हुए। फिर जो टेंडर कराया गया था, उसमें 1 लाख 51 हजार रुपये का अगस्त से लेकर 31 मार्च तक के लिए टेंडर हुआ, उसमें 1 लाख 51 हजार संतोष सिंह से वसूले गए हैं।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- इसमें जो आपने डेट लिखी है उक्त वर्षीय संप्रीक्षा दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 12.07.2016 तक, अभी महीने तो 3 हुए उसमें 10 दिन और बढ़ गए। तब कुल जमा धनराशि 5 लाख 7 हजार 300 रुपये किया गया था।

श्री राकेश कुमार- महोदय, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गयी है।

श्री सभापति- आप जो टिप्पणी दे रहे हो उसमें 3 महीने लिखा हुआ है, जबकि यह पूरे वित्तीय वर्ष की वसूली है, आपको दो बातें बतानी थी कि पूर्व वित्तीय वर्ष में इतनी वसूली हुई और इन कारणों से ठेकेदार ने काम नहीं किया और हमारे लिए यह मजबूरियां रही कि जिस कारण से वसूली कम हुई है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, इन्होंने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है, उसी साक्ष्य के आधार पर यह आपत्ति रेज हुई थी और यह ठेका इसलिए निरस्त हुआ था कि जैसे ही इनका ठेका स्वीकृत होना था, उसके तुरंत बाद ठेके की कुल धनराशि जो 11 लाख थी उसका 50 प्रतिशत यानि 5 लाख 50 हजार इनको जमा कराना था, जोकि इन्होंने अपना पार्किंग का काम शुरू करने के 3 दिन तक जमा नहीं किया था। इसलिए आप लोगों ने ठेका निरस्त किया था।

श्री सभापति- यह जो पैसा 3 लाख 92 हजार था, उसने यह बाद में जमा किया था या पहले से डिपॉजिट था।

श्री राकेश कुमार- महोदय, 1 लाख रुपया उसका जमानत के रूप में पहले से जमा था और 2:50 लाख बाद में जमा किया था।

श्री सभापति- ठेकेदार को तत्काल 2:50 लाख रु0 और देना था, जब आपने ठेका निरस्त किया और उसकी जो सेकेंड किस्त थी वह 2:50 लाख के आस-पास होगी। वह शर्त के अनुसार पैसा जमा नहीं कर पाया, विभाग ने ठेका निरस्त कर दिया। आप इसमें और प्रयास करते, आपको निरस्त करके क्या मिला? आपको निरस्त करके केवल 2 लाख रुपये मिले। अगर आप ठेका निरस्त न करते, आप उसी से तालमेल बिठाते, उसको कुछ रियायत देते, तो आपको 11 लाख रुपये मिलते।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- यह टिप्पणी किसने बनायी है?

श्री नरेन्द्र पी0 श्रीवास्तव- महोदय, यह संबंधित विभागों से टिप्पणी का उत्तर बनकर आता है।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- जब आप उसको कम्पाइल करते हैं, तो कम्पाइल करते समय आप यह तो कम से कम देख लें कि वह कहीं फिट बैठ रहा है या नहीं फिट बैठ रहा है।

श्री नरेन्द्र पी0 श्रीवास्तव- ठीक है, मान्यवर, हम आगे भविष्य में ध्यान रखेंगे।

श्री सभापति- इसमें जिस ठेकेदार ने टेंडर लिया उसके पास 3 महीने रहा, जिसके सापेक्ष उसने 3 लाख से ज्यादा पैसा जमा कर दिया, आपने टेंडर बहुत ही शीघ्रता में किया तो ठेकेदार पैसा क्यों देगा, जब उसने ठेका चलाया ही नहीं है। इसका अनुबंध में उल्लेख भी नहीं है और ठेका निरस्त भी आपने किया है।

श्री नरेन्द्र पी0 श्रीवास्तव- महोदय, निरस्तीकरण के पहले अधिशासी मुख्य अधिकारी की तरफ से 3 नोटिस सर्व हुए, लेकिन उस नोटिस पर कोई भी पॉजेटिव रिस्पांस नहीं मिलने के बाद ठेका निरस्त किया गया था।

श्री सभापति- कितने दिन में यह 3 नोटिस दिये गए थे?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, इसमें इन्होंने साक्ष्य लगाया है जिसमें दिनांक 22.03.2016, 18.04.16 और 05.07.2016 को सूचना इस संबंध में दी है। इन्होंने जो अनुबंध समाप्त किया है, उसमें आपत्ति यह है कि एक जो निर्धारित तरह का स्टांप 44 हजार रु0 का था, वह ठेकेदार ने नहीं लिया था, इस पर भी अभी इन्होंने कार्यवाही नहीं की है, तो जो ठेकेदार को स्टांप मूल्य जमा करना था, वह उसने नहीं किया था।

श्री सभापति- इस ऑबजेक्सन में पैसा कौन देगा? आप रिकवरी किससे करोगे?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, वैसे इसमें इस समय मूल क्षति स्टांप की है।

श्री सभापति- मेरे विचार से जो स्टांप का पैसा बाकी है, उसकी सूचना ए0डी0एम फाइनेंस को भेज दें कि दिनांक इतने को अनुबंध के अनुसार इतना स्टांप देना था, जो ठेकेदार ने नहीं दिया। इस पर ए0डी0एम0 फाइनेंस कार्यवाही करे, स्टांप लेना उनका काम है, आपकी आपत्ति स्टांप तक की खत्म हो जाएगी, दूसरा जो बकाया पैसा है इसको कहीं से वसूला तो नहीं जा सकता, ऑडिट आपत्ति कब तक खड़ी रहेगी, क्योंकि इसका निस्तारण भी होना है। इसके लिए आप अपनी बोर्ड की बैठक में इस पर निर्णय लें और इसके बीच में कहीं पर भी लापरवाही हुई है तो नगर आयुक्त उसको देख लें और संबंधित व्यक्ति से स्पष्टीकरण ले लें और बोर्ड की बैठक में इसको तय करके समिति को अवगत कराएं। अभी यह बिंदु लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

भाग-क प्रस्तर-एक (2)-

(व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गई)

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, इसमें अवस्थापना निधि से एक सर्वे कार्य सतगुरू रियल्टी से कराया गया था और इसमें आपत्ति यह थी कि उन्होंने बिना टेंडर के कराया था और यह भी है कि इससे नगर पालिका और अयोध्या नगर निगम की आय में कोई प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं हुई, जिसकी वजह से फर्म को भुगतान किया गया था, वह निष्फल व अनुपयोगी था।

श्री सभापति- विभाग बताए इस बारे में कि क्या हुआ था?

श्री नरेन्द्र पी0 श्रीवास्तव- महोदय, यह खरीद जिला निकाय के तत्कालीन अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत की गयी थी और इस खरीद के उपरांत वित्तीय वर्ष 2015-16 में करों की मद में कुल आय की 11 लाख 96 हजार 639 रु0 दर्ज की गयी और वित्तीय वर्ष 2016-17 में करों की वसूली 20 लाख 52 हजार 669 रु0 हो गयी थी। आगे बढ़ने पर अयोध्या नगर निगम का वर्ष 2017 में गठन हो गया और 2017-18 में

करों की कुल आय 2 करोड़ 3 लाख 2365 रु0 हो गयी, तो महोदय, इसमें यह प्रतीत होता है कि आय में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज हुई।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- आपने जो सतगुरू रियल्टी से काम कराया, वह नगर पालिका परिषद की भूमिका में लगाया और डिटेल आपने जिस वित्तीय वर्ष का दिया, वह तब का दिया जब वह नगर निगम हो गया।

श्री नरेन्द्र पी0 श्रीवास्तव- महोदय, उसके पहले वित्तीय वर्ष में यह 11 लाख से 20 लाख 52 हजार रु0 हो गया था।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- मान लिया यह 11 लाख से 20 लाख 52 हजार रु0 हो गया था, फिर उसके बाद आपने यह कहा कि यह 2 करोड़ रुपये हो गये है अगले वर्ष में, जब यह 2 करोड़ रुपये हुआ, तब आप नगर निगम हो गये थे और जब आप नगर निगम हो गए थे तो स्वाभाविक रुप से आपका एरिया बढ़ गया। इसके बाद आपने जो सर्वे का मटेरियल का पैसा खर्च किया, वह कहां से वापिस हुआ? वह तो वापिस हुआ नहीं, क्योंकि इसमें जो आपने भुगतान किया है वह कुल 12 लाख रुपये है। एक दोष यह है कि आपने इसको बिना टेंडर किया।

श्री सभापति- यह बिना टेंडर के किस कारण से दिया गया, विभाग कुछ बताएगा?

श्री विशाल सिंह- आपके पास कोई डिटेल है कि बिना टेंडर के काम क्यों दिया गया?

श्री नरेन्द्र पी0 श्रीवास्तव- महोदय, दिनांक 2 अगस्त 2016 को नगर पालिका परिषद सीमा अतंर्गत निकाय क्षेत्र में अवस्थित परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्यांकन पर मेला आदि में सुरक्षा के दृष्टिकोण से ड्रोन के माध्यम से निकाय क्षेत्र में सर्वे/मैपिंग का कार्य बंग्लौर नगर निगम की तर्ज पर कराया जाना है। सर्व प्रथम बंग्लौर नगर निगम द्वारा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन ड्रोन के माध्यम से कराया गया है, जिससे नगर निगम की आय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस तर्ज पर वर्तमान में प्रदेश में अयोध्या नगर पालिका परिषद में ड्रोन के माध्यम से निकाय क्षेत्र को 4 सेक्टरों में विभाजित करते हुए परिसंपत्तियों का मूल्यांकन पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में कराया जाना है, जिसके माध्यम से निकाय की परिसंपत्तियों यथा भवन, नाले, सड़क आदि में सही मूल्यांकन होने के उपरांत निकाय की आय में व्यापक वृद्धि संभावित है।

श्री सभापति- विषय यह है कि आपने बिना टेंडर के कार्य क्यों किया, इस पर जवाब दीजिए? अगर कुछ है तो बताइए नहीं तो समय न खराब करिए, आपने सर्वे के आधार पर कितने टैक्स पेयर बढ़ाये, जैसे आपने सर्वे कराया, ड्रोन घुमाया उसकी आपने सूची बनाई होगी, ऐसा कुछ आपके पास है? बस यही दो बातें बता दीजिए कि बिना टेंडर के क्यों दिया गया और इससे हमारे कितने भवन कर दाताओं में वृद्धि हुई।

श्री नरेन्द्र पी0 श्रीवास्तव- महोदय, अभी सूची हमारे पास नहीं है।

श्री सभापति- ठीक है, इसको नगर आयुक्त दिखवा लें और इसकी जांच भी करा लें, अभी यह बिंदु लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

भाग-क प्रस्तर-एक (3)-

(व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गई)

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, इस बिंदु में जो वहां के कर्मचारी हैं उनको जो अस्थायी अग्रिम दिया गया था, उसका समायोजन नहीं हुआ था और इसमें अभी भी कार्यवाही अपूर्ण है विभाग ने 2 महीने का समय मांगा है।

श्री सभापति- इसमें विभाग क्या कार्यवाही करेगा, और समायोजन के लिए आप क्या कर रहे हैं।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- यह प्रकरण वर्ष 1997 से वर्ष 2012 के बीच का है, अगर यह वर्ष 1997 का प्रकरण है और आपने आज तक जिसको एडवांस दिया आप उसका कहीं पर एडजेस्टमेंट ही नहीं कर पाए हैं, यह तो विभाग की घोर लापरवाही है, यह सभी छोटी-छोटी राशि हैं इनको लटकाकर आप अपना और समिति दोनों का समय खराब कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र पी0 श्रीवास्तव- महोदय, जिनसे वसूली नहीं हो पाई है उनको इस संबंध में नोटिस भेज दिया गया है।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- आप नोटिस भेजने की तारीख बताइए?

श्री नरेन्द्र पी0 श्रीवास्तव- महोदय, इसमें नोटिस जुलाई 2023 में गया था।

श्री सभापति- इसमें 6 लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा जमा कर चुके हैं, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, शेष 8 लोग बचते हैं और टोटल 17 लोग हैं, मुझे लगता है वसूली करने में लापरवाही बरती गयी है, अन्यथा पैसे जमा हो जाते। यह ऑडिट आपत्ति निस्तारित नहीं हो सकती, इसमें आपको 3 महीने का समय दिया जाता है और जो इससे संबंधित व्यक्ति हैं, जो अकाउंट मेन्टेन करते हैं उनसे भी यह पूछा जाए कि आप इतने वर्ष क्यों ऐसे ही बैठे रहे। अभी इस बिंदु को लम्बित रखा जाता है।

(लम्बित)

भाग-क प्रस्तर-एक (4)-

(व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गई)

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, इसमें शासनादेश के अनुसार जो जल मूल्य है वह आरोपित करना था, वह आरोपित किया गया मांग स्थापित की गई है, जो बकाया राशि थी वह 21,95,911.00 रु0 थी। इसमें 30,56,400.00 रु0 की मांग को ही नगर निगम ने स्थापित किया था और उसके सापेक्ष वसूली केवल 8,60,489.00 रु0 हुई है जो लगभग 40 प्रतिशत से भी कम है, यह तो सही है कि जो अवशेष राशि रह जाती है उसे कैरी फॉरवार्ड करते हैं लेकिन यह कैरी फॉरवार्ड भी गत वर्षो का कर रहे होंगे।

श्री सभापति- विभाग वॉटर टैक्स और वॉटर चार्ज दोनों कैसे लेगा?

श्री गजेन्द्र कुमार- महोदय, वर्तमान में तो वॉटर टैक्स ही लग रहा है।

श्री सभापति- यह जो जल मूल्य का निर्धारण किया गया था, वह किस आधार पर किया गया था?

श्री गजेन्द्र कुमार- महोदय, इसका वर्ष 1997 में शासनादेश हुआ था।

श्री सभापति- मेरे यहां गाजियाबाद नगर निगम में तो बहुत पहले वॉटर चार्ज लिया जाता था, जब से वॉटर टैक्स आया तब से कोई वॉटर चार्ज नहीं लिया गया।

श्री गजेन्द्र- महोदय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।

श्री सभापति- आपने यहां पर दोनों टैक्स लिये हैं, या फिर एक टैक्स लिया है।

श्री गजेन्द्र कुमार- महोदय, तत्कालीन में तो हमने दोनों टैक्स लिये हैं।

श्री सभापति- अगर आपने दोनों टैक्स लिये हैं तो यह गलत है, आप दोनों टैक्स नहीं ले सकते हैं, इसमें बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया जाए कि यह टैक्स लिया जाना है या नहीं लिया जाना है। इसमें मेरा मत यह है कि वॉटर टैक्स और वॉटर चार्ज दोनों एक साथ नहीं लिये जा सकते, अगर उस दौरान वॉटर टैक्स लिया गया है, तो इस पर बोर्ड को विचार करके समाप्त करना चाहिए।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- मेरा इसमें एक सुझाव है कि अयोध्या में विकास की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, इसिलिए जब भी विभाग की बैठक हो तो विभाग की बैठक में मेरा डी0एम0 साहब से अनुरोध है कि सभी विभाग ऑडिट में अपनी सावधानी बरतें और समय अनुसार ऑडिट कराते रहने का निर्देश आप जरूर जारी करें। इसलिए ऑडिट आपत्ति न लेट होने पाएं, इसकी पूरी चिंता सभी लोग करें।

श्री नितीश कुमार- मा0 समिति को धन्यवाद करता हूं और सभी विभागों की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं सभी विभागों से भी यही कहना चाहता हूं कि आप वित्तीय नियमों का पालन करें ओर वित्तीय नियमों का पालन करना सार्व भौमिक व सर्व विदित है, इसमें कहीं पर छूट नहीं होती है। मै आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आप जब भी बैठक में आएं तो उसकी पूरी तैयारी करके आएं, क्योंकि अगर

आप अध्ययन करके आएंगे तो उसको ओर बेहतर तरीके बता पाएंगे। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा की प्रतिवेदनों की जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु भाग-क प्रस्तर-तीन (3) के संबंध में लम्बित ऑडिट आपत्तियों की निस्तारण आख्या।

(व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गई)

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, इसमें जो कार्य अलग-अलग मदों में स्वीकृत हुआ था, उससे ज्यादा का कार्य कराया गया और इसमें आपत्ति है कि सेक्शन ऑफिसर से स्वीकृति ले ली गई थी।

श्री सभापति- इसका कितने प्रतिशत पर चयन किया गया?

श्री राजवीर सिंह- महोदय, यह 10 कार्य हैं जिनमें घटोत्तरी बढ़ोत्तरी का वर्णन किया गया है, इसमें 7.723 प्रतिशत और 7.636 प्रतिशत वृद्धि हुई।

श्री सभापति- ठीक है, यह बिंदु और आगे के सारे बिंदु भी निस्तारित किये जाने योग्य हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग

क्र0सं0-1 भाग-क प्रस्तर-6

(व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गई)

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, इसमें मध्यान भोजन योजना के अर्तगत व्यय से संबंधित वाउचर नहीं दिये गए, इन्होंने अनुपालन में केवल यही कहा है कि उपरोक्त संलग्न हैं। महोदय, हम लोग जब तब उसका उपभोग लेखा नहीं देखेंगे, तब तक हम उसका सत्यापन नहीं कर सकते।

श्री सभापति- आपने जो राशि खर्च की है उसका वाउचर तो आप ऑडिटर को दिखायेंगे?

श्री संतोष कुमार राय- महोदय, यह टोटल 26 करोड़ 38 लाख रु0 वर्ष 2012-13 का व्यय था। यह अभिलेख संप्रेक्षा में मांग के बावजूद प्रस्तुत न करने का कारण व्यय संदिग्ध एवं असत्यापित रहा।

श्री सभापति- आपने यह पैसा विद्यालयों को वितरित किया, उसकी जानकारी किस-किस विद्यालय को कितना दिया गया है, फिर उस विद्यालय ने उसे किस प्रकार खर्च किया, उसकी पूरी जानकारी हमें उपलब्ध करा दीजिए।

श्री संतोष कुमार राय- महोदय, क्षमा चाहूंगा वर्ष 2012-13 का स्कूल से वाउचर अब उपलब्ध होना मुश्किल है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड स्कूल में नहीं होगा ।

श्री सभापति- आप इसमें एक काम तो कर सकते है, उसकी डिटेल बनाकर आप ऑडिट विभाग को उपलब्ध करा दीजिए?

श्री संतोष कुमार राय- ठीक है, महोदय हम इनको डिटेल उपलब्ध करा देंगे।

श्री सभापति- आप इसमें लोकल टीम के साथ बैठकर के इनको डिटेल उपलब्ध कराएं, तब तक यह बिंदु लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

कृषि शिक्षा विभाग

श्री सभापति- नरेन्द्र देव विश्वविद्यालय के तो बहुत सारे मामले है, इसमें तो कुछ डिटेल ही नहीं लगी है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, इन्होंने अनुपालन आख्या अलग से लगाई है और विभाग इसके अलग से सेट बनाकर लाया है।

श्री नीरज श्रीवास्तव- महोदय, इन प्रस्तरों पर अभी कुछ दिन पहले मा0 समिति के समक्ष चर्चा हुई थी, जिसमें महोदय के स्तर से 8 बिंदु ड्राप हो गए थे और 7 बिंदु अवशेष बचे थे। जिसमें यह कहा गया था कि जो अपडेट हमने अपर मुख्य सचिव साहब को भेजे थे, वह समिति के समक्ष नहीं आ पाए थे।

श्री सभापित- आपने यह लोकल टीम को दिखा दिये?

श्री नीरज श्रीवास्तव- महोदय, हमने व्यक्तिगत रूप से इनको दिखा दिये है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, जो दिनांक 23.11.2023 को बैठक हुई थी, उसमें आपकी तरफ से निर्देश यह था कि जो साक्ष्य है उन साक्ष्यों का परीक्षण करके हम आपको अवगत कराएंगे। तो महोदय, वह लेटर बनाकर हमने मा0 समिति को दे दिया है।

श्री सभापति- आपने जो लेटर समिति को दिया था, उसमें कुछ संतोषजनक आपने बताया नहीं था, इसमें आप ऐसा कीजिए कि आज अभी आप विभाग के साथ बैठकर चर्चा वार्ता कीजिए और जो निस्तारण योग्य बिंदु हों, उन्हें रात्री को देखकर हम निर्णय लेंगे, आप इनके साथ अभी यहीं बैठ जाइये।

सांस्कृतिक विभाग

क्रम0सं0-06 सम्परीक्षा की आपत्ति वर्ष एवं प्रस्तर सहित, सम्परीक्षा वर्ष 2009-10 से 2010-11 प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 प्रस्तर क्रमांक-13.3 भाग-क प्रस्तर-3(च)।

(व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गई)

डॉ0 लवकुश द्विवेदी- महोदय, 20 जून को जो मा0 समिति के समक्ष जो प्रकरण आये थे, वह 12 प्रकरण थे, जिनमें 6 प्रकरण निस्तारित हो गए थे, उन 6 प्रकरणों में कहा गया था कि अयोध्या में जाकर मा0 सदस्य को दिखा देंगे और समिति को अवगत करा देंगे। जो प्रस्तर निस्तारण योग्य होंगे वह निस्तारित हो जाएंगे।

श्री सभापति- मा0 सदस्य वेदप्रकाश जी, को आपने प्रकरण दिखा दिये है?

डॉ0 लवकुश द्विवेदी- महोदय, मा0 सदस्य को मैने 3 दिन पहले प्रकरण दिखा दिये थे, लेकिन कुछ प्रस्तरों पर मै खुद भी सहमत नहीं हूं

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- जिन प्रस्तरों पर आप सहमत नहीं है, उनको तो आप पहले ही छोड़ दीजिए।

श्री सभापति- अच्छा आप यह बताइए कि मा0 विद्यायक जी किन प्रस्तरों पर सहमत है?

श्री वेद प्रकाश गुप्ता- यह परसों मुझे प्रस्तरों को देखने के लिए दे गए थे, कि आप इनको देख लीजिए, इनमें कई प्रस्तर अयोध्या में कार्य होने के लिए थे, तो मुझे लगता है कि इनको कुछ समय और दे दिया जाए।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- इनको 3 महीने का समय दे दिया जाए?

श्री सभापति- ठीक है, विभाग को 3 महीने का समय दिया जाता है, लेकिन 3 महीने से पहले अगर विभाग इनको 15 दिन में भी कनवेंस कर लेता है तो हम किसी भी दिन बैठक बुलाकर इनको निस्तारित कर देंगे।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- यह सभी 15 फरवरी तक श्री राम जन्म भूमि के कार्य मे लगेंगे।

श्री सभापति- मा0 वर्मा जी, सारे काम चलते है, यह तो कागज का काम है।

डॉ0 लवकुश द्विवेदी- महोदय, हम मा0 विद्यायक जी, से समय लेकर इसको देख लेंगे।

श्री सभापति- अभी सभी प्रस्तर लम्बित रहेंगे।

(लम्बित)

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- अयोध्या में क्या-क्या कार्य चल रहा है, इसकी कौन जानकारी देगा?

श्री आर0पी0 यादव- महोदय, पर्यटन विभाग द्वारा यहां पर सुनियोजित तरीके से विकास करने के लिए, अग्रिम पांच वर्षीय योजनाओं के अतंर्गत जो पर्यटन स्थल है, उनको तीन भागों में बांटकर के लगभग 35 जगहों पर हमारा कार्य चल रहा है।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- आप हम लोगों को कौन सी दो जगहों पर ले चलेंगे?

श्री आर0पी0 यादव- महोदय, सूर्य कुण्ड देख लीजिए, राम के पैड़ी देख लीजिए, हनुमान गढ़ी देख लीजिए, राम मंदिर देख लीजिए।

श्री वेद प्रकाश गुप्ता- आज अयोध्या की पावन नगरी में आयोजित इस स्थानीय निकाय कमेटी की बैठक में मैं मा0 सभापति जी, का और समिति के सदस्य मा0 साकेन्द्र प्रताप वर्मा, जी का और सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, निश्चित रूप से मेरा अनुरोध था कि अयोध्या में भी बैठक हो और इसी बहाने जो प्रभु राम मंदिर बन रहा है और अयोध्या में जो कार्य चल रहे हैं उनको भी देखने का अवसर मिलेगा। सभापति जी, ने इसको स्वीकार किया इसके लिए मैं मा0 सभापति जी, का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और जितने भी अधिकारी यहां पर बैठे हैं मैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि जो यह हमारी स्थानीय निकाय कमेटी है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है और हम लोगों का हमेशा यह प्रयास रहता है कि जो बहुत पुराने बिंदु हैं उनको खत्म किया जाए। मेरा यह कहना है कि जितने भी मामले हैं उनको गंभीरता से लेकर, उनको निपटाने का काम करिए, क्योंकि हमारे सभापति बहुत ही लिबरल हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह से आप विद्यायक हैं और जो हमारे कमेटी के अधिकारीगण हैं, उनको भी में धन्यवाद करता हूं।

श्री सभापति- हमारे सभी मा0 सदस्यगण, हमारे समिति के सभी अधिकारीगण तथा अन्य विभाग से आये सभी अधिकारीगण और ऑडिट विभाग के अधिकारीगण का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम बहुत उम्मीद के साथ आये थे कि, प्रस्तरों का निस्तारण करें और पूर्व की बैठक में आप सभी से हमने कहा था, लेकिन उतना रिस्पांस हमें यहां पर नहीं मिला, यहां पर उल्टा हो रहा है, पूर्व में समितियां इस प्रकार रही हैं कि जो बहुत मुश्किल से किसी भी प्रस्तर का निस्तारण करते हों, उसका बारीकी से परीक्षण करने के उपरांत और पूर्व में हमारे ऐसे सभापति भी हुए हैं जिन्होंने सख्त कार्यवाही की है, लेकिन वर्तमान समिति में विनम्र सदस्य हैं कि वह चाहते हैं कि व्यवहारिक तौर पर आपत्तियों का निस्तारण हो जाना चाहिए। परंतु विभाग के द्वारा उतना रिस्पांस नहीं है, इसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हम कहते हैं कि आप स्पष्ट स्पष्टीकरण दीजिए, निर्णय लेना समिति का काम है, समिति जो निर्णय लेगी वह अंतिम होगा, तो आपको संकोच किस बात का है। आज नगर विकास, बेसिक शिक्षा, कृषि शिक्षा और सांस्कृतिक विभाग यहां हमने बुलाए थे, चर्चा हुई और प्रभु राम की धरती पर हम बहुत लम्बे समय के बाद आए हैं। मैं मा0 सदस्यगण से सहमत हूं और एक व्यवस्था यहां पर देना चाहता हूं आप लोगों की सुविधा के लिए, कि जितनी भी आपत्ति आपकी पेंडिंग है प्रत्येक विभाग की, हमारे मा0 सदस्य श्री वेदप्रकाश गुप्ता जी, यहां से मा0 विद्यायक हैं,

आप लोगों के लिए हर वक्त उपलब्ध है। आप इनके साथ बैठकर के और साथ में ऑडिट विभाग के लोग बैठकर के उस पर चर्चा वार्ता कर लें और जितने पैराओं पर इनकी सहमति हो जाएगी, उनको समिति की बैठक में एक दिन में समाप्त कर देंगे, इससे ज्यादा सुविधा किसी को नहीं मिल सकती है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अब यहां के बाद हम भोजन के उपरांत स्थलीय निरीक्षण के लिए चलेंगे।

श्री अनिरूद्ध प्रताप सिंह- मा0 सभापति महोदय जी, का तथा मा0 सदस्यण का और लखनऊ से आए सभी अधिकारियों का बहुत-बहुत आभार व धन्यवाद।

(तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई)

(बैठक के उपरान्त मा0 समिति ने श्री राम जन्म भूमि, हनुमान गढ़ी और श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के दर्शन किए।)

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति (2022-2023) की बैठक की कार्यवाही

दिनांक : 06 दिसम्बर, 2023 स्थान : सर्किट हाउस वाराणसी।

समय : 03:00 बजे अपराह्न

उपस्थिति

1. श्री सुनील कुमार शर्मा — सभापति
2. श्री सुभाष त्रिपाठी — सदस्य
3. श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा — सदस्य
4. श्री वेद प्रकाश गुप्ता — सदस्य।

विधान सभा सचिवालय के अधिकारीगण

1. श्री अजीत कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव,
2. श्री नीरज कुमार सोनकर, अनुभाग अधिकारी।

स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग के अधिकारीगण

1. श्री राजीव कुमार सिंह, वष्ठि लेखा परीक्षक,
2. श्री विजय कुमार सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षक,
3. श्री नीरज कुमार गुप्ता, उपनिदेशक लखनऊ, मंडल,
4. श्री राजेश कुमार झा, ए0ए0ओ0,
5. श्री संजय भारती, डी0ए0ओ0 वाराणसी,
6. श्री नीरज कुमार, लेखा परीक्षक,
7. श्री ए0के0 त्रिपाठी, ई0ई0सी0डी0, वाराणसी।

जनपद वाराणसी के अधिकारीगण

1. श्री एस0 राजलिंगम, जिलाधिकारी, वाराणसी,
2. श्री राकेश कुमार, कुल सचिव, स0ज0वि0,
3. श्री बिपिन कुमार, ए0डी0एम0ई0,
4. श्री संतोष कुमार शर्मा, वित्त अधिकारी,
5. डॉ बृजकिशोर त्रिपाठी, आर0एच0ई0ओ0 काशी विद्यापीठ, सम्पूर्णानन्द,
6. श्री आत्म प्रकाश धर द्विवेदी, वित्त नियंत्रक, वी0डी0ए0,
7. श्री कुमार अशोक रंजन, सी0टी0ओ0,
8. श्री जयराम सिंह, ए0डी0आई0ओ0एस,
9. श्री अरविन्द कुमार पाठक, बी0एस0ए0,
10. श्री प्रदीप कुमार, एफ0ए0ओ0, बेसिक,

11. श्री सुमित कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल, आर0क्यू0आई0सी0,
12. श्री जय प्रकाश, डी0आई0ओ0एस0, चंदौली,
13. श्री राम सिंह, ए0सी0सी0, बेसिक शिक्षा,
14. श्री मनोज कुमार यादव, बी0एस0ए0, चंदौली,
15. श्री आर0के0 मौर्य, असिस्टेंट टूरिस्ट ऑफिसर,
16. श्री नवीन कुमार सिंह, टूरिस्ट ऑफिसर
17. डॉ0 अमित यादव, ए0ए0एम0ओ0, वाराणसी,
18. श्री शिव कुमार राघव, डी0डी0ए0, मंडी सचिव समिति,
19. श्री सिद्धार्थ कमार, मुख्य वित्त अधिकारी,
20. श्री के0के0 पाण्डेय, मुख्य वित्त अधिकारी,
21. श्री आनंद मिश्रा, वी0डी0ए0।

.....

बैठक की कार्यवाही श्री सुनील कुमार शर्मा, मा0 सभापति के सभापतित्व में आरंभ हुई।

(जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा मा0 सभापति व मा0 सदस्यों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया।)

(परिचयोपरांत)

(वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी)

श्री सभापति- बैठक में थोड़ा विलम्ब हो गया है, इसलिए प्वाइंट टू प्वाइंट बताएं।

क्रम0सं0-01 वार्षिक प्रतिवेदन का पृष्ठ क्रमांक 1 , ऑडिट पैराज से सम्बन्धित शीर्षक व क्रमांक, इण्टर लाकिंग एवं कार्य के संबध में प्रमुख अभियंता सामान्य वर्ग लो0नि0वि0 लखनऊ के परिपत्र सं0 2016 एम0टी0/60 एम0टी0/99 दिनांक 08.04.2005 द्वारा निर्धारित मानक से अधिक (थिकनेस) मोटाई दर्शाकर बिना किसी आदेश के कार्य कराये जाने से अधिक भुगतान हुआ। कार्यालय/यूनिट का नाम- वी0डी0ए0। सम्प्रेक्षण अवधि 2015-16 प्रस्तर संख्या- प्रस्तर-क(III)(घ) सन्निहित धनराशि रु0, 5,27,429.00/-

(व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गई)

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, सबसे पहले बनारस प्राधिकरण की एक आपत्ति है और आपत्ति यह है कि जो सड़क निर्माण हुआ था, उसमें बी0एम0 और एस0डी0बी0सी0 का कार्य मानक से दोगुना दर्शाकर अधिक भुगतान किया गया था। इसमें मा0 समिति का निर्देश था कि वी0सी0 महोदय इसमें जांच कराकर अपनी आख्या सबमिट करेंगे।

श्री सभापति- इसमें जो वी0सी0 को जांच करानी थी, वह जांच हुई?

श्री आनंद मिश्रा- महोदय, इसमें एक समिति बना दी थी और समिति की रिपोर्ट के लिए पी0डब्ल्यू0डी को रेफर कर दिया है, उनके यहां से फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आयी है।

श्री सभापति- इसका मतलब अभी रिपोर्ट पूरी नहीं है, इसमें जांच कौन कर रहे हैं?

श्री आनंद मिश्रा- महोदय, इसमें हमारे यहां से सचिव है और ए0ई0 की कमेटी गई थी, उसमें उन्होंने देखा जैसा कि कहा गया था, कि कितनी बार सड़क बन चुकी है, तो उन्होंने उसकी रिपोर्ट पी0डब्ल्यू0डी0 को रेफर की, कि उस वक्त के बाद सड़क कितनी बार बनी।

श्री सभापति- सड़क पी0डब्ल्यू0डी0 की है या आपकी है?

श्री आनंद मिश्रा- महोदय, सड़क पी0डब्ल्यू0डी0 की है, हमारे यहां पर अवस्थापना निधि होती है, उसके अतंर्गत उसको बनवाया गया है। वहां पर बहुत गडढे हो गये थे, तथा वहां पर पुल बन रहा था, इसलिए सड़क को ठीक करने के लिए कहा गया था। तब उस सड़क को बनाया गया है उसमें उसकी मोटाई 15 मिनिमम लिखी है और 25

एम0एम0 एच0डी0सी0 लेना होता है। तो ऑडिट की आपत्ति है कि यह मिनिमम होता है, आपने ज्यादा क्यों कराया है।

श्री सभापति- जब टेंडर या स्टीमेट बनाया था, उसमें ज्यादा का था, या कम था?

श्री आनंद मिश्रा- महोदय, टेंडर में कम का था।

श्री सभापति- आपका कहना है कि जितना स्टीमेट था, यह उससे ज्यादा है?

श्री आनंद मिश्रा- हां महोदय, यह स्टीमेट से ज्यादा हुआ है।

श्री सभापति- उसका कारण क्या रहा?

श्री आनंद मिश्रा- महोदय, इसका कारण यह था कि वहां पर पुल बन रहा था, वहां पर ट्रेफिक बहुत था, भारी मशीन आती थी तो वहां पर गडढे होते रहे, उसके बाद पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही थी, उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट को यह निर्देश हुआ कि इसको अवस्थापना निधि से बनवाया जाए।

श्री सभापति- इसमें बनवाने पर तो कोई आपत्ति नहीं है, ऑडिट की आपत्ति यह है कि जो आपका स्टीमेट था, स्टीमेट के अनुसार आपने टेंडर किया होगा, लेकिन जितनी उसकी थिकेनस थी, उससे ज्यादा आपने उसे मोटा कर दिया, बस दो शब्दों में बता दो कि क्यों किया?

श्री आनंद मिश्रा- महोदय, वहां पर ट्रैफिक की वजह से गडढे बहुत होते थे।

श्री सभापति- आपने सड़क भी तो इसकी वजह से ही बनाई थी, यह एक मोटा सवाल है कि जब आप स्टीमेट बना रहे थे, तब आपको मालूम होगा कि वहां पर कितनी जरूरत है।

श्री आनंद मिश्रा- महोदय, सड़क बनाने के समय जो दिखा था वही लिया गया था।

श्री सभापति- यह आपका जवाब संतोषजनक नहीं है, आपने उसकी थिकनेस बढ़ाई है और उसका भुगतान किया है, उसका कारण आपको स्पष्ट करना होगा। इसी जांच के लिए हमने कहा था कि इसकी वी0सी0 जांच कराएं, अभी तक वह जांच पूरी नहीं हुई है। पूर्व में यह बैठक कब हुई थी?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, यह बैठक दिनांक 1 अगस्त 2023 को हुई थी।

श्री सभापति- जब बैठक हुई थी, तब से अब तक 4 महीने पूरे हो गए है और पांचवा महीना चल रहा है, इसमें हमने इनको कितना समय दिया था?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, इसमें मा0 समिति कि तरफ से निर्देश था कि वी0सी0 अपने स्तर से इसकी जांच कराएं और यह भी जांच कराएं कि वर्ष 2015 के उपरांत इस सड़क का निर्माण कितनी बार हो चुका है और यह जो वृद्धि की गयी है, उसकी उपयोगिता सिद्ध हो पायी कि नहीं हो पायी, तब तक इसको लम्बित रखा जाए, जब

तक आपकी प्रेक्टिकल रिपोर्ट भी आ जाएगी, जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि वर्ष 2015 के बाद कितनी बार यह सड़क टूटी और मरम्मत हुई।

श्री सभापति- इसमें 1 अगस्त को साफ निर्देश हुए थे कि यह सड़क कितनी बार बनाई गयी और यह वृद्धि क्यों की गयी। इस पर विभाग कुछ बताएगा?

श्री आनंद मिश्रा- महोदय, यह पी0डब्ल्यू0डी0 की रोड है और वही बताएंगे कि कितनी बार यह रोड बनवायी गयी है।

श्री सभापति- आप पांच महीने में नहीं पूछ पाये।

श्री आनंद मिश्रा- महोदय, जो इसको देख रहे थे वह लोग बैठक में नहीं आ पाए है, उनके स्थान पर मैं आया हूं।

श्री सभापति- आपका उत्तर संतोषजनक नहीं है।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- इसमें जो मुख्य सवाल है कि बिना किसी आदेश के कार्य कराए जाने से अधिक भुगतान हुआ है, वह आदेश आपके पास है?

श्री आनंद मिश्रा- महोदय, इसमें वी0सी0 सर का आदेश है उसे अभी ऑडिट टीम को दिखा देता हूं।

श्री सभापति- यह प्रस्तर लम्बित रहेगा और ऐसा लगता है कि आप लोग समिति को इस पर कुछ जवाब देना नही चाहते है, नीरज जी आप दोबारा बता दीजिए कि समिति का क्या निर्देश था।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, इसमें समिति का निर्देश था कि वी0सी0 इसमें अपने स्तर से जांच कराएं और यह भी जांच कराएं कि वर्ष 2015 के उपरांत इस सड़क का निर्माण कितनी बार हो चुका है और यह जो वृद्धि की गयी है, उसकी उपयोगिता सिद्ध हो पायी कि नहीं।

श्री सभापति- यह दो बिंदु थे कि इसका निर्माण कितनी बार हुआ है, पी0डब्ल्यू0डी0 से आपको पत्र लिखकर पूछना था, आपने कब पत्र लिखा?

श्री आनंद मिश्रा- महोदय, पत्र दिनांक 20 सितम्बर 2023 को पी0डब्ल्यू0डी0 को गया हुआ है।

श्री सभापति- उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया?

श्री आनंद मिश्रा- महोदय, पी0डब्ल्यू0डी0 से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

श्री सभापति- जिलाधिकारी आप इसको दिखवा लें कि पी0डब्ल्यू0डी0 जवाब क्यों नही दे रहा है और इसकी अगले 1 महीने के अंदर आप पूर्ण आख्या समिति के कार्यालय में दाखिल करेंगे। अभी यह प्रस्तर लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

नगर निगम वाराणसी

ऑडिट प्रस्तर क्रमांक भाग-क प्रस्तर-3(च)

(व्याख्यात्मक टिप्पणी पढ़ी गई)

श्री0 के0के0 पाण्डेय- महोदय, विभाग की आपत्ति यह थी कि हमारे यहां जो निर्माण कार्य कराया गया, उसमें जो मूल स्टीमेट था, उसी में 1 प्रतिशत लेवर सेस जोड़ दिया गया था, जोकि ठीक नहीं था।

श्री सभापति- इसको आपने स्वीकार कर लिया है कि चूक हूई है, लेकिन इसके समाधान के आपने क्या प्रयास किए?

श्री के0के0 पाण्डेय- महोदय, इसमे सबसे पहले हमने 1 लाख 28 हजार 363 की रिकवरी कर ली और 1 लाख 30 हजार 359 की रिकवरी हम कर रहे हैं। इसमें जो इनकी जमानत धनराशि है, हम उसी से रिकवर कर रहे हैं, महोदय, हम इसको पूरा कर लेंगे।

श्री सभापति- इसमें आप समिति को यह बता दें कि इनकी कितनी जमानत राशि आपके पास है?

श्री के0के0 पाण्डेय- महोदय, इसका हम डिटेल समिति को उपलब्ध करा देंगे।

श्री सभापति- ठीक है, आप इसकी डिटेल समिति को उपलब्ध करा देना, तब तक यह प्रस्तर लम्बित रहेगा।

(लम्बित)

ऑडिट प्रस्तर क्रमांक भाग-क प्रस्तर-4(ड)

श्री के0के0 पाण्डेय- महोदय, इसमें यह कहा गया था कि नगर निगम वाराणसी की उपविधि लागू होने के बाद होटल, रेस्टोरेन्ट, लाजिंग, हाऊस, धर्मशाला, बारातघर, बीयरघर और निजी चिकित्सालयों से लाइसेंस शुल्क न वसूलने से 15 लाख रु0 की आर्थिक क्षति हुई है। मोहदय, इसके संबंध में बस इतना कहना है कि वर्ष 2014-15 में हमने होटल लॉज से जो 5 लाख का प्रोविजन किया था, उसके अगेंस्ट 4 लाख 41 हजार हमने वसूल किया था, यह 80 प्रतिशत के आस-पास है। महोदय, हमारा कार्य इस तरह से होता है, जैसे कि 4 लाख 41 हजार हमने वसूल किया, तो जो हमारा रेस्ट अमाउंट है, उसको हम अगले फाइनेंस ईयर मे कैरी फॉरवर्ड करते हैं।

श्री सभापति- आपने इसे ऑडिट को दिखाया है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, इसमें पूर्व में मा0 समिति का निर्देश यह था कि जो जवाब इनके द्वारा दिया गया था, उसमें लिखा था कि आपका जवाब संतोषजनक नहीं है,

इसको पुनः एक बार देख लीजिए, कि आपको कितना लेना था, किस-किस से लेना था, पूर्ण विवरण के साथ अगली बैठक में आएं, तब तक यह प्रस्तर लम्बित रहेगा। इसमें 99 हजार रुपया अनुपालन के समय जमा था।

श्री सभापति- तो अभी फिर इसमें क्या रह गया?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, इसमें आपत्ति यह थी कि जो बाई लाज बना हुआ था, शासनादेश उपलब्ध था, उसके बाद उपविधि के साथ जो दर इनको लगानी थी, वह दर इन्होंने इम्पोज नहीं की थी, तो जो सम्भावित क्षति थी वह 15 लाख रुपये थी।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- इसमें जो आपने अनुपालन में लिखा है, उसमें 5 लाख 40 हजार की वसूली की गई है ऐसा दिखाया है, यह बुकलेट कम्पाइल किसने की है?

श्री के0के0 पाण्डेय- महोदय, बुकलेट कम्पाइल हमने किया है।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- आपने कम्पाइल किया है तो इसके सीधे जिम्मेदार आप है।

श्री सभापति- इसमें जो आपने 5 लाख 40 हजार दिया है, यह वही राशि है या कोई दूसरी राशि है?

श्री के0के0 पाण्डेय- महोदय, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं इसमें एरियर जुड़ा हुआ है, यह करेंट ईयर की वसूली नहीं है, करेंट ईयर की वसूली 4 लाख 41 हजार है।

श्री सभापति- आप इसमें स्पष्ट उत्तर नहीं दे पा रहे है, विषय था 15 लाख का, आपने बताया 5 लाख का, इस पर आप क्या कहेंगे?

श्री के0के0 पाण्डेय- महोदय, जो 15 लाख था, उसमें कार्यवृत्त जो मा0 समिति ने बनाई, जो बैठक के बाद कार्यवृत्त जारी हुई, वह कार्यवृत्त हम लोगों को नहीं मिल पाया था, इस कार्यवृत्त का हम लोग अध्ययन कर लेंगे।

श्री सभापित- इसको आप अध्ययन करके 1 महीने में लोकल ऑडिट को दिखा दीजिएगा और उसकी एक कॉपी समिति को भेज दीजिएगा।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- जब इनको कार्यवृत्त ही नहीं मिला तो इन्होंने किसी का भी अध्ययन नहीं किया होगा। अगर यह कह रहें हैं कि इनको कार्यवृत्त नहीं मिला तो नगर निगम में किसी को भी नहीं मिला होगा।

श्री के0के0 पाण्डेय- महोदय, कार्यवृत्त किसी को भी नहीं मिला है।

श्री सभापति- फिर आप क्या जवाब देंगे जब आपको कार्यवृत्त ही नहीं मिला है।

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, मेरा अनुरोध है कि शासन स्तर पर इसको देख लिया जाए क्योंकि अनुभाग स्तर पर आकर कार्यवृत्त डंप हो जाता है।

श्री सभापति- कार्यवृत्त अभी आपके पास है?

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, मेरे पास तो कार्यवृत्त है।

श्री सभापति- आप एक काम कीजिए, बाकी कार्यवृत्त विभाग शासन से लेगा, फिलहाल कार्यवृत्त आज आप ऑडिट विभाग से ले लीजिए, क्योंकि अभी आप सभी प्रश्नों पर उलझ जाएंगे, इसलिए हम इन्हें आगे की बैठक में ले लेंगे। अभी आगे के सभी प्रस्तर लम्बित रहेंगे।

(लम्बित)

श्री नीरज कुमार गुप्ता- महोदय, मेरा एक अनुरोध था कि जितने भी यहां पर विभाग है उनसे यह कह दिया जाए कि अपने-अपने प्रशासकीय विभाग से, जो इन्होंने बैठक में भाग लिया है उसका कार्यवृत्त प्राप्त करके अनुपालन तैयार कर लें।

श्री सभापति- मुझे लगता है बाकी विभागों का भी यही हाल है, जब बैठक हुई थी, उसमें निर्देश दिये गए थे कि यह जो पेंडिंग पैरा हम छोड़ रहे है, जब उप समिति बनारस आएगी तो वहां पर चर्चा कर लेंगे और समिति अगर संतुष्ट होगी तो इनको निस्तारित कर दिया जायेगा। अब इसमें हम विभाग की गलती भी नहीं मान सकते क्योंकि जब आपको कार्यवृत्ति ही नहीं मिली है, तो आप क्या जवाब देंगे।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- यहां पर डी0एम0 साहब भी बैठें हैं, यह जो सारे अधिकारी विभाग में 2 महीने से आए है इनके स्थान पर पहले कोई अधिकारी रहा होगा और वह विधान सभा की कमेटी की बैठक में भी गया होगा, तो बैठक में आप आते क्यों हैं। अगर आपका कोई प्रश्न उठा और उस पर कोई आपत्ति रेज हुई तो उस आपत्ति को विभाग ने नोट क्यों नहीं किया। आप क्यों वेट करते रहे कि जब हमसे पूछा जाएगा तब हम इसका जवाब देंगे। इसका मतलब न तो आपकी रूची विभाग के प्रति है और न आप अपनी समस्या का समाधान कराना चाहते हैं। अभी सभी ने बड़े आराम से कह दिया कि कोई कागज नहीं मिला है। आपसे अनुरोध यही है कि उदासीनता न दिखाएं जिस बैठक में आप आते है, एक कॉपी लेकर कम से कम आपसे जुड़े जो सवाल खड़े होते है, उन सवालों को आप अपने पास नोट करिए। जिससे जब आपसे पूछा जाए तब आप जवाब दे पाएं।

श्री वेदप्रकाश- जैसा मा0 सभापति जी, ने कहा कि तैयारी के साथ आप लोग नहीं आए है और तैयारी करके आना यह आपकी जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है, हम लोग समिति में आए हैं इसमें हमारा भी समय और सरकार का पैसा भी खर्च होता है। इसलिए सभी विभागों से अनुरोध हैं कि सभी तैयारी के साथ आएं।

श्री सुभाष त्रिपाठी- इसमें सभी विभागों को अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए ईमानदारी के साथ और चीजों को नोट करके बैठक में पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए, बस यही कहना है।

श्री सभापति- आज का जो एजेंडा है उसका कार्यवृत्त ऑडिट विभाग के पास है, सभी विभाग के लोग वह कार्यवृत्त इनसे लेकर जाएंगे और जाने के बाद उस पर अपना वर्क करके अपनी टिप्पणी तैयार करके, स्थानीय ऑडिट के साथ बैठकर के उसका पूर्ण समाधान करके आप 1 माह के अंदर समिति को अवगत कराएंगे, ताकि इस पर हम कुछ निर्णय ले सकें। दूसरा जो सभी विभाग के प्रमुख हैं जितने भी लोकल फंड्स के द्वारा ऑडिट किए जाते हैं, उनको अगर पेंडेंसी की जानकारी नहीं है तो वह ले लीजिएगा और हम भी प्रयास कर रहे हैं, कि हम भी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा इस पेंडेंसी को समाप्त किया जाए। अभी में देख रहा था कि 81 अरब रुपये का ऑडिट आपत्ति पेंडेंसी नई पुस्तिका में हैं, यह समाप्त तब होंगे जब आप लोग सहयोग करेंगे, अभी देखने में यह आता है कि जब समिति की सूचना जाती है, विभाग उसके बाद सक्रिय होता है, तब बैठक में जवाब लेकर के आते हैं कि नोटिस दे दिया गया है और वसूली की कार्यवाही की जा रही है। विभाग बताए 10 साल बाद किसी से वसूली करना आसान है क्या? आधे तो लोग अब मिलेंगे नहीं, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लिया जाए और शीघ्र ही हम लोग आपको प्रत्येक विभाग के कितने पैरा अभी पेंडिंग चल रहे हैं, उसको हमने डिजिटल कर लिया है, उनको हम आप लोगों को उपलब्ध करायेंगे। यह मा0 प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है यहां नित्य नए कार्य हो रहे हैं, आज वाराणसी विश्व के पटल पर है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी राजनैतिक दृष्टि से भी, तो यह भी होना चाहिए कि वाराणसी जनपद में ऑडिट की कोई पेंडेंसी नहीं है, सभी खत्म हो चुकी हैं, इसका सभी विभाग प्रयास करें। हमारे मा0 साकेन्द्र प्रताप वर्मा जी, तथा बाकी सदस्यों का सुझाव है कि जो आपको 1 माह का समय दिया गया है, वह कम है इसको 2 माह कर दिया जाए, हमने जो अभी आपको 1 माह की अवधि दी थी, उसको बढ़ाकर आपको 2 महीने का समय दिया जाता है और इन 2 महीने के अंदर कम से कम इस कार्यवृत्त के सारे उत्तर समिति को मिलने चाहिए।

श्री राज लिंगम- ठीक है महोदय, हम भी इस पर रिव्यू कर लेंगे और आज हमारे बीच उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रदेश की स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच संबंधी समिति के मा0 सभापति, मा0 सम्मानित सभी सदस्यगण ने समय निकाला और हमारे बीच में आए सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कुछ कमियां हमको भी देखने को मिली और जो आपके व मा0 सदस्यगण द्वारा दिशा निर्देश दिये गए हैं, उन पर 2 महीने के अंदर हम अपने स्तर से भी समीक्षा करेंगे और मा0 सभापति को

और समिति को वाराणसी आने के लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

(तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई)

(बैठक के उपरान्त समिति ने क्रूज द्वारा सभी घाटों का दर्शन किया, उसके बाद अगले दिन दिनांक 07.12.2023 सुबह पहले श्री काल भैरव मंदिर के दर्शन किए और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। फिर सड़क मार्ग द्वारा मीरजापुर के लिए प्रस्थान किया और मीरजापुर मे स्थित माँ विन्ध्यवासिनी के दर्शन किए, उसके बाद मीरजापुर अष्टभुजा डाक बंगला में मध्याहन भोजन करने के उपरांत लखनऊ को सड़क मार्ग द्वारा प्रस्थान किया।)

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति (2022-2023) की बैठक की कार्यवाही

दिनांक : 07 दिसम्बर, 2023

समय : 08:30 बजे अपराह्न

स्थान : [illegible] ~~मा0 सभापति कार्यालय~~ [illegible] ~~कक्ष, विधान भवन, लखनऊ।~~

उपस्थिति

1. श्री सुनील कुमार शर्मा — सभापति
2. श्री सुभाष त्रिपाठी — सदस्य
3. श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा — सदस्य
4. श्री वेद प्रकाश गुप्ता — सदस्य

विधान सभा सचिवालय के अधिकारीगण

1. श्री अजीत कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव,
2. श्री नीरज कुमार सोनकर, अनुभाग अधिकारी,
3. श्री विनित कुमार, प्रतिवेदक।

....

बैठक की कार्यवाही श्री सुनील कुमार शर्मा, मा0 सभापति के सभापतित्व में आरंभ हुई।

श्री सभापति- आज की बैठक में आप सभी का स्वागत है। साथियों हमारी समिति पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अयोध्या एवं वाराणसी मंडल के भ्रमण के उपरांत लखनऊ आ चुकी है, इस अध्ययन भ्रमण के दौरान हमें संबंधित जिलों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, एवं स्थलीय निरीक्षण के दौरान मौके पर जो भी कमियां पाई गयीं, उनको भी स्थानीय अधिकारियों को अवगत कराया गया। आप सभी के सहयोग से हमारा यह अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम आसानी से सम्पन्न हुआ।

श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा- सभापति महोदय, आपके सभापतित्व में हमारा यह अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम सुनियोजित तरिके से सम्पन्न हुआ एवं हम लोगों को अनेक उपयोगी जानकारियां प्राप्त हुई, जिसका लाभ प्रदेश की जनता को भी मिलेगा।

श्री सभापति- ठीक है, आज की बैठक की कार्यवाही यहीं समाप्त की जाती है, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

(तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।)